मौलिक अधिकार, कर्त्तव्य और राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत

(Fundamental Rights, Duties and Directive Principles of State Policy)

All UG Courses except B.A. (Hons.) Political Science

Semester-VII

Generic Elective (GE) – Political Science

कोर्स क्रेडिट-4

AS PER THE UGCF-2022 AND NATIONAL EDUCATION POLICY 2020

(Department of Political Science)

READING NOTES

Department of Distance and Continuing Education
Campus of Open Learning, School of Open Learning,
University of Delhi

Generic Elective (GE)
Semester-VII

Political Science-Fundamental Rights, Duties and Directive Principles of State Policy

---

Credit distribution, Eligibility and Pre-requisites of the Course

Course title Code	Credits	Credit distribution of the course			Eligibility criteria	Pre-requisite of the course
		Lecture	Tutorial	Practical/ Practice		
Fundamental rights, duties and directive principle of state policy GE-14	**4**	**3**	**1**	**-**	**NA**	**NA**

Course Objectives

This course aims to provide students with a foundational understanding of the constitutional framework of Fundamental Rights in ensuring (Justice, liberty and freedom), Duties and their relevance in contemporary society and Directive Principles of State Policy, their role in promoting justice and socio-economic transformation, and the evolving judicial and legislative interpretations that shape India's democratic governance.

Course Outcomes

Upon successful completion of this course, students will:

1. Understand the foundational structure and philosophy of the Indian Constitution through the Preamble and Basic Features.
2. Critically analyze the scope, nature, and limitations of Fundamental Rights, and evaluate related constitutional debates and remedies.
3. Examine the significance and classifications of Directive Principles of State Policy and their relationship with Fundamental Rights through judicial interpretations.
4. Comprehend the origin, nature, and importance of Fundamental Duties, and their role in promoting civic sense and constitutional obligations.

Syllabus of GE-14

Unit 1: Introduction to the Indian Constitution

a) Preamble and its significance
b) Basic features of the Constitution and Basic structure Debate

Unit 2: Fundamental Rights (Part III)

a) Meaning, features, and types of Fundamental Rights
b) Constitutional debates on fundamental rights
c) Constitutional Remedies
d) Limitations of Fundamental Rights

Unit 3: Directive Principles of State Policy (Part IV)

a) Concept, classification, and significance
b) Economic and social rights, Gandhian and liberal principles
c) Relationship between Fundamental Rights and DPSPs
d) Judicial recognition and implementation and Landmark judgments and PIL

Unit 4: Fundamental Duties (Part IVA)

a) Origin and incorporation (42nd Amendment)
b) Nature and significance of Fundamental Duties
c) Judicial recognition and implementation
d) Civic sense and constitutional obligations

Suggested Readings

Unit 1.1

Austin, Granville. The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation. Oxford University Press, 1966.
Sai Deepak, J. India That is Bharat: Coloniality, Civilisation, Constitution. Bloomsbury India, 2021.
"We, the People." Economic and Political Weekly, vol. 55, no. 4, 2020.

Unit 1.2

Khosla, Madhav. The Indian Constitution. Oxford University Press, 2012.
Sinha, Nandini. "Basic Structure and Constitutional Morality." Economic and Political Weekly, vol. 58, no. 27, 2023.
Seervai, H.M. Constitutional Law of India: A Critical Commentary, Vol. I. Universal Law Publishing, latest edition.

Unit 2.1

Bhatia, Gautam. Offend, Shock, or Disturb: Free Speech under the Indian Constitution. Oxford University Press, 2016.
Kashyap, Subhash C. Our Constitution: An Introduction to India's Constitution and Constitutional Law. National Book Trust, 2013.
Khosla, Madhav. The Indian Constitution. Oxford University Press, 2012.
Basu, Durga Das. Introduction to the Constitution of India. LexisNexis Butterworths, 2020.

Unit 2.2

Austin, Granville. Working a Democratic Constitution: The Indian Experience. Oxford University Press, 1999

"Safeguarding Fundamental Rights." Economic and Political Weekly, vol. 55, no. 45, 2020.

"Article 19: Mapping the Free Speech Debate in India." EPW Engage, 2019

"National Security vs Fundamental Rights." Economic and Political Weekly, vol. 56, no. 41, 2021.

Unit 2.3

Kashyap, Subhash C. Our Constitution: An Introduction to India's Constitution and Constitutional Law. National Book Trust, 2013.

Rakshit, Nirmalendu B. "Right to Constitutional Remedy." Economic and Political Weekly.

Unit 2.4

"Sedition in India: Colonial Legacy, Misuse and Effect on Free Speech." EPW Engage, 2019. Khosla, Madhav. The Indian Constitution. Oxford University Press, 2012.

"Constitutional Limits to Ridicule." Economic and Political Weekly, vol. 56, no. 49, 2021.

Unit 3.1

Basu, Durga Das. Introduction to the Constitution of India. LexisNexis Butterworths, 2020. Bhatia, Gautam. The Transformative Constitution: A Radical Biography in Nine Acts. HarperCollins India, 2019.

Shukla, V.N. Constitution of India, edited by Mahendra P. Singh. Eastern Book Company, latest edition.

Unit 3.2

Austin, Granville. Working a Democratic Constitution: The Indian Experience. Oxford University Press, 1999.

Baxi, Upendra. "Directive Principles and the Constitution." Law & Politics in India, Oxford University Press, 2008.

Unit 3.3

Kashyap, Subhash C. Our Constitution: An Introduction to India's Constitution and Constitutional Law. National Book Trust, 2013.

Rakshit, Nirmalendu B. "Directive Principles and Fundamental Rights." Economic and Political Weekly.

Unit 3.4

Bhatia, Gautam. The Transformative Constitution: A Radical Biography in Nine Acts. HarperCollins India, 2019.

Bhagwati, P.N. Judicial Activism and Public Interest Litigation. Columbia Journal of Transnational Law, Vol. 23, 1985.

Choudhry, Sujit. "Courting the People: Public Interest Litigation in Post-Emergency India." International Journal of Constitutional Law, Vol. 16, No. 2, 2018, pp. 710–725.

Ramanathan, Usha. Public Interest Litigation in India: A Critical Review. Social Science Research Network, 2009.

Unit 4.1

Sai Deepak, J. India, Bharat and Pakistan: The Constitutional Journey of a Sandwiched Civilisation. Bloomsbury India, 2022

Basu, Durga Das. Introduction to the Constitution of India. LexisNexis Butterworths, 2020.

Shukla, V.N. Constitution of India, edited by Mahendra P. Singh. Eastern Book Company, latest edition.

Unit 4.2
Kaushik, Abhishek. “Significance of Fundamental Duties in Indian Perspective.” International Journal of Humanities and Social Science Invention, Vol. 5, Issue 1, 2023, pp. 63–65. Ghatol, Akanksha, and Khandare, Jayashree. “Fundamental Rights and Duties: Two Sides of a Coin.” International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 3, Issue 2, 2021.
The Concept of Fundamental Duties under the Constitution of India. JETIR, Vol. 6, Issue 6, 2019.

Unit 4.3
Parthasarathy, Malavika. “Fundamental Duties: Court in Review.” Supreme Court Observer, March 29, 2022.
Pradhan, Niharika. “Fundamental Duties Enforcement: Role of Judiciary.” Supremo Amicus, Vol. 25, 2022.

Unit 4.4
Sai Deepak, J. India, Bharat and Pakistan: The Constitutional Journey of a Sandwiched Civilisation. Bloomsbury India, 2022
Swaraj, P. “Civic Sense: Rights, Duties, and Responsibilities.” Commonwealth of Learning, 2016.
Chaudhary, V. “Legal and Social Insights on the Role of Fundamental Duties in India’s Welfare System.” Indian Journal of Social Policy, Vol. 33, Issue 1, 2008.
Joshi, A., & Gupta, P. “Fundamental Duties and Their Role in Advancing Social Welfare in India: A Constitutional Perspective.” Journal of Law and Social Welfare, Vol. 18, Issue 3, 2010.

Note: Examination scheme and mode shall be as prescribed by the

मौलिक अधिकार, कर्त्तव्य और राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत

विषय-सूची

क्र. सं.	शीर्षक
इकाई-1	भारतीय संविधान का परिचय
इकाई-2	मौलिक अधिकार (भारतीय संविधान का भाग III)
इकाई-3	राज्य के नीति-निर्देशक तत्व (भाग IV)
इकाई-4	मौलिक कर्त्तव्य (भाग IVA)

© दूरस्थ एवं सतत शिक्षा विभाग, मुक्त शिक्षा परिसर, मुक्त शिक्षा विद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय

इकाई 1: भारतीय संविधान का परिचय

1. **परिचय:** भारतीय संविधान की दृष्टि- भारत का संविधान, जिसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, आधुनिक इतिहास के सबसे व्यापक और दूरदर्शी राजनीतिक दस्तावेज़ों में से एक है। यह औपनिवेशिक शासन से आज़ादी के महत्वपूर्ण बदलाव के दौरान बना, जो भारत के स्व-शासन के लंबे संघर्ष का नतीजा था। 1947 में सत्ता का हस्तांतरण और संविधान सभा (1946–1949) की स्थापना एक संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य को आकार देने में निर्णायक मील के पत्थर थे। डॉ. बी. आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में, प्रारूप समिति ने समावेशिता और विचार-विमर्श के साथ काम किया और स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों को संवैधानिक रूप दिया। सभा में हुई बहसें एक विविध, नए स्वतंत्र समाज में न्याय, सामाजिक सुधार और राष्ट्र-निर्माण के मुद्दों के साथ गहरी जुड़ाव को दर्शाती हैं। सदियों के औपनिवेशिक शोषण के बाद, भारत को स्थिरता, वैधता और एक एकीकृत कानूनी व्यवस्था प्रदान करने के लिए एक लिखित संविधान की तत्काल आवश्यकता थी। ब्रिटेन की अलिखित संवैधानिक परंपराओं के विपरीत, भारत को अपने विविध समाज को नियंत्रित करने और रियासतों को एकीकृत करने के लिए लिखित प्रावधानों की आवश्यकता थी। संविधान निर्माताओं ने एक ऐसे दस्तावेज़ की कल्पना की जो न केवल सरकारी शक्तियों को परिभाषित करेगा बल्कि मौलिक अधिकारों की गारंटी भी देगा, सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करेगा, और लोकतंत्र के लिए एक नैतिक और संस्थागत ढांचा तैयार करेगा। इस अर्थ में, भारतीय संविधान न केवल एक कानूनी उपकरण था बल्कि परिवर्तन का एक चार्टर भी था, जिसका उद्देश्य समाज का समान आधार पर पुनर्निर्माण करना था।

संविधान की दार्शनिक नींव पश्चिमी उदारवादी सोच और भारतीय सभ्यतागत मूल्यों दोनों से ली गई है। फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श प्रस्तावना में शामिल हैं, जबकि ग्राम स्व-शासन, अहिंसा और सामाजिक सद्भाव पर गांधीवादी जोर ने राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भी प्रभावित किया। इस प्रकार संविधान एक समन्वय का प्रतीक है: व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सामूहिक कल्याण के साथ संतुलन; संसदीय लोकतंत्र का संघीय ढांचे के साथ तालमेल; और सांस्कृतिक विविधता में निहित धर्मनिरपेक्ष शासन। इस

दस्तावेज़ का मसौदा तैयार करते समय, संविधान सभा ने भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल विभिन्न विदेशी संविधानों से चुनिंदा प्रावधान अपनाए। ब्रिटिश प्रणाली से, इसने सरकार का संसदीय स्वरूप अपनाया; अमेरिकी संविधान से, मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा; आयरलैंड से, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत; कनाडा से, मजबूत केंद्र वाली संघीय प्रणाली; और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची (Concurrent List) और व्यापार-वाणिज्य के प्रावधान लिए गए। हालाँकि, यह नकल नहीं, बल्कि उसे भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल ढालने की प्रक्रिया थी। हर प्रावधान को भारत की सामाजिक-राजनीतिक सच्चाई और सभ्यता की निरंतरता के अनुरूप ढाला गया। बनावट के लिहाज़ से, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं, जो इसे दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान बनाती हैं। कई संशोधनों के बाद अब इसमें 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं, जो इसके गतिशील और विकसित होते स्वरूप को दर्शाती हैं। संशोधन की प्रक्रिया (अनुच्छेद 368) लचीलापन प्रदान करती है, जिससे संविधान समाज की ज़रूरतों के साथ विकसित हो सकता है और साथ ही अपने मूल सिद्धांतों को भी बनाए रखता है। संक्षेप में, भारतीय संविधान आज़ादी, समानता और न्याय के साथ खुद पर शासन करने की लोगों की सामूहिक इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। यह केवल एक कानूनी दस्तावेज़ नहीं, बल्कि एक जीवंत दस्तावेज़ है जो लोकतंत्र और हर नागरिक की गरिमा को बनाए रखने के भारत के संवैधानिक दृष्टिकोण की एक स्थायी अभिव्यक्ति है।

2. प्रस्तावना और उसका महत्व

1. प्रस्तावना का विकास और प्रारूपण

भारत के संविधान की प्रस्तावना देश के सर्वोच्च कानून की दार्शनिक भूमिका और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है। यह उन आदर्शों, उद्देश्यों और मूल मूल्यों को समाहित करती है जिन्हें संविधान प्राप्त करना चाहता है। प्रस्तावना का विकास भारत के स्वतंत्रता के लिए ऐतिहासिक संघर्ष और संविधान निर्माताओं की बौद्धिक दृष्टि, दोनों को दर्शाता है। प्रस्तावना की नींव 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए 'उद्देश्य प्रस्ताव' (Objectives Resolution) के साथ रखी गई थी। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से अपनाया गया और यह पूरे संविधान के लिए वैचारिक ढांचा बन गया। नेहरू के प्रस्ताव ने एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बनने के भारत के संकल्प की घोषणा की और अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की गारंटी दी। इसने अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों और अन्य कमजोर समूहों की सुरक्षा के लिए देश की प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया, जिससे समावेशिता को बढ़ावा मिला। उनके शब्दों में, यह

प्रस्ताव "भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करने के दृढ़ और गंभीर संकल्प" का प्रतीक था। इस प्रस्ताव में व्यक्त आदर्श - संप्रभुता, लोकतंत्र, गणतंत्रवाद और सामाजिक न्याय - को बाद में लगभग ज्यों का त्यों प्रस्तावना में शामिल किया गया। इस प्रकार, उद्देश्य प्रस्ताव ने संविधान के "आध्यात्मिक ब्लूप्रिंट" के रूप में कार्य किया, जिसने इसके कानूनी प्रावधानों के प्रारूपण से बहुत पहले ही इसके दर्शन को रेखांकित कर दिया। संविधान सभा में बहस के दौरान, "हम, भारत के लोग" वाक्यांश लोकप्रिय संप्रभुता की एक परिभाषित अभिव्यक्ति के रूप में उभरा। इसने औपनिवेशिक संवैधानिक व्यवस्था - जहां सत्ता क्राउन (शाही सत्ता) से आती है और एक लोकतांत्रिक प्रणाली की ओर एक क्रांतिकारी बदलाव को चिह्नित किया, जहां संप्रभुता स्वयं लोगों में निहित थी। के.एम. मुंशी, बी.आर. अंबेडकर और अल्लादि कृष्णस्वामी अय्यर जैसे सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि यह वाक्यांश संविधान को वैधता प्रदान करता है, जो यह व्यक्त करता है कि इसे लोगों द्वारा, लोगों के लिए और लोगों का बनाया गया था। बहसों से अलग-अलग राय भी सामने आईं; कुछ सदस्य चाहते थे कि ईश्वर या दैवीय मंज़ूरी का साफ़ ज़िक्र हो, जबकि अंबेडकर जैसे अन्य लोगों ने इस विचार का विरोध किया। उनका तर्क था कि संप्रभुता पूरी तरह से भारत के लोगों के पास होनी चाहिए, न कि किसी बाहरी या अलौकिक सत्ता के पास। इस फ़ैसले ने भारत की पहचान को एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में मज़बूत किया, जो दैवीय आदेश के बजाय तर्क और जनता की इच्छा से निर्देशित होता है। संविधान बनाने वालों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान (1787) की प्रस्तावना से भी काफ़ी प्रेरणा ली, जिसकी शुरुआत "हम, भारत के लोग" (We, the People) जैसे वाक्यांश से होती है। अमेरिकी प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता और आम कल्याण पर ज़ोर ने भारतीय संविधान निर्माताओं को गहराई से प्रभावित किया। हालाँकि, भारतीय संस्करण ने देश के औपनिवेशिक शासन के बाद के और विविधतापूर्ण संदर्भ को दर्शाने के लिए इन आदर्शों का विस्तार किया। जहाँ अमेरिकी प्रस्तावना मुख्य रूप से न्याय और स्वतंत्रता की स्थापना पर केंद्रित थी, वहीं भारतीय प्रस्तावना ने सामाजिक और आर्थिक न्याय, दर्जे और अवसर की समानता, और भाईचारे को बढ़ावा देने जैसे अतिरिक्त आयाम जोड़े, जो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करते हैं। इन सामाजिक उद्देश्यों को शामिल करना भारत के उस संकल्प को दर्शाता है जो राजनीतिक स्वतंत्रता से आगे बढ़कर परिवर्तनकारी संवैधानिक व्यवस्था की ओर बढ़ना चाहता था, ताकि हाशिए पर पड़े वर्गों का उत्थान हो और एक समतामूलक समाज का निर्माण हो सके। डॉ. बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति ने संविधान निर्माण प्रक्रिया के अंत में प्रस्तावना का मसौदा तैयार किया। व्यापक विचार-विमर्श के बाद, 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना को अपनाया गया—जिस दिन संविधान

को अंगीकार किया गया था—हालाँकि यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ताकि 1930 में 'पूर्ण स्वराज' (पूरी आज़ादी) की घोषणा की याद को ताज़ा रखा जा सके। अंबेडकर ने प्रस्तावना को "संविधान की कुंजी" बताया, जो लोगों की आकांक्षाओं के आलोक में इसके प्रावधानों की व्याख्या करने का आधार प्रदान करती है। इस प्रकार, प्रस्तावना का विकास और प्रारूपण भारतीय गणराज्य के नैतिक उद्भव का प्रतिनिधित्व करता है। नेहरू के 'उद्देश्य प्रस्ताव' में निहित, वैश्विक लोकतांत्रिक परंपराओं से प्रेरित और संविधान सभा की चर्चाओं के माध्यम से परिष्कृत, यह भारत के संवैधानिक दर्शन के सार को समाहित करती है। प्रस्तावना आज भी एक ऐसे राष्ट्र के विज़न को दर्शाती है जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की दिशा में प्रयास कर रहा है—ये ऐसे मूल्य हैं जो भारत की लोकतांत्रिक पहचान की आधारशिला बने हुए हैं।

2. प्रस्तावना का पाठ-आधारित विश्लेषण

भारत के संविधान की प्रस्तावना भारतीय राज्य के मार्गदर्शक सिद्धांतों और उद्देश्यों का एक संक्षिप्त लेकिन गहरा विवरण है।

यह घोषणा करती है: "हम, भारत के लोग, भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने और इसके सभी नागरिकों को न्याय (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक), विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता, तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता सुनिश्चित करने; और उन सभी के बीच बंधुत्व को बढ़ावा देने का संकल्प लेते हैं, जो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करता है।" यह संक्षिप्त लेकिन व्यापक घोषणा भारतीय संविधान के दर्शन को समेटे हुए है। प्रस्तावना का हर शब्द और वाक्यांश बहुत महत्व रखता है, जो लोगों की सामूहिक इच्छा और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की भावना को दर्शाता है।

मुख्य शब्दों का अर्थ और महत्व

1. संप्रभु (Sovereign):

'संप्रभु' शब्द भारत की पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्चता को दर्शाता है, जो बाहरी और आंतरिक दोनों स्तरों पर है। बाहरी तौर पर, इसका मतलब है कि भारत अपने घरेलू या अंतरराष्ट्रीय मामलों में विदेशी नियंत्रण से मुक्त है। आंतरिक तौर पर, इसका अर्थ है शासन की सभी संस्थाओं पर संविधान और लोगों की सर्वोच्चता। संप्रभुता का विचार भारत के स्वतंत्रता

संग्राम के केंद्र में था और यह इस बात को दर्शाता है कि सत्ता लोगों से ही मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) मामले में इस बात पर जोर दिया कि संप्रभुता अंततः भारत के लोगों में निहित है, और संविधान उनकी सामूहिक इच्छा की अभिव्यक्ति है। इसलिए, यह शब्द जन-संप्रभुता और आत्म-निर्णय के सिद्धांत की पुष्टि करता है।

2. समाजवादी (Socialist):

'समाजवादी' शब्द को 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा आपातकाल के दौरान प्रस्तावना में जोड़ा गया था। हालाँकि समाजवाद शुरू से ही राज्य के नीति-निर्देशकों के माध्यम से संविधान में निहित था, लेकिन इसे औपचारिक रूप से शामिल करने से धन और संसाधनों के समान वितरण को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि हुई। हालाँकि, भारतीय समाजवाद मार्क्सवादी या सर्वाधिकारवादी नहीं है; यह राजनीतिक लोकतंत्र को आर्थिक न्याय के साथ जोड़ने का प्रयास करता है। यह एक "मिश्रित अर्थव्यवस्था" की कल्पना करता है, जहाँ धन के संकेंद्रण को रोकने और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र राज्य के विनियमन के तहत काम करते हैं। इस प्रकार, यह शब्द लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर आर्थिक लोकतंत्र के संवैधानिक लक्ष्य को समाहित करता है।

3. धर्मनिरपेक्ष (Secular):

इसे भी 42वें संशोधन (1976) द्वारा जोड़ा गया था। 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द यह बताता है कि राज्य सभी धर्मों से समान दूरी बनाए रखता है और अंतरात्मा की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता अद्वितीय है; यह धर्म-विरोधी नहीं बल्कि बहु-धार्मिक और समावेशी है। यह अनुच्छेद 25-28 के तहत गारंटीकृत किसी भी धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने या किसी भी धर्म को न मानने के प्रत्येक नागरिक के अधिकार का समर्थन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) मामले में धर्मनिरपेक्षता को संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा घोषित किया। इसलिए, धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल एक बहुलवादी समाज में विभिन्न धर्मों के सौहार्दपूर्ण सह-अस्तित्व का लक्ष्य रखता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि धर्म शासन या नागरिक अधिकारों में हस्तक्षेप न करे।

4. लोकतांत्रिक (Democratic):

'लोकतांत्रिक' शब्द यह बताता है कि अंतिम अधिकार भारत के लोगों के पास है, जो इसका प्रयोग सीधे या अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से करते हैं। भारत में लोकतंत्र राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर काम करता है। राजनीतिक लोकतंत्र सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, समय-समय पर होने वाले चुनावों और संसदीय शासन के माध्यम से व्यक्त होता है, जबकि सामाजिक लोकतंत्र समानता बनाए रखने और सामाजिक पदानुक्रम को खत्म करने का प्रयास करता है। डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने जोर दिया कि राजनीतिक लोकतंत्र को सार्थक बनाने के लिए उसके साथ सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का होना भी आवश्यक है। भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली सहभागी, समावेशी और प्रतिनिधिमूलक है, जिसका लक्ष्य प्रत्येक नागरिक के लिए समान आवाज़ और अवसर सुनिश्चित करना है।

5. गणतंत्र:

गणतंत्र शब्द दर्शाता है कि राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं, यह सभी नागरिकों के बीच समानता पर जोर देता है। यह भारत के राजशाही शासन से पूर्ण विराम और लोकप्रिय संप्रभुता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। गणतांत्रिक चरित्र जवाबदेही सुनिश्चित करता है, क्योंकि राष्ट्रपति जैसे राज्य के सर्वोच्च पद लोगों की इच्छा से वैधता प्राप्त करते हैं। इसके अलावा, यह मनुष्यों की नहीं, बल्कि कानूनों की सरकार का प्रतिनिधित्व करती है, जो कानून के समक्ष समानता और संविधान की सर्वोच्चता की पुष्टि करती है।

6. न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श

न्याय:

प्रस्तावना भारतीय गणराज्य की व्यापक दृष्टि को दर्शाते हुए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की गारंटी देती है।

• सामाजिक न्याय का उद्देश्य जाति, लिंग और स्थिति-आधारित असमानताओं को खत्म करना है।

• आर्थिक न्याय धन और संसाधनों का उचित वितरण चाहता है।

• राजनीतिक न्याय राजनीतिक प्रक्रिया में समान भागीदारी सुनिश्चित करता है।

इन आदर्शों को मौलिक अधिकारों (भाग III) और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (भाग IV) के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है, जिससे अधिकारों और कल्याण के बीच संतुलन बनता है।

स्वतंत्रता:

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता का समावेश उदार और मानवतावादी दोनों परंपराओं को दर्शाता है। यह संवैधानिक ढांचे के भीतर व्यक्तिगत स्वायत्तता सुनिश्चित करता है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतंत्रता की व्याख्या केवल मनमाने संयम से मुक्ति के रूप में नहीं, बल्कि व्यक्तिगत विकास और गरिमा के लिए एक आवश्यक शर्त के रूप में की। भारत में स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है; इसे सामाजिक व्यवस्था के रखरखाव और दूसरों के अधिकारों के सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए विनियमित किया जाता है।

समानता:

प्रस्तावना स्थिति और अवसर की समानता को सुनिश्चित करती है, यह सुनिश्चित करती है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है (अनुच्छेद 15)। इसका तात्पर्य कानून के समक्ष औपचारिक समानता और शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक वस्तुओं तक पहुंच में वास्तविक समानता दोनों है। सकारात्मक कार्रवाई और आरक्षण नीतियों के माध्यम से, राज्य संरचनात्मक असमानताओं को कम करते हुए इस आदर्श को व्यवहार में लाना चाहता है।

बंधुत्व:

बंधुत्व सभी नागरिकों के बीच भाईचारे की भावना को बढ़ावा देकर भारत की विशाल विविधता की एकता को रेखांकित करता है। यह व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता दोनों को सुनिश्चित करता है। डॉ. अम्बेडकर ने बंधुत्व को "संवैधानिक संरचना का सीमेंट" कहा, जो सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए आवश्यक है। भाषाई, सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता से चिह्नित देश में, भाईचारा राष्ट्रीय एकता और लोकतांत्रिक सह-अस्तित्व के लिए नैतिक आधार के रूप में कार्य करता है।

संविधान के मूल दर्शन और उद्देश्यों का प्रतिबिंब

प्रस्तावना संविधान के दर्शन का एक सूक्ष्म रूप है। यह भारतीय राज्य के लक्ष्यों (न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व) और गणतंत्र के राजनीतिक चरित्र (संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र) को व्यक्त करता है। यह संवैधानिक व्याख्या के लिए मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में कार्य करता है, जैसा कि केशवानंद भारती (1973) और एलआईसी ऑफ इंडिया बनाम उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान केंद्र (1995) मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी, जहां प्रस्तावना को "संविधान का पहचान पत्र" के रूप में वर्णित किया गया था। संक्षेप में, प्रस्तावना भारत के परिवर्तनकारी संविधानवाद का प्रतीक है कि संविधान सामाजिक परिवर्तन के लिए एक उपकरण है, न कि केवल एक कानूनी ढांचा। यह स्वतंत्रता संग्राम की नैतिक दृष्टि और शासन की वास्तविकताओं के बीच की खाई को खत्म करता है और यह सुनिश्चित करता है कि भारतीय गणतंत्र लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवीय गरिमा में निहित रहे। प्रस्तावना का प्रत्येक शब्द देश को भारत की संवैधानिक पहचान के शाश्वत स्तंभों न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की खोज के लिए प्रेरित करता है।

3. 42वां संशोधन (1976) और प्रस्तावना

1976 के 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, जिसे अक्सर "मिनी-संविधान" कहा जाता है, ने आंतरिक आपातकाल (1975–77) के दौरान भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण बदलाव किए। इसके कई प्रावधानों में से एक सबसे उल्लेखनीय बदलाव प्रस्तावना में संशोधन था - 1950 के बाद यह एकमात्र बार था जब प्रस्तावना में संशोधन किया गया। इस संशोधन ने तीन मुख्य शब्द जोड़े: "समाजवादी", "धर्मनिरपेक्ष" और "राष्ट्र की अखंडता"।

"समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" शब्दों को जोड़ना

भारतीय राज्य की वैचारिक दिशा को फिर से स्पष्ट करने के लिए "संप्रभु" और "लोकतांत्रिक" शब्दों के बीच "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" शब्द जोड़े गए।

समाजवादी:

"समाजवादी" शब्द को शामिल करना सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करने तथा धन और अवसरों की असमानता को कम करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हालाँकि समाजवाद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (अनुच्छेद 38–39) के माध्यम से संविधान में पहले से ही निहित था, लेकिन इसे स्पष्ट रूप से जोड़ने का अर्थ था राज्य का मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल अपनाने का संकल्प, जो सार्वजनिक कल्याण और निजी उद्यम के बीच

संतुलन बनाता है। समाजवाद की भारतीय अवधारणा, मार्क्सवादी सामूहिकतावाद के विपरीत, लोकतांत्रिक समाजवाद का समर्थन करती है, जिसमें कल्याण, समानता और स्वतंत्रता पर जोर दिया जाता है।

धर्मनिरपेक्ष:

"धर्मनिरपेक्ष" शब्द को जोड़ने से सभी धर्मों के प्रति राज्य का तटस्थ रुख औपचारिक रूप से घोषित हो गया। इसने गारंटी दी कि सरकार किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेगी और न ही भेदभाव करेगी, और अनुच्छेद 25–28 में निहित पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखेगी। हालाँकि, भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी मॉडल से अलग है - यह धर्म और राज्य के बीच सख्त अलगाव के बजाय सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए सभी धर्मों के साथ सकारात्मक जुड़ाव की अनुमति देती है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) मामले में पुष्टि की कि धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है और इसलिए इसे विधायी संशोधन के माध्यम से बदला नहीं जा सकता।

"राष्ट्र की एकता और अखंडता" को जोड़ना

42वें संशोधन से पहले, प्रस्तावना इस वाक्यांश के साथ समाप्त होती थी: "व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता।" "और अखंडता" शब्द जोड़ने से भारत की अविभाज्य प्रकृति और 1970 के दशक में चल रहे अलगाववादी आंदोलनों व आंतरिक अशांति के बीच राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया गया। इससे यह बात रेखांकित हुई कि भाईचारे की भावना केवल भावनात्मक एकता तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसका विस्तार क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा तक भी होना चाहिए।

प्रस्तावना में संशोधन पर समकालीन बहस

क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, यह संवैधानिक बहस का विषय रहा है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) के ऐतिहासिक मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालांकि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, लेकिन इसका इस्तेमाल संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करने के लिए नहीं किया जा सकता है। इसलिए, संशोधन तभी किए जा सकते हैं जब वे संविधान की मूल विचारधारा या बुनियादी विशेषताओं को न बदलें। हाल के समय में, "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" शब्दों को हटाने या उनकी नई व्याख्या करने के बारे में चर्चा फिर से शुरू हुई है। आलोचकों का तर्क है कि ये शब्द आपातकाल के दौरान राजनीतिक कारणों

से जोड़े गए थे, जबकि समर्थकों का कहना है कि इन्होंने केवल उन मूल्यों को स्पष्ट रूप से मान्यता दी जो पहले से ही संविधान में निहित थे। इन बहसों के बावजूद, 42वें संशोधन से समृद्ध हुई प्रस्तावना भारतीय गणराज्य के लिए एक नैतिक और दार्शनिक मार्गदर्शक बनी हुई है। यह नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों के तहत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और अखंड राष्ट्र के रूप में एकजुट करती है।

4. न्यायिक व्याख्या और ऐतिहासिक मामले

भारतीय संविधान की प्रस्तावना गणराज्य के शुरुआती वर्षों से ही महत्वपूर्ण न्यायिक व्याख्या का विषय रही है। हालांकि यह कोई शक्ति प्रदान नहीं करती है और न ही कोई लागू करने योग्य सीमाएं तय करती है, फिर भी अदालतों ने इसे हमेशा संविधान निर्माताओं की सोच को समझने की कुंजी और संवैधानिक व्याख्या के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में देखा है। समय के साथ, प्रस्तावना के प्रति सुप्रीम कोर्ट का नज़रिया बदला है; पहले इसे केवल एक शुरुआती बयान माना जाता था, लेकिन अब इसे संविधान के मूल ढांचे का एक अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है।

बेरुबारी यूनियन मामला (1960): क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है?

प्रस्तावना पर पहला बड़ा न्यायिक फैसला 'इन री: बेरुबारी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ एन्क्लेव' (1960) मामले में आया था। यह मुद्दा तब उठा जब भारत सरकार ने 1958 के नेहरू-नून समझौते के बाद बेरुबारी यूनियन (पश्चिम बंगाल में) का कुछ हिस्सा पाकिस्तान को सौंपने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल यह था कि क्या ऐसा हस्तांतरण कार्यकारी कार्रवाई के माध्यम से किया जा सकता है या इसके लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है, और क्या प्रस्तावना ऐसे कार्य के लिए शक्ति का स्रोत बन सकती है। मुख्य न्यायाधीश बी.पी. की अध्यक्षता वाली अदालत ने... सिन्हा ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है और यह कोई खास अधिकार या सीमाएं तय नहीं करती है। कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना सिर्फ़ संविधान बनाने वालों की सोच को समझने का एक ज़रिया है, न कि विधायी या कार्यकारी अधिकार का स्रोत। नतीजतन, कोर्ट ने फैसला सुनाया कि प्रस्तावना का हवाला देकर इलाके में बदलाव को सही नहीं ठहराया जा सकता; इसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत औपचारिक संवैधानिक संशोधन की ज़रूरत थी। इस व्याख्या से प्रस्तावना की कानूनी स्थिति के बारे में एक सीमित नज़रिया सामने आया। हालाँकि, इसने भविष्य की बहसों की नींव भी रखी, क्योंकि कानूनविदों और संवैधानिक विशेषज्ञों ने यह सवाल उठाना शुरू कर दिया कि क्या प्रस्तावना

को - भले ही इसे कानूनी रूप से लागू न किया जा सके - फिर भी संवैधानिक व्याख्या का एक अहम हिस्सा माना जाना चाहिए।

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973):

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) के ऐतिहासिक मामले में एक निर्णायक बदलाव आया। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की 13 जजों की बेंच ने सुनाया था, जो भारतीय न्यायिक इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी बेंच थी। इस मामले में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति की सीमा पर सवाल उठाया गया था, खासकर इस बात पर कि क्या वह इसके "मूल ढांचे" (basic structure) को बदल सकती है। इस मामले में, कोर्ट ने बेरूबारी मामले के नजरिए को खारिज कर दिया और माना कि प्रस्तावना वास्तव में संविधान का ही एक हिस्सा है। मुख्य न्यायाधीश एस.एम. सीकरी और कई सहमत जजों ने प्रस्तावना को संविधान का "पहचान पत्र" बताया और इस बात पर जोर दिया कि इसमें वे बुनियादी मूल्य और उद्देश्य शामिल हैं जो संविधान की सभी व्याख्याओं का मार्गदर्शन करते हैं। कोर्ट ने कहा कि हालांकि प्रस्तावना कोई शक्ति नहीं देती, लेकिन यह उन आदर्शों और सिद्धांतों को बताती है जिनके आधार पर राज्य को काम करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी मामले से "मूल ढांचे का सिद्धांत" (basic structure doctrine) सामने आया। इस सिद्धांत के अनुसार, संसद संविधान में ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती जो लोकतंत्र, गणतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और कानून के शासन जैसी इसकी ज़रूरी विशेषताओं को खत्म कर दे—ये सभी विशेषताएं प्रस्तावना में शामिल हैं। इस तरह, प्रस्तावना को संवैधानिक मान्यता मिली; यह संविधान की व्याख्या करने के साधन और मनमाने संशोधनों से संविधान की रक्षा करने वाले सुरक्षा कवच, दोनों के रूप में काम करती है।

LIC ऑफ इंडिया बनाम कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर (1995): मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में प्रस्तावना

LIC ऑफ इंडिया बनाम कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर (1995) मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक-आर्थिक अधिकारों को मजबूत करने के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया। यह मामला एक सरकारी निगम द्वारा दी जाने वाली जीवन बीमा पॉलिसियों में निष्पक्षता और उचित व्यवहार के मुद्दे से जुड़ा था। कोर्ट ने एक प्रगतिशील व्याख्या करते हुए माना कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है, जिसमें आर्थिक और सामाजिक कल्याण भी आता है। फैसले में उपभोक्ता अधिकारों और

कल्याणकारी उपायों को संवैधानिक सुरक्षा देने को सही ठहराने के लिए प्रस्तावना में न्याय—सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक—पर दिए गए जोर का हवाला दिया गया। जस्टिस के. रामास्वामी ने कहा कि प्रस्तावना, भले ही कानूनी रूप से लागू करने योग्य न हो, संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करने और यह सुनिश्चित करने में एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाती है कि राज्य के काम एक कल्याणकारी राज्य के लक्ष्यों के अनुरूप हों। इस मामले से पता चलता है कि न्यायपालिका 'नीति-निर्देशक तत्वों' (Directive Principles) के साथ तालमेल बिठाते हुए 'मौलिक अधिकारों' (fundamental rights) का दायरा बढ़ाने के लिए 'प्रस्तावना' (Preamble) को एक 'नैतिक दिशा-सूचक' (moral compass) के तौर पर तेजी से अपना रही है।

यूनियन ऑफ़ इंडिया बनाम मदनगोपाल और बाद के कानूनी फैसले

यूनियन ऑफ़ इंडिया बनाम मदनगोपाल (1954) मामले में, बेरूबारी मामले से भी पहले, सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि प्रस्तावना का इस्तेमाल संविधान के अस्पष्ट प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए एक साधन के तौर पर किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि भले ही प्रस्तावना का कोई स्वतंत्र कानूनी बल न हो, लेकिन संविधान की असली भावना को समझने में आने वाले संदेहों को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। व्याख्या करने की इस भूमिका की पुष्टि बाद में S.R. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया (1994) जैसे मामलों में भी की गई, जिसमें प्रस्तावना से निकले 'धर्मनिरपेक्षता' (secularism) के सिद्धांत को संविधान के 'मूल ढांचे' (basic structure) का हिस्सा घोषित किया गया; और इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया (1992) मामले में, जिसमें सामाजिक और आर्थिक न्याय के आदर्शों का आधार प्रस्तावना को ही माना गया।

5. **महत्व और समकालीन प्रासंगिकता**

भारतीय संविधान की प्रस्तावना केवल एक सजावटी परिचय नहीं है; यह देश की संवैधानिक यात्रा के लिए एक नैतिक और दार्शनिक दिशा-सूचक (कम्पास) का काम करती है। यह भारत की लोकतांत्रिक पहचान के सार को दर्शाती है और आज के समय में भी कानूनी, राजनीतिक और नागरिक जीवन को आकार देती है। हालांकि इसे सीधे तौर पर लागू नहीं कराया जा सकता, लेकिन इसकी व्याख्या करने की क्षमता, शैक्षिक महत्व और प्रतीकात्मक शक्ति इसे भारत की संवैधानिक संस्कृति का एक जीवंत हिस्सा बनाती है।

नैतिक दिशा-सूचक और व्याख्या के लिए मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तावना

प्रस्तावना एक नैतिक प्रकाश-स्तंभ की तरह काम करती है जो संविधान की व्याख्या और राज्य की नीतियों, दोनों का मार्गदर्शन करती है। यह संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और गणतंत्र जैसे मुख्य मूल्यों को स्पष्ट करती है और न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को संवैधानिक व्यवस्था की आत्मा के रूप में स्थापित करती है। ये आदर्श राज्य के अंगों को दिशा देते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि कानून का अक्षरशः पालन उसकी मूल भावना से न भटके। न्यायपालिका ने अक्सर संवैधानिक मामलों की सुनवाई में प्रस्तावना का सहारा एक मार्गदर्शक के तौर पर लिया है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) और एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) जैसे ऐतिहासिक फैसलों में संविधान के 'मूल ढांचे' (basic structure) को तय करने के लिए प्रस्तावना पर भरोसा किया गया। इन फैसलों ने पुष्टि की कि लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और कानून का शासन भारत की शासन-व्यवस्था की ऐसी नींव हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। इस प्रकार, प्रस्तावना संवैधानिक वैधता की कसौटी के रूप में कार्य करती है और यह सुनिश्चित करती है कि सभी संशोधन, कानून और नीतियां न्याय और समानता के मूल दृष्टिकोण के अनुरूप हों।

न्यायिक सक्रियता और संवैधानिक नैतिकता में भूमिका

आज के भारत में, न्यायिक सक्रियता और संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत के कारण प्रस्तावना का महत्व और बढ़ गया है। अदालतों ने मौलिक अधिकारों के दायरे को बढ़ाने और सामाजिक व आर्थिक न्याय को बनाए रखने के लिए इसका उपयोग किया है। उदाहरण के लिए, पर्यावरण संरक्षण, लैंगिक समानता और डिजिटल गोपनीयता से जुड़े मामलों में, न्यायपालिका ने प्रस्तावना के आदर्शों का सहारा लेते हुए यह बात जोर देकर कही है कि शासन-व्यवस्था को व्यक्तियों के कल्याण और सम्मान के लिए काम करना चाहिए। 'संवैधानिक नैतिकता' (constitutional morality) का कॉन्सेप्ट, जिसे नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018) और दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ (2018) जैसे फैसलों से बढ़ावा मिला, काफी हद तक संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर दिए गए ज़ोर पर आधारित है। यह संस्थाओं और नागरिकों, दोनों से कहता है कि वे संविधान की प्रक्रियात्मक बातों से आगे बढ़कर उसकी नैतिक भावना को बनाए रखें। इस तरह, प्रस्तावना बदलती हुई सोसाइटी में अधिकारों और कर्तव्यों की प्रगतिशील व्याख्या के लिए प्रेरणा देती रहती है।

नागरिक शिक्षा और संवैधानिक संस्कृति में प्रस्तावना

अदालतों और विधायिकाओं से परे, नागरिक शिक्षा और जन-चेतना में प्रस्तावना का बहुत महत्व है। इसे स्कूलों में पढ़ा जाता है, सार्वजनिक संस्थानों में प्रदर्शित किया जाता है और राष्ट्रीय कार्यक्रमों के दौरान भारत के साझे भविष्य की याद दिलाने के लिए इसका ज़िक्र किया जाता है। "हम, भारत के लोग" पर ज़ोर देकर, यह जनता की संप्रभुता और संविधान के अंतिम संरक्षक के रूप में नागरिक की भूमिका के सिद्धांत को मज़बूत करता है। इस प्रकार प्रस्तावना संवैधानिक देशभक्ति को बढ़ावा देती है - एक ऐसी भावना जो पहचान के आधार पर बंटवारे के बजाय साझे मूल्यों पर आधारित होती है। सामाजिक ध्रुवीकरण के समय में, यह सभी नागरिकों के बीच न्याय, समानता और बंधुत्व के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का एक जोड़ने वाला प्रतीक बनी हुई है।

आलोचनाएँ: प्रतीकात्मक बनाम वास्तविक महत्व

हालाँकि, विद्वान और आलोचक अक्सर इस बात पर बहस करते हैं कि प्रस्तावना का प्रभाव वास्तविक है या केवल प्रतीकात्मक। कुछ लोगों का तर्क है कि इसके ऊँचे आदर्शों के बावजूद, संवैधानिक वादों और ज़मीनी हकीकत (जैसे असमानता, सांप्रदायिक तनाव और सामाजिक अन्याय) के बीच का अंतर एक प्रतीकात्मक अंतर को दर्शाता है। वहीं, दूसरों का मानना है कि प्रस्तावना की असली ताकत इसकी आदर्शवादी और प्रेरणादायक भूमिका में है, जो ऐसे नैतिक मानक तय करती है जिनके आधार पर संस्थानों और नीतियों को परखा जाता है। भले ही प्रस्तावना सीधे तौर पर न्याय या समानता लागू न करे, लेकिन यह कानूनों और शासन के माध्यम से उन्हें साकार करने के लिए वैचारिक आधार प्रदान करती है। न्यायिक तर्कों, सार्वजनिक बहसों और नागरिक चर्चाओं में इसका लगातार ज़िक्र यह दिखाता है कि यह एक जीवित दस्तावेज़ है - न कि अतीत की कोई पुरानी चीज़, बल्कि भारत के संवैधानिक भविष्य का मार्गदर्शन करने वाला एक दूरदर्शी बयान।

III. संविधान की मुख्य विशेषताएँ और 'मूल ढाँचे' (Basic Structure) पर बहस

1. मूल ढाँचे का सिद्धांत (Basic Structure Doctrine)

'मूल ढाँचे का सिद्धांत' भारतीय संवैधानिक कानून में सबसे महत्वपूर्ण न्यायिक नवाचारों में से एक है। यह सिद्धांत स्थापित करता है कि हालाँकि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की व्यापक शक्तियाँ हैं, लेकिन वह इसकी मूलभूत विशेषताओं को बदल या नष्ट नहीं कर सकती है। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि संविधान के मुख्य सिद्धांत और बुनियादी दर्शन - जैसे लोकतंत्र, कानून का शासन, धर्मनिरपेक्षता और न्यायपालिका की

स्वतंत्रता - अक्षुण्ण रहें, जिससे मनमाने विधायी कार्यों के विरुद्ध इस दस्तावेज़ की मूल भावना सुरक्षित रहे।

"मूल ढाँचे" का अर्थ और उत्पत्ति

"मूल ढाँचा" शब्द संविधान के उन ज़रूरी तत्वों को दर्शाता है जो इसकी पहचान और अखंडता को परिभाषित करते हैं। ये तत्व संविधान का वह मुख्य हिस्सा बनाते हैं जिसमें संसद द्वारा पारित संवैधानिक संशोधन के ज़रिए भी कोई बदलाव या उसे खत्म नहीं किया जा सकता है। इस सिद्धांत का संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया था, बल्कि न्यायिक व्याख्या के माध्यम से इसका विकास हुआ। इसकी उत्पत्ति केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) के ऐतिहासिक मामले से हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की 13-न्यायाधीशों की पीठ ने 7-6 के मामूली बहुमत से यह फैसला सुनाया कि हालाँकि संसद की संशोधन शक्ति व्यापक है, लेकिन यह असीमित नहीं है। कोर्ट ने फैसला दिया कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए भी संविधान के "मूल ढाँचे" को नष्ट नहीं कर सकती है। मुख्य न्यायाधीश एस.एम. सीकरी ने कुछ प्रमुख तत्वों की पहचान 'मूल ढाँचे' के हिस्से के रूप में की: संविधान की सर्वोच्चता, सरकार का गणतंत्रात्मक और लोकतांत्रिक स्वरूप, धर्मनिरपेक्षता, शक्तियों का पृथक्करण और संघवाद। यह संवैधानिक रूप से एक अहम मोड़ था: इसने संविधान की सर्वोच्चता और उसके संरक्षक के तौर पर न्यायपालिका की भूमिका को स्थापित किया। इस सिद्धांत ने यह पक्का किया कि भारत के लोकतंत्र को सिर्फ़ संसदीय बहुमत के ज़रिए तानाशाही या सर्वाधिकारवादी शासन में नहीं बदला जा सकता।

संवैधानिक संशोधन और न्यायिक समीक्षा

'मूल ढांचा सिद्धांत' (Basic Structure Doctrine) न्यायपालिका को संवैधानिक संशोधनों की समीक्षा करने और संविधान की ज़रूरी विशेषताओं का उल्लंघन करने वाले संशोधनों को रद्द करने का अधिकार देता है। इस सिद्धांत को बाद के मामलों जैसे इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण (1975), मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980), और आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007) में फिर से दोहराया गया। इन फैसलों के ज़रिए, सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया कि न्यायिक समीक्षा खुद 'मूल ढांचे' का हिस्सा है, जिससे यह पक्का होता है कि संसदीय संप्रभुता पर संवैधानिक सर्वोच्चता बनी रहे। इसलिए, जब संसद की संशोधन करने की शक्ति संविधान की पहचान के लिए खतरा बनती है, तो वह भी न्यायिक जांच के दायरे में आती है। असल में, 'मूल ढांचा सिद्धांत' एक संवैधानिक सुरक्षा कवच के तौर पर काम करता

है जो लचीलेपन और स्थिरता के बीच संतुलन बनाता है। यह भारतीय संविधान को कुछ समय के लिए बने राजनीतिक बहुमत की मनमानी से बचाता है और यह पक्का करता है कि इसके मुख्य मूल्य हमेशा बने रहें - जो संवैधानिक लोकतंत्र का एक जीवंत प्रमाण हैं।

2. 'मूल ढांचा सिद्धांत' सिद्धांत के बनने का ऐतिहासिक संदर्भ

भारत में 'मूल ढांचा सिद्धांत' का उदय अचानक हुआ कोई न्यायिक आविष्कार नहीं था, बल्कि यह संसद की संशोधन शक्ति और मौलिक अधिकारों के संरक्षक के तौर पर सुप्रीम कोर्ट की भूमिका के बीच दो दशकों से ज़्यादा समय तक चले संवैधानिक टकराव का नतीजा था। गणतंत्र के शुरुआती सालों से ही, सामाजिक सुधार कानूनों और व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के बीच तनाव ने एक ऐसी संवैधानिक बातचीत को आकार दिया, जिसने आखिरकार केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) मामले में इस सिद्धांत को जन्म दिया।

शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ (1951): संसद के प्रति न्यायिक सम्मान

आज़ादी के कुछ ही समय बाद, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ (1951) मामले में संसद की संशोधन करने की शक्ति की पहली बड़ी परीक्षा हुई। इस मामले में पहले संवैधानिक संशोधन अधिनियम (1951) को चुनौती दी गई थी। इस अधिनियम के ज़रिए अनुच्छेद 31A और 31B जोड़े गए थे ताकि भूमि सुधार कानूनों को संपत्ति के अधिकार (जो उस समय अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 के तहत एक मौलिक अधिकार था) के उल्लंघन के आधार पर रद्द होने से बचाया जा सके। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि संसद अनुच्छेद 13(2) के तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, क्योंकि यह अनुच्छेद राज्य को ऐसा कोई भी "कानून" बनाने से रोकता है जो मौलिक अधिकारों को छीनता या कम करता हो। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से संशोधन को सही ठहराया। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 13(2) में "कानून" शब्द का अर्थ केवल सामान्य कानून से है, न कि अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संवैधानिक संशोधनों से। इस प्रकार, कोर्ट ने माना कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति है, जिसमें मौलिक अधिकारों वाला अध्याय भी शामिल है। यह फैसला सामाजिक-आर्थिक सुधारों, विशेषकर भूमि के पुनर्वितरण को संभव बनाने के लिए संसदीय संप्रभुता का सम्मान करने की शुरुआती न्यायिक प्रवृत्ति को दर्शाता है।

सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य (1965): असहमति के साथ पुष्टि

एक दशक बाद, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य (1965) मामले में यह मुद्दा फिर से उठा। इसमें 17वें संशोधन (1964) को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत नौवीं अनुसूची का विस्तार करके भूमि सुधार कानूनों को फिर से सुरक्षा दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से शंकरी प्रसाद मामले में अपनी पिछली स्थिति को दोहराया और माना कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति पूर्ण (plenary) है। हालाँकि, इस मामले ने न्यायिक सहमति में पहली दरार पैदा की। जस्टिस हिदायतुल्ला और जस्टिस मुधोलकर ने अपनी सहमति वाली लेकिन सतर्क राय में सवाल उठाया कि क्या संसद की संशोधन शक्ति वास्तव में असीमित है। खास तौर पर जस्टिस मुधोलकर ने पूछा कि क्या संविधान की कुछ ऐसी "मूल विशेषताएँ" (basic features) हैं जिन्हें बिल्कुल भी बदला नहीं जा सकता—यह एक ऐसा सवाल था जिसने उस सिद्धांत का संकेत दिया जो बाद में केशवानंद भारती मामले में सामने आया।

गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967):

गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967)। इस मामले में 17वें संशोधन को फिर से चुनौती दी गई, खासकर संपत्ति के अधिकार और समानता पर इसके असर को लेकर। 6-5 के मामूली बहुमत से, सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के फैसलों को पलटते हुए कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। मुख्य न्यायाधीश सुब्बा राव और बहुमत ने माना कि संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13(2) के अर्थ में एक "कानून" है, और इसलिए यह न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है। कोर्ट ने तर्क दिया कि मौलिक अधिकार संविधान का मूल हिस्सा हैं, जो नागरिकों के उन "सर्वोच्च" अधिकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें संसद भी कम नहीं कर सकती। हालाँकि, तुरंत अफरा-तफरी से बचने के लिए, कोर्ट ने 'प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग' (भविष्य में लागू होने वाले फैसले) का सिद्धांत अपनाया, जिसका मतलब था कि यह फैसला पिछले संशोधनों पर लागू नहीं होगा, बल्कि भविष्य के संशोधनों पर लागू होगा। इस तरह गोलकनाथ फैसले ने न्यायपालिका की सर्वोच्चता को स्थापित किया और मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की संसद की शक्ति को प्रभावी ढंग से रोक दिया।

24वां, 25वां और 26वां संशोधन: राजनीतिक पृष्ठभूमि

गोलकनाथ फैसले ने न्यायपालिका और संसद के बीच एक संवैधानिक और राजनीतिक संकट पैदा कर दिया। अपनी सत्ता को फिर से स्थापित करने के लिए, इंदिरा गांधी सरकार ने कई संशोधन पेश किए जिनसे संसद की शक्तियाँ बढ़ गईं।

- 24वें संशोधन (1971) ने स्पष्ट रूप से पुष्टि की कि संसद संविधान के "किसी भी प्रावधान" में संशोधन कर सकती है, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं, और राष्ट्रपति के लिए ऐसे संशोधनों को मंजूरी देना अनिवार्य कर दिया।

- 25वें संशोधन (1971) ने अनुच्छेद 31C को जोड़कर संपत्ति के अधिकार को सीमित कर दिया, जिससे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (अनुच्छेद 39(b) और 39(c)) को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई।

- 26वें संशोधन (1971) ने पूर्व शासकों के प्रिवी पर्स और विशेष विशेषाधिकारों को खत्म कर दिया, जो अधिक सामाजिक समानता की ओर बदलाव का संकेत था।

ये कदम एक गरमा-गरम राजनीतिक माहौल में उठाए गए थे, जहाँ सरकार "गरीबी हटाओ" के नारे के तहत अपना समाजवादी एजेंडा आगे बढ़ाना चाहती थी, जो अक्सर व्यक्तिगत अधिकारों की न्यायिक सुरक्षा के साथ टकराव की स्थिति पैदा करता था। कार्यपालिका के लोकलुभावन जनादेश और न्यायपालिका की संवैधानिक संरक्षक भूमिका के बीच बढ़ते टकराव का नतीजा केशवानंद भारती मामले (1973) के रूप में सामने आया। इस ऐतिहासिक फ़ैसले ने दो विपरीत विचारों के बीच संतुलन बनाया। इसमें कहा गया कि संसद सामाजिक-आर्थिक सुधार के लिए संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन उसके मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती।

3. **केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973):**

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) का फ़ैसला भारतीय संवैधानिक इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। इसने 'मूल ढाँचे के सिद्धांत' (Basic Structure Doctrine) को जन्म दिया, जो एक न्यायिक नवाचार है और आज भी भारत में संवैधानिक शासन के स्वरूप को आकार दे रहा है। यह मामला विधायिका की संविधान संशोधन की शक्तियों और मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की न्यायपालिका की शक्ति के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव के कारण सामने आया था।

मामले के तथ्य और संवैधानिक सवाल

केरल में एडनीर मठ के प्रमुख स्वामी केशवानंद भारती ने 'केरल भूमि सुधार अधिनियम, 1963' को चुनौती दी। इस अधिनियम ने धार्मिक संपत्ति के प्रबंधन पर प्रतिबंध लगाए थे और किरायेदारों के पक्ष में भूमि के पुनर्वितरण का प्रावधान किया था। याचिकाकर्ता का तर्क था कि

ये प्रावधान अनुच्छेद 25, 26, 14, 19(1)(f) और 31 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, जो धार्मिक स्वतंत्रता, समानता और संपत्ति के अधिकार की गारंटी देते हैं। हालाँकि तात्कालिक मुद्दा संपत्ति और धार्मिक अधिकारों से जुड़ा था, लेकिन व्यापक संवैधानिक सवाल यह था कि क्या अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति असीमित है, या उस शक्ति पर कुछ अंतर्निहित प्रतिबंध हैं। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने संवैधानिक संशोधन के मामलों में संसद की सर्वोच्चता पर ज़ोर दिया। सरकार का तर्क था कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान के किसी भी हिस्से को बदलने या उसे खत्म करने की शक्ति प्राप्त है, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं। याचिकाकर्ता और उनका समर्थन करने वाले कानूनविदों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि लोकतंत्र, कानून का शासन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता जैसी कुछ ज़रूरी विशेषताएँ संशोधन के दायरे से बाहर हैं, क्योंकि वे संविधान की मूल पहचान हैं। यह टकराव पहले के मामलों - शंकरी प्रसाद (1951), सज्जन सिंह (1965) और गोलकनाथ (1967) - से ही चल रहा था, जिनमें सुप्रीम कोर्ट का रुख इस बात पर बदलता रहा था कि क्या संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है या नहीं। गोलकनाथ मामले के जवाब में 24वें, 25वें और 26वें संवैधानिक संशोधन (1971) किए गए, ताकि संसद की संशोधन शक्ति को स्पष्ट रूप से बहाल किया जा सके और कुछ सामाजिक-आर्थिक सुधारों के मामले में न्यायिक समीक्षा को सीमित किया जा सके। **बहुमत और अल्पमत की राय**

इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी बेंच (13 जजों) ने की थी। 24 अप्रैल 1973 को सुनाया गया फैसला बंटा हुआ था (7:6), लेकिन इससे एक बहुत महत्वपूर्ण और स्थायी सिद्धांत सामने आया।

बहुमत की राय

बहुमत ने अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति को बरकरार रखा, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल थे। हालाँकि, उन्होंने एक अहम सीमा तय की कि इस शक्ति का इस्तेमाल संविधान के "मूल ढांचे" (basic structure) या ज़रूरी विशेषताओं को खत्म करने या बदलने के लिए नहीं किया जा सकता। मुख्य न्यायाधीश एस. एम. सिकरी और न्यायाधीश शेलत, ग्रोवर, हेगड़े, मुखर्जी, जगनमोहन रेड्डी और खन्ना ने तर्क दिया कि हालाँकि संविधान बनाने वालों ने संशोधन की व्यापक शक्तियाँ दी थीं, लेकिन इन शक्तियों का मकसद संविधान को फिर से लिखना या उसके बुनियादी सिद्धांतों को कमजोर करना नहीं था। जस्टिस एच. आर. खन्ना की सहमति वाली राय निर्णायक वोट साबित हुई। उन्होंने कहा कि

"संशोधन" शब्द का मतलब है कि संविधान का मूल ढांचा या रूप-रेखा बरकरार रहेगी। इस प्रकार, संसद किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन इस हद तक नहीं कि संविधान की पहचान ही बदल जाए। संशोधन की शक्ति संविधान-निर्माण की शक्ति (constituent power) के समान नहीं थी, और इसके इस्तेमाल से संविधान का मूल स्वरूप बना रहना चाहिए।

अल्पमत की राय (6 जज)

जस्टिस ए. एन. रे की अगुवाई वाले अल्पमत ने - जिसमें जस्टिस मैथ्यू, बेग, पालेकर, द्विवेदी और चंद्रचूड (C.J.) शामिल थे - एक अलग राय रखी। उनका मानना था कि आर्टिकल 368 संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की असीमित शक्ति देता है, जिसमें मौलिक अधिकार और प्रस्तावना भी शामिल हैं। उनकी राय में, इस शक्ति के दुरुपयोग पर एकमात्र राजनीतिक रोक मतदाताओं के पास थी, न कि न्यायपालिका के पास। अल्पमत ने "मूल ढांचे" (basic structure) के विचार की आलोचना करते हुए इसे अस्पष्ट और न्यायिक रूप से अव्यावहारिक बताया; उनका तर्क था कि यह लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई विधायिका पर व्यक्तिपरक न्यायिक प्रतिबंध लगाता है।

मुख्य निष्कर्ष – संशोधन करने की संसद की शक्ति पर सीमाएं

इस प्रकार, केशवानंद भारती फैसले ने तीन महत्वपूर्ण सिद्धांत तय करके लंबे समय से चली आ रही संवैधानिक बहस को सुलझा दिया:

1. अनुच्छेद 368 संसद को संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने का अधिकार देता है, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं।

2. हालाँकि, यह शक्ति असीमित नहीं है; इसका विस्तार संविधान के मूल ढांचे या रूपरेखा को बदलने तक नहीं है।

3. न्यायिक समीक्षा का अधिकार बना रहता है, जिससे अदालतें उन संवैधानिक संशोधनों को रद्द कर सकती हैं जो इस सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं।

इसने संसदीय सर्वोच्चता और संवैधानिक सर्वोच्चता के बीच संतुलन बनाया। इसने संसद को सामाजिक और आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए लचीलापन दिया, साथ ही यह सुनिश्चित किया कि संविधान के मूल आदर्श अक्षुण्ण रहें।

"मूल विशेषताओं" के रूप में पहचाने गए तत्व

अदालत ने मूल ढांचे में क्या-क्या शामिल है, इसकी कोई विस्तृत सूची नहीं दी, लेकिन अलग-अलग राय के माध्यम से कई प्रमुख तत्वों की पहचान की:

- संविधान की सर्वोच्चता
- सरकार का गणतंत्रात्मक और लोकतांत्रिक स्वरूप
- राज्य का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप
- विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण
- संविधान का संघीय स्वरूप
- न्यायिक समीक्षा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता
- कानून का शासन
- राष्ट्र की एकता और अखंडता
- व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा
- सरकार की संसदीय प्रणाली
- भारत की संप्रभुता

बाद के फैसलों, जैसे इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण (1975) और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980), ने इन सिद्धांतों का विस्तार किया और उन्हें फिर से पुष्ट किया, जिससे मूल ढांचे का सिद्धांत संवैधानिक पहचान के अंतिम सुरक्षा कवच के रूप में स्थापित हो गया।

विरासत और प्रभाव

केशवानंद भारती मामले ने भारत के संवैधानिक न्यायशास्त्र को गहराई से प्रभावित किया। इसने स्थापित किया कि राज्य का कोई भी अंग सर्वोच्च नहीं है; सर्वोच्च सत्ता स्वयं संविधान में निहित है। तब से, इस सिद्धांत ने एक संवैधानिक प्रहरी के रूप में कार्य किया है, जो लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने या सत्ता को अनुचित रूप से केंद्रित करने के प्रयासों को रोकता है। इस फैसले ने सुप्रीम कोर्ट को संविधान की आत्मा का संरक्षक बना दिया, जिसने शासन की बदलती जरूरतों और न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के स्थायी मूल्यों के

बीच संतुलन बनाया। जैसा कि जस्टिस सीकरी ने कहा, "संविधान केवल एक राजनीतिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि जीवन का एक माध्यम है, और इसकी भावना हमेशा युग की भावना होती है।" इस प्रकार, केशवानंद भारती का फैसला भारतीय संवैधानिक व्यवस्था की आधारशिला बना हुआ है - जो क्षणिक राजनीतिक लाभ की तुलना में संवैधानिक नैतिकता की जीत का एक जीवंत प्रमाण है।

4. मूल ढांचे के घटक

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) मामले में प्रतिपादित 'मूल ढांचा सिद्धांत' (Basic Structure Doctrine) भारत के संवैधानिक दर्शन की नींव का काम करता है। यह स्थापित करता है कि हालांकि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की व्यापक शक्तियां हैं, लेकिन वह इसकी आवश्यक विशेषताओं को बदल या नष्ट नहीं कर सकती है। इस प्रकार, यह सिद्धांत कुछ मुख्य घटकों की पहचान करता है जो मिलकर संविधान की अपरिवर्तनीय "आत्मा" का निर्माण करते हैं। ये घटक कठोरता से संहिताबद्ध नहीं हैं, बल्कि समय-समय पर न्यायिक व्याख्याओं के माध्यम से विकसित हुए हैं।

1. संविधान की सर्वोच्चता

भारत के संवैधानिक ढांचे के केंद्र में संविधान की सर्वोच्चता है। ब्रिटेन के विपरीत, जहां संसदीय संप्रभुता पूर्ण है, भारत का शासन संविधान की सर्वोच्चता पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि सभी संस्थाएं - संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका - अपनी शक्ति संविधान से प्राप्त करती हैं। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि राज्य का प्रत्येक कानून और कार्य संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप हो। केशवानंद भारती मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संसद की संशोधन शक्ति का अर्थ संविधान पर संप्रभुता नहीं है; यह संवैधानिक सीमाओं से बंधी एक स्थापित शक्ति है। बाद में, इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण (1975) मामले में, कोर्ट ने फिर से पुष्टि की कि संविधान की सर्वोच्चता को संशोधनों के माध्यम से भी कमजोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा करने से गणतंत्र का कानूनी आधार ही खत्म हो जाएगा।

2. कानून का शासन (Rule of Law)

कानून का शासन मूल ढांचे की एक और अनिवार्य विशेषता है। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं है, और सरकार को कानून द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर ही काम करना चाहिए। यह सिद्धांत कानून के सामने

समानता (अनुच्छेद 14) सुनिश्चित करता है और राज्य द्वारा मनमाने ढंग से शक्ति के इस्तेमाल को रोकता है। केशवानंद भारती मामले में जस्टिस खन्ना ने इस बात पर ज़ोर दिया कि 'कानून का शासन' (rule of law) संविधान का एक अहम हिस्सा है, जो यह पक्का करता है कि सत्ता जवाबदेह बनी रहे और उसके कामों की न्यायिक समीक्षा हो सके। इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 39वें संशोधन के क्लॉज़ 4 को रद्द कर दिया, क्योंकि इसके ज़रिए प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायिक समीक्षा से बचाने की कोशिश की गई थी, जिससे कानून के शासन और समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन होता था।

3. शक्तियों का बंटवारा

विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा एक अहम ढांचागत सिद्धांत है। हालांकि भारतीय संविधान में अमेरिका की तरह शक्तियों का बहुत सख्त बंटवारा नहीं है, फिर भी यह 'चेक एंड बैलेंस' (नियंत्रण और संतुलन) बनाए रखने के लिए हर अंग के कामों और सीमाओं को स्पष्ट रूप से तय करता है। केशवानंद भारती और बाद में इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण मामले में, कोर्ट ने माना कि कानून के शासन और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए शक्तियों का बंटवारा ज़रूरी है। अगर कोई एक अंग दूसरे अंग के अधिकार क्षेत्र में दखल देने की कोशिश करता है, तो इससे यह ढांचागत संतुलन बिगड़ जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी अंग पूरी शक्ति का दावा नहीं कर सकता, जिससे संवैधानिक ढांचे की अखंडता और स्वतंत्रता बनी रहती है।

4. न्यायिक समीक्षा

न्यायिक समीक्षा भारत में संवैधानिक व्यवस्था की सबसे मज़बूत सुरक्षाओं में से एक है। यह न्यायपालिका को विधायी और कार्यकारी कार्यों की वैधता की जांच करने का अधिकार देती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे संविधान के अनुरूप हैं। अनुच्छेद 13, 32, 131–136 और 226 से उत्पन्न, न्यायिक समीक्षा वह तंत्र है जिसके माध्यम से संवैधानिक सर्वोच्चता और मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है। केशवानंद भारती मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा को संविधान की एक बुनियादी विशेषता घोषित किया। बाद में मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980) मामले में इसे दोहराया गया, जहां कोर्ट ने कहा कि यदि न्यायिक समीक्षा की शक्ति छीन ली जाती है, तो संविधान सर्वोच्च नहीं रहेगा और संसदीय तानाशाही उभर सकती है।

5. संविधान का संघीय स्वरूप

भारत का संविधान सहकारी संघवाद का एक अनूठा रूप प्रस्तुत करता है, जिसमें एक मज़बूत केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्यों को भी महत्वपूर्ण शक्तियां दी गई हैं। संघीय स्वरूप यह सुनिश्चित करता है कि विधायी और प्रशासनिक जिम्मेदारियां केंद्र और राज्यों के बीच बंटी हों, जैसा कि सातवीं अनुसूची में बताया गया है। एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने संघवाद को बुनियादी ढांचे का एक मुख्य हिस्सा बताया और कहा कि अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) का इस्तेमाल राज्य सरकारों की स्वायत्तता को कम नहीं करना चाहिए। इस फैसले ने स्थापित किया कि भारत की विविधता में एकता बनाए रखने के लिए संघवाद संरचनात्मक और कार्यात्मक दोनों रूप से आवश्यक है।

6. धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र

भारतीय शासन व्यवस्था की धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक प्रकृति बुनियादी ढांचे के अभिन्न अंग हैं। धर्मनिरपेक्षता यह सुनिश्चित करती है कि राज्य सभी धर्मों के प्रति तटस्थ रहे और सभी को अंतरात्मा की स्वतंत्रता और सभी धर्मों की समानता की गारंटी दे। वहीं, लोकतंत्र का अर्थ है जनता की संप्रभुता, राजनीतिक जवाबदेही और नियमित स्वतंत्र चुनाव। एस. आर. बोम्मई और इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण मामलों में, कोर्ट ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र भारत की संवैधानिक पहचान के आधारस्तंभ हैं। वे सामूहिक रूप से यह सुनिश्चित करते हैं कि सत्ता जनता से प्राप्त हो और कोई भी धार्मिक या राजनीतिक समूह राज्य पर हावी न हो सके। ये सिद्धांत प्रस्तावना के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के दृष्टिकोण को शासन के मार्गदर्शक आदर्शों के रूप में बनाए रखते हैं।

7. व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा

व्यक्तिगत गरिमा और मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा भारत की संवैधानिक व्यवस्था का एक अंतर्निहित हिस्सा है। मौलिक अधिकार (भाग III) व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आज़ादी और मनमानी सरकारी कार्रवाई से सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) मामले में अनुच्छेद 21 का दायरा बढ़ाते हुए "जीवन के अधिकार" की व्याख्या मानवीय गरिमा के साथ जीने के अधिकार के तौर पर की। यह पहलू यह पक्का करता है कि संवैधानिक शासन केवल प्रक्रियात्मक न हो, बल्कि मानव-केंद्रित भी हो और कल्याण, समानता व न्याय को प्राथमिकता दे। व्यक्ति की गरिमा संवैधानिक नैतिकता और लोकतांत्रिक मूल्यों के केंद्र में रहती है।

8. मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन

भारतीय संविधान की एक खास विशेषता मौलिक अधिकारों (भाग III) और राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों (भाग IV) के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश है। जहाँ एक ओर मौलिक अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं, वहीं दूसरी ओर नीति-निर्देशक तत्व राज्य के सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों को रेखांकित करते हैं। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980) मामले में, कोर्ट ने फिर से कहा कि मौलिक अधिकारों और नीति-निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन संविधान के 'मूल ढांचे' (basic structure) का हिस्सा है। किसी एक को पूर्ण सर्वोच्चता नहीं दी जा सकती; एक न्यायपूर्ण और समतामूलक व्यवस्था हासिल करने के लिए दोनों का सामंजस्यपूर्ण ढंग से साथ-साथ चलना ज़रूरी है। यह संतुलन राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक-आर्थिक न्याय के साथ जोड़ने के संविधान के परिवर्तनकारी दृष्टिकोण को दर्शाता है।

5. **बाद के फैसलों के ज़रिए सिद्धांत का विस्तार**

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) मामले में पहली बार प्रतिपादित 'मूल ढांचे का सिद्धांत' (Basic Structure Doctrine) भारतीय संवैधानिक न्यायशास्त्र की आधारशिला बन गया। समय के साथ, सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐतिहासिक फैसलों के ज़रिए इस सिद्धांत का विस्तार और परिष्करण किया, जिससे मनमानी विधायी या कार्यकारी कार्रवाइयों के खिलाफ संवैधानिक सिद्धांतों की सुरक्षा मज़बूत हुई। हर बाद के मामले में इस बात की पुष्टि की गई कि भले ही संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन ऐसे संशोधन संविधान की मूल पहचान को बदल या नष्ट नहीं कर सकते।

1. **इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण (1975)**

यह मामला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को चुनौती देने से जुड़ा था, जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनावी गड़बड़ियों के कारण अमान्य घोषित कर दिया था। इसके जवाब में, संसद ने 39वां संवैधानिक संशोधन (1975) पारित किया और अनुच्छेद 329A जोड़ा, ताकि प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 329A के क्लॉज़ 4 को रद्द कर दिया और इसे संविधान के मूल ढांचे (बेसिक स्ट्रक्चर) का उल्लंघन करने वाला बताया। कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, कानून का शासन और न्यायिक समीक्षा लोकतंत्र की बुनियादी विशेषताएं हैं और इसलिए संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा हैं। जस्टिस एच.आर. खन्ना ने कहा कि अगर न्यायपालिका से विवादों का निष्पक्ष रूप से निपटारा करने की शक्ति छीन ली जाए, तो लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता। यह फैसला किसी संवैधानिक संशोधन को अमान्य करने के लिए 'मूल ढांचा सिद्धांत' (बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन) का पहला

सीधा इस्तेमाल था, जिसने यह पक्का किया कि संसद की संविधान संशोधन **की शक्ति असीमित नहीं है।**

2. मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980)

मिनर्वा मिल्स मामले में 42वें संवैधानिक संशोधन (1976) की वैधता को चुनौती दी गई थी, खासकर इसके सेक्शन 4 और 55 को। इन सेक्शन का मकसद मौलिक अधिकारों (भाग III) के मुकाबले राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों (भाग IV) को प्राथमिकता देना और संशोधनों को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखना था। सुप्रीम कोर्ट ने 4:1 के बहुमत से इन प्रावधानों को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ये प्रावधान मौलिक अधिकारों और नीति-निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन को खत्म करके और न्यायिक समीक्षा को हटाकर संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं। चीफ जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ ने मशहूर बात कही थी कि "संशोधन की सीमित शक्ति खुद संविधान की एक बुनियादी विशेषता है।" इस फैसले ने फिर से स्पष्ट किया कि भारत की लोकतांत्रिक और कल्याणकारी संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अधिकारों और नीति-निर्देशक तत्वों के बीच तालमेल ज़रूरी है।

3. वामन राव बनाम भारत संघ (1981)

यह मामला नौवीं अनुसूची में रखे गए कानूनों की संवैधानिक वैधता से जुड़ा था। नौवीं अनुसूची अनुच्छेद 31B के तहत कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा देती है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि केशवानंद भारती (1973) मामले के बाद जोड़े गए कानूनों की भी न्यायिक जांच होनी चाहिए, अगर वे संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पष्ट सीमा तय की: 24 अप्रैल, 1973 (केशवानंद मामले में फैसले की तारीख) से पहले किए गए सभी संशोधन वैध थे, लेकिन इस तारीख के बाद किए गए संशोधनों को संविधान के 'बेसिक स्ट्रक्चर' (मूल ढांचे) का उल्लंघन करने के आधार पर चुनौती दी जा सकती थी। इस तरह, वामन राव मामले ने संवैधानिक सुरक्षा के लिए एक समय-सीमा तय की और संविधान की ज़रूरी सुरक्षा के तौर पर 'न्यायिक समीक्षा' (judicial review) की अहमियत को फिर से स्थापित किया।

4. एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)

एस. आर. बोम्मई मामला केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के लिए अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) के गलत इस्तेमाल से जुड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले

में कहा कि संविधान का संघीय स्वरूप और राज्य का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप इसके 'बेसिक स्ट्रक्चर' का हिस्सा हैं। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती है और यह सिर्फ़ केंद्र सरकार की मर्जी पर आधारित नहीं हो सकती। इस फैसले ने संघवाद, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को 'बेसिक स्ट्रक्चर' का अहम हिस्सा बताया। इसने यह भी स्पष्ट किया कि भारतीय संविधान 'सहयोगात्मक संघवाद' (cooperative federalism) की कल्पना करता है, न कि केंद्र द्वारा नियंत्रित 'एकात्मक प्रणाली' (unitary system) की।

5. आई. आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007)

आई. आर. कोएल्हो मामले में वामन राव मामले के बाद के संदर्भ में 'नौवीं अनुसूची' (Ninth Schedule) के मुद्दे पर फिर से विचार किया गया। सवाल यह था कि क्या 1973 के बाद नौवीं अनुसूची में रखे गए कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने नौ जजों की बेंच के सर्वसम्मत फैसले में कहा कि 24 अप्रैल, 1973 के बाद नौवीं अनुसूची में शामिल किया गया कोई भी कानून न्यायिक जांच के दायरे में आता है, अगर वह संविधान के 'बेसिक स्ट्रक्चर' का उल्लंघन करता है। कोर्ट ने फिर से कहा कि न्यायिक समीक्षा, समानता और मौलिक अधिकार संविधान के ऐसे मूल हिस्से हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। इसने इस बात पर ज़ोर दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद की शक्तियों में इन ज़रूरी विशेषताओं को खत्म करने का अधिकार शामिल नहीं है।

6. विद्वानों और राजनीतिक स्तर पर बहस

'बेसिक स्ट्रक्चर' के सिद्धांत को संवैधानिक सुरक्षा के तौर पर सराहा तो गया है, लेकिन केशवानंद भारती मामले (1973) में इसकी शुरुआत के बाद से ही इस पर विद्वानों और राजनीतिक स्तर पर तीखी बहस होती रही है। कानून के जानकारों, राजनीतिक सिद्धांतकारों और संविधान के जानकारों ने इसकी वैधता, दार्शनिक आधार और लोकतांत्रिक शासन पर इसके असर की जांच-पड़ताल की है। जहां कुछ लोग इसे भारत की संवैधानिक पहचान का संरक्षक मानते हैं, वहीं कुछ अन्य इसे न्यायिक अति-सक्रियता का मामला मानते हैं जो संसद की संप्रभु इच्छा को सीमित करता है।

ग्रैनविले ऑस्टिन – "संवैधानिक नैतिकता और संतुलन"

ग्रैनविले ऑस्टिन ने अपनी अहम किताबों 'द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन: कॉर्नरस्टोन ऑफ़ ए नेशन' (1966) और 'वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन' (1999) में 'बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन' (मूल ढाँचे के सिद्धांत) को "संवैधानिक नैतिकता" का रूप माना है। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो आज़ादी और सत्ता, अधिकारों और ज़िम्मेदारियों, और न्यायपालिका और विधायिका के बीच संतुलन बनाए रखता है। ऑस्टिन का तर्क था कि यह सिद्धांत संविधान की नैतिक दिशा को बनाए रखता है और यह पक्का करता है कि लोकतांत्रिक बहुमत न्याय, समानता और भाईचारे के ढांचे को खत्म न कर सके। उन्होंने केशवानंद भारती मामले को "संवैधानिक विकास में एक रचनात्मक क्षण" के रूप में देखा, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने संसद के प्रतिद्वंद्वी के तौर पर नहीं, बल्कि उसके संवैधानिक विवेक के तौर पर काम किया। ऑस्टिन के लिए, यह सिद्धांत बदलाव और निरंतरता के बीच के नाज़ुक संतुलन को मज़बूत करता है – जो भारत की लोकतांत्रिक मज़बूती के लिए ज़रूरी है।

एच.एम. सीरवाई – न्यायिक अति-सक्रियता (जुडिशियल ओवररीच) की आलोचना

इसके उलट, एच.एम. सीरवाई ने 'कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ़ इंडिया' में इस सिद्धांत की ज़ोरदार आलोचना की। उनका तर्क था कि केशवानंद भारती मामले में न्यायपालिका ने अनुच्छेद 368 में ऐसी सीमाएँ जोड़कर अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया, जो मूल पाठ में नहीं थीं। सीरवाई का तर्क था कि संसद, लोगों की चुनी हुई प्रतिनिधि होने के नाते, जनता की संप्रभुता का सबसे बड़ा प्रतीक है, और बिना चुने गए जजों को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से किए गए संवैधानिक संशोधनों को रोकने की शक्ति नहीं होनी चाहिए। उन्हें डर था कि इस सिद्धांत से न्यायिक सर्वोच्चता आ जाएगी और संसदीय लोकतंत्र की जगह "जजों का शासन" ले लेगा। सीरवाई के अनुसार, 'बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन' में लिखित आधार की कमी थी और यह संवैधानिक तर्क के बजाय न्यायिक व्यक्तिपरकता पर आधारित था।

माधव खोसला – विकसित होती संवैधानिक पहचान – संवैधानिक मामलों के जानकार माधव खोसला इस सिद्धांत को भारत के संवैधानिक पहचान और व्याख्या के विकास के व्यापक प्रयोग के हिस्से के तौर पर देखते हैं। 'द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन: ए शॉर्ट इंट्रोडक्शन' (2012) में, खोसला का तर्क है कि यह सिद्धांत संवैधानिक लचीलेपन और संस्थागत स्थिरता के बीच तालमेल बिठाने की भारत की कोशिश को दिखाता है। यह बुनियादी सिद्धांतों को बचाते हुए लोकतांत्रिक बदलाव की इजाज़त देता है, जिससे यह पक्का होता है कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज़ बना रहे। खोसला के लिए, न्यायपालिका की व्याख्या करने की भूमिका अधिकारों को हड़पना नहीं, बल्कि संवैधानिक आत्म-चिंतन की एक ज़रूरी प्रक्रिया है, जो एक लोकतांत्रिक

गणराज्य के तौर पर भारत की विकसित होती पहचान को आकार देती है। जे. साई दीपक – सभ्यता और उपनिवेश-बाद के नज़रिए से विश्लेषण: समकालीन कानून विशेषज्ञ जे. साई दीपक ने अपनी किताबों 'इंडिया दैट इज़ भारत' (2021) और 'इंडिया, भारत एंड पाकिस्तान' (2022) में इस बहस को सभ्यता और उपनिवेश-बाद के नज़रिए से पेश किया है। उनका तर्क है कि संविधान की व्याख्या – जिसमें 'बेसिक स्ट्रक्चर' (मूल ढांचा) जैसे सिद्धांत भी शामिल हैं – पूरी तरह से पश्चिमी उदारवादी सोच पर आधारित होने के बजाय भारतीय सभ्यता के मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए। साई दीपक अदालत के उस नज़रिए की आलोचना करते हैं जो यूरोप-केंद्रित संवैधानिक नैतिकता पर निर्भर है; उनका सुझाव है कि भारतीय संविधान की सही मायने में उपनिवेश-मुक्त समझ में भारतीय दार्शनिक परंपराओं – जैसे धर्म और सामूहिक सद्भाव – की झलक मिलनी चाहिए।

7. आज के समय में महत्व और वैश्विक प्रभाव

'मूल ढाँचे के सिद्धांत' (Basic Structure Doctrine) का भारत और दुनिया भर में संवैधानिक चर्चाओं में आज भी बहुत महत्व है। केशवानंद भारती मामले (1973) में जो एक न्यायिक पहल के तौर पर शुरू हुआ था, वह अब संवैधानिक मजबूती के एक सार्वभौमिक सिद्धांत के रूप में विकसित हो गया है, जिसने दुनिया भर की अदालतों और विद्वानों को प्रभावित किया है।

तुलनात्मक संवैधानिक कानून में मूल ढाँचे का सिद्धांत

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इस सिद्धांत ने कई देशों की संवैधानिक अदालतों को प्रेरित किया है, जो संवैधानिक सर्वोच्चता और विधायी शक्ति के बीच इसी तरह के टकराव से जूझ रही थीं। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने अनवर हुसैन चौधरी बनाम बांग्लादेश (1989) मामले में आठवें संशोधन को रद्द करने के लिए स्पष्ट रूप से इस सिद्धांत को अपनाया और कहा कि संसद संविधान की मुख्य विशेषताओं को नहीं बदल सकती। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट और नेपाल की संवैधानिक अदालत ने भी लोकतांत्रिक अखंडता को बनाए रखने के लिए इसी तरह इसका इस्तेमाल किया है। यहाँ तक कि यूरोप में भी, संवैधानिक सिद्धांतकारों ने भारत के मूल ढाँचे और जर्मनी के 'बेसिक लॉ' (संविधान) के अनुच्छेद 79(3) के तहत 'इटरनिटी क्लॉज़' के बीच समानताएँ बताई हैं, जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों को संशोधन से बचाते हैं। इस प्रकार, भारत की न्यायिक विचारधारा विकासशील लोकतंत्रों में संवैधानिक निरंतरता के लिए एक मॉडल बन गई है।

भारत में तानाशाही के खिलाफ सुरक्षा

देश के भीतर, यह सिद्धांत तानाशाही के खिलाफ एक मजबूत सुरक्षा कवच बना हुआ है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी सरकार, चाहे उसे कितना भी बहुमत क्यों न हो, लोकतंत्र, कानून के शासन, धर्मनिरपेक्षता और न्यायिक समीक्षा के मूल सिद्धांतों को कमजोर न कर सके। आपातकाल (1975–77) और बाद के समय में जब कार्यपालिका का दबदबा बहुत अधिक था, तब न्यायपालिका का मूल ढाँचे के सिद्धांत पर भरोसा सत्ता के केंद्रीकरण के खिलाफ एक संवैधानिक ढाल के रूप में काम आया।

मौजूदा बहसों में महत्व

आज के भारत में, यह सिद्धांत संघवाद, धर्मनिरपेक्षता और न्यायिक स्वतंत्रता पर होने वाली बहसों को आकार देता रहता है। अनुच्छेद 370, समान नागरिक संहिता के प्रस्तावों और चुनावी सुधारों से जुड़े विवादों में अक्सर इस सिद्धांत का इस्तेमाल संवैधानिक वैधता की कसौटी के तौर पर किया जाता है। जैसे-जैसे भारत का लोकतंत्र बहुसंख्यकवादी राजनीति और संस्थागत दबाव की चुनौतियों का सामना कर रहा है, 'मूल ढाँचे का सिद्धांत' संवैधानिक नैतिकता के एक जीवंत रक्षक के रूप में कायम है, जो यह सुनिश्चित करता है कि राजनीतिक बदलावों के बीच भी देश का मूल विजन (दृष्टिकोण) बरकरार रहे।

IV. निष्कर्ष

प्रस्तावना और मूल ढाँचे का सिद्धांत मिलकर भारतीय संविधान की स्थायी आत्मा का निर्माण करते हैं, जो इसके नैतिक विजन और संरचनात्मक अखंडता, दोनों को समाहित करते हैं। प्रस्तावना देश के मार्गदर्शक आदर्शों—न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व—को घोषित करती है, जबकि 'मूल ढांचा सिद्धांत' (Basic Structure Doctrine) यह सुनिश्चित करता है कि ये आदर्श राजनीतिक सत्ता की क्षणिक इच्छाओं से प्रभावित न हों। ये दोनों मिलकर एक ऐसी संवैधानिक विचारधारा बनाते हैं जो लोकतंत्र और संयम, अधिकारों और जिम्मेदारियों, तथा बदलाव और निरंतरता के बीच संतुलन बनाए रखती है। दशकों से, न्यायपालिका ने इस संतुलन के संरक्षक के रूप में काम किया है; उसने प्रस्तावना को केवल एक भूमिका के रूप में नहीं, बल्कि संविधान की भावना के जीवंत प्रतिबिंब के रूप में देखा है, और 'मूल ढांचा सिद्धांत' को इसके अभेद्य सुरक्षा कवच के रूप में माना है। केशवानंद भारती से लेकर मिनर्वा मिल्स और आई.आर. कोएल्हो जैसे ऐतिहासिक फैसलों के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से स्पष्ट किया है कि संसद की संविधान संशोधन की शक्ति व्यापक तो है, लेकिन असीमित नहीं है; यह संविधान के उन

मूल सिद्धांतों से बंधी है जो भारत की लोकतांत्रिक पहचान को परिभाषित करते हैं। ऐसा करते हुए, कोर्ट ने संवैधानिक नैतिकता के मूल तत्व को सुरक्षित रखा है और यह सुनिश्चित किया है कि शासन व्यवस्था संविधान निर्माताओं द्वारा परिकल्पित उच्च आदर्शों के प्रति जवाबदेह बनी रहे। 21वीं सदी में, जब भारत संघवाद, धर्मनिरपेक्षता और संस्थागत स्वायत्तता जैसी नई चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब प्रस्तावना और 'मूल ढांचा सिद्धांत' का मेल एक नैतिक और कानूनी दिशा-निर्देश प्रदान करता रहता है। अंततः, इनका समन्वय उस बुनियादी सच्चाई को फिर से स्थापित करता है कि संविधान को अपनी शक्ति संसद या न्यायपालिका से नहीं, बल्कि "हम, भारत के लोग" से मिलती है—जो सभी के लिए न्याय और सम्मान के प्रति प्रतिबद्ध गणतंत्र में सर्वोच्च संप्रभु हैं। प्रस्तावना के आदर्शों और 'मूल ढांचा सिद्धांत' की सुरक्षा व्यवस्था के बीच यह जीवंत साझेदारी यह सुनिश्चित करती है कि संविधान केवल एक स्थिर दस्तावेज न रहे, बल्कि राष्ट्रीय चेतना का एक गतिशील साधन बना रहे—जो लगातार विकसित होता रहे, फिर भी अपनी लोकतांत्रिक आत्मा से हमेशा गहराई से जुड़ा रहे।

Reference:

- Austin, Granville. *The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation.* Oxford University Press, 1966.
- Sai Deepak, J. *India That is Bharat: Coloniality, Civilisation, Constitution.* Bloomsbury India, 2021.
- "We, the People." *Economic and Political Weekly*, vol. 55, no. 4, 2020.
- Khosla, Madhav. *The Indian Constitution.* Oxford University Press, 2012.
- Sinha, Nandini. "Basic Structure and Constitutional Morality." *EPW*, vol. 58, no. 27, 2023.
- Seervai, H. M. *Constitutional Law of India: A Critical Commentary, Vol. I.* Universal Law Publishing, latest edition.

इकाई 2: मौलिक अधिकार (भारतीय संविधान का भाग III)

I. परिचय

भारत में मौलिक अधिकारों की अवधारणा औपनिवेशिक शासन के खिलाफ ऐतिहासिक संघर्ष और नागरिक स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता के लिए लोगों की लगातार मांग से उभरी। ब्रिटिश शासन के दौरान, अभिव्यक्ति, संगठन और कानून के समक्ष समानता जैसी बुनियादी स्वतंत्रताओं से वंचित किए जाने के कारण राष्ट्रीय नेताओं और सुधारकों को यह एहसास हुआ कि व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी होगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने शुरुआती सत्रों से ही इन अधिकारों की सुरक्षा पर लगातार जोर दिया, जिसका परिणाम 1928 की नेहरू रिपोर्ट और 1931 के कराची प्रस्ताव के रूप में सामने आया, जिसमें सभी नागरिकों के लिए नागरिक और सामाजिक-आर्थिक अधिकारों का स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया। जब संविधान सभा ने 1946 में विचार-विमर्श शुरू किया, तो उसने मौलिक अधिकारों को केवल कानूनी हक के रूप में नहीं, बल्कि नैतिक और राजनीतिक आवश्यकताओं के रूप में देखा, जो भारत को एक न्यायपूर्ण, समतावादी और लोकतांत्रिक व्यवस्था में बदल देंगे। जैसा कि ग्रैनविले ऑस्टिन (1999) बताते हैं, सभा ने इन अधिकारों को "संविधान की अंतरात्मा" के रूप में देखा, जो स्वतंत्रता और समानता के उन दोहरे उद्देश्यों को समाहित करते थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया था। इसी तरह, सुभाष कश्यप (2013) इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों को उस आधारशिला के रूप में माना जिस पर भारतीय लोकतंत्र का ढांचा खड़ा होगा। दार्शनिक रूप से, मौलिक अधिकार अपनी मूल भावना प्रस्तावना से प्राप्त करते हैं, जो स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व के आदर्शों को समाहित करती है, और यह सुनिश्चित करती है कि राज्य प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध रहे। इस प्रकार, ये अधिकार राज्य की मनमानी शक्ति पर अंकुश लगाने और मानवीय गरिमा तथा सामाजिक परिवर्तन सुनिश्चित करने के साधन के रूप में कार्य करते हैं। वैश्विक संवैधानिक परंपराओं से प्रभावित होकर, संविधान निर्माताओं ने अमेरिकी 'बिल ऑफ राइट्स' से न्याय-योग्य व्यक्तिगत अधिकारों का विचार, आयरिश संविधान से सामाजिक-आर्थिक न्याय का सिद्धांत, और 1948 की 'मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा' में बताए गए सार्वभौमिक मानवाधिकार ढांचे को अपनाया। फिर भी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामूहिक कल्याण के बीच सामंजस्य बिठाने में भारत का दृष्टिकोण अलग रहा, जो भारत की अनूठी सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं को

दर्शाता है। इसलिए, संविधान के भाग III के तहत मौलिक अधिकार पश्चिमी उदारवाद और भारतीय सामाजिक दर्शन का मिश्रण हैं, जिन्हें न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता, बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय को भी बनाए रखने के लिए तैयार किया गया है। वे गणतंत्र की नैतिक दिशा तय करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि भारत में लोकतंत्र केवल बहुमत का शासन न हो, बल्कि एक ऐसी संवैधानिक व्यवस्था हो जो व्यक्ति की गरिमा और सामूहिक प्रगति के सम्मान पर आधारित हो।

II. मौलिक अधिकारों का अर्थ, विशेषताएँ और प्रकार

1. अर्थ और वैचारिक आधार

भारतीय संविधान के भाग III में शामिल मौलिक अधिकार वे मुख्य गारंटी हैं जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, समानता सुनिश्चित करते हैं और हर व्यक्ति की गरिमा बनाए रखते हैं। ये उन बुनियादी और ज़रूरी शर्तों को दर्शाते हैं जो जीवन को सार्थक और शासन को न्यायपूर्ण बनाती हैं; ये उस नींव का काम करते हैं जिस पर संवैधानिक लोकतंत्र टिका है। D.D. बसु (2020) के अनुसार, मौलिक अधिकार "संविधान की आधारशिला" हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि राज्य तय सीमाओं के भीतर काम करे और अपने नागरिकों के प्रति जवाबदेह रहे। वैचारिक रूप से, ये अधिकार केवल कानूनी प्रावधान नहीं हैं, बल्कि प्राकृतिक अधिकारों की परंपरा से निकले नैतिक सिद्धांत हैं। यह परंपरा मानती है कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार जैसे कुछ अधिकार मानव अस्तित्व का स्वाभाविक हिस्सा हैं और किसी सत्ता द्वारा दिए नहीं गए हैं। संविधान निर्माताओं ने इन दार्शनिक आदर्शों को लागू करने योग्य कानूनी अधिकारों में बदला। उन्होंने समझा कि सच्ची आज़ादी के लिए राज्य के दमन से सुरक्षा और आत्म-विकास के साधनों तक पहुँच, दोनों ज़रूरी हैं। इस तरह, भारत में मौलिक अधिकार प्राकृतिक कानून और सकारात्मक कानून का मिश्रण हैं, जो व्यक्ति की स्वायत्तता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने की राज्य की ज़िम्मेदारी के बीच संतुलन बनाते हैं। जैसा कि गौतम भाटिया (2016) बताते हैं, ये दोहरे उद्देश्य पूरे करते हैं: राज्य की ज़बरदस्ती करने वाली शक्ति को सीमित करना और व्यक्तियों को न्यायिक उपायों के ज़रिए स्वतंत्रता, समानता और आज़ादी के उल्लंघन को चुनौती देने के लिए सशक्त बनाना। ये राज्य को ऐसी स्थितियाँ बनाने के लिए प्रेरित करके बदलाव लाने वाली भूमिका भी निभाते हैं जो मानवीय क्षमता के पूर्ण विकास में सहायक हों। भारत जैसे संवैधानिक लोकतंत्र में, जहाँ राज्य का सामाजिक-आर्थिक जीवन पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण होता है, मौलिक अधिकार तानाशाही और मनमाने शासन के ख़िलाफ़ एक सुरक्षा कवच का काम करते हैं। ये गारंटी देते हैं कि लोकतंत्र केवल समय-समय

पर होने वाले चुनावों तक सीमित न रहे, बल्कि व्यक्तियों और समूहों द्वारा अधिकारों और आज़ादी के रोज़मर्रा के इस्तेमाल तक फैला हो। इसके अलावा, ये संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांतों को अपनाते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि राज्य के सभी अंग कानून और न्याय के दायरे में काम करें। कानून के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की आज़ादी, धार्मिक स्वतंत्रता और शोषण से सुरक्षा की पुष्टि करके, मौलिक अधिकार मानवीय गरिमा और विविधता के प्रति सम्मान के मूल्यों को संस्थागत रूप देते हैं। ये मूल्य भारतीय गणराज्य का आधार हैं। इस प्रकार, इनका अर्थ केवल कानूनी अधिकारों तक सीमित नहीं है; ये संविधान की जीवंत अंतरात्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि शासन का हर काम स्वतंत्रता, न्याय और मानवीय गरिमा के आदर्शों की कसौटी पर परखा जाए।

2. मुख्य विशेषताएँ

भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की कई मुख्य विशेषताएँ हैं जो उन्हें लोकतांत्रिक शासन का आधार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रक्षक बनाती हैं। इन विशेषताओं में सबसे महत्वपूर्ण है इनका 'न्याय-योग्य' (justiciable) होना, यानी इन्हें अदालतों के ज़रिए लागू कराया जा सकता है। अनुच्छेद 32 और 226 क्रमशः सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को इन अधिकारों को लागू करने के लिए 'रिट' (writs) जारी करने का अधिकार देते हैं, जिससे न्यायपालिका संवैधानिक स्वतंत्रता की अंतिम रक्षक बन जाती है। डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का "हृदय और आत्मा" कहा था, क्योंकि यह नागरिकों को उनके अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ़ उपाय पाने का सीधा ज़रिया देता है। उतनी ही महत्वपूर्ण बात यह है कि मौलिक अधिकार मुख्य रूप से व्यक्तियों को राज्य की कार्रवाई से बचाते हैं (जैसा कि अनुच्छेद 12 में बताया गया है, जिसमें न केवल सरकार बल्कि स्थानीय अधिकारी और राज्य की संस्थाएँ भी शामिल हैं)। अनुच्छेद 13 इस सुरक्षा को और मज़बूत करता है; यह मौलिक अधिकारों के खिलाफ़ किसी भी कानून को 'शून्य' (void) घोषित करता है, जिससे विधायी और कार्यकारी शक्तियों पर संविधान की सर्वोच्चता स्थापित होती है। एक और खास पहलू अधिकारों को नकारात्मक और सकारात्मक दायित्वों में बाँटना है। नकारात्मक अधिकार (जैसे मनमानी कार्रवाई या भेदभाव को रोकने वाले अधिकार) राज्य से यह अपेक्षा करते हैं कि वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन न करे, जबकि सकारात्मक अधिकार (जैसे शिक्षा का अधिकार और शोषण से सुरक्षा) राज्य को नागरिकों के कल्याण के लिए सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करते हैं। इन अधिकारों की एक और विशेषता है इनकी व्यापकता और कानून के समक्ष समानता; अनुच्छेद 14 और 21 यह सुनिश्चित करते हैं कि हर व्यक्ति—चाहे वह नागरिक हो या

गैर-नागरिक सभी के साथ निष्पक्षता, सम्मान और न्याय का व्यवहार हो। इन प्रावधानों की अखंडता बनाए रखने के लिए, न्यायपालिका ने 'पृथक्करणीयता का सिद्धांत' (Doctrine of Severability) विकसित किया है, जो कानून के असंवैधानिक हिस्सों को पूरे कानून को अमान्य किए बिना हटाने की अनुमति देता है, और 'ग्रहण का सिद्धांत' (Doctrine of Eclipse), जिसके अनुसार असंवैधानिक कानून तब तक निष्क्रिय रहते हैं जब तक कि संवैधानिक विसंगति को दूर नहीं कर दिया जाता। मौलिक अधिकारों में संशोधन की संभावना एक बड़ा संवैधानिक मुद्दा रहा है। ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950) मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने एक संकीर्ण व्याख्या अपनाई और हर अधिकार को अलग और असंबंधित माना। हालांकि, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) मामले में, कोर्ट ने कहा कि भले ही संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन वह संविधान के "मूल ढांचे" (basic structure) को नहीं बदल सकती, जिसमें ये अधिकार अहम हिस्से के तौर पर शामिल हैं। इस सिद्धांत को आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007) मामले में फिर से दोहराया गया, जिसमें कोर्ट ने फैसला सुनाया कि नौवीं अनुसूची में रखे गए कानून भी न्यायिक समीक्षा के दायरे में आते हैं, अगर वे मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं। इस प्रकार, मौलिक अधिकारों की मुख्य विशेषताएं - जैसे कि न्याय-योग्य होना, लागू करने की क्षमता, सार्वभौमिकता और मनमानी सरकारी शक्ति से सुरक्षा - मिलकर यह सुनिश्चित करती हैं कि भारतीय संविधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और न्याय के प्रति प्रतिबद्ध एक जीवंत दस्तावेज बना रहे। वे एक ऐसा संस्थागत तंत्र प्रदान करते हैं जिसके माध्यम से नागरिक सरकार को जवाबदेह ठहरा सकते हैं और संविधान निर्माताओं द्वारा परिकल्पित लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रख सकते हैं।

3. वर्गीकरण और प्रकार

1. समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14–18)

समानता का अधिकार भारतीय संविधान की नींव है और यह इस सिद्धांत को दर्शाता है कि कानून के सामने हर व्यक्ति समान है और उसे कानूनों का समान संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है और राज्य द्वारा मनमाने कार्यों पर रोक लगाता है, साथ ही यह स्पष्ट अंतर और हासिल किए जाने वाले उद्देश्य से तार्किक संबंध के आधार पर उचित वर्गीकरण की अनुमति भी देता है। यह सुनिश्चित करता है कि समानता का अर्थ एकरूपता नहीं, बल्कि व्यवहार में निष्पक्षता है। अनुच्छेद 15 और 16 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोककर और सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर

सुनिश्चित करके इस सिद्धांत को आगे बढ़ाते हैं। हालाँकि, संविधान सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) की आवश्यकता को भी स्वीकार करता है। अनुच्छेद 15(4) और 16(4) राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देते हैं। अनुच्छेद 17 सभी रूपों में अस्पृश्यता को समाप्त करता है, जो सामाजिक सुधार की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है, जबकि अनुच्छेद 18 सैन्य या शैक्षणिक विशिष्टता वाले खिताबों को छोड़कर अन्य खिताब देने पर रोक लगाता है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ (1992) के ऐतिहासिक मामले ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, लेकिन कुल आरक्षण पर 50% की सीमा तय की, जिससे समान अवसर और सामाजिक समानता के बीच संतुलन बना रहे।

2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19–22)

स्वतंत्रता का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अनुच्छेद 19 भाषण और अभिव्यक्ति, सभा करने, संघ बनाने, घूमने-फिरने, निवास करने और पेशा चुनने की छह आवश्यक स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है, जिन पर संप्रभुता, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या शालीनता के हित में उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसे गौतम भाटिया (2016) ने "लोकतंत्र की जीवन-रेखा" कहा है, राजनीतिक भागीदारी, सरकार की आलोचना और सच्चाई की खोज के लिए महत्वपूर्ण है। हालाँकि, भारत की लोकतांत्रिक बहस में इस स्वतंत्रता पर लगातार सवाल उठाए जाते रहे हैं, जैसा कि EPW (2019) के लेख "अनुच्छेद 19: भारत में मुक्त भाषण पर बहस का खाका" में बताया गया है, जहाँ राजद्रोह, नफरत फैलाने वाले भाषण (हेट स्पीच) और मीडिया सेंसरशिप जैसे मुद्दों पर बहस होती है। अनुच्छेद 20 और 21 लोगों को 'एक्स पोस्ट फैक्टो' कानूनों (पिछली तारीख से लागू होने वाले कानूनों) और 'डबल जियोपार्डी' (एक ही अपराध के लिए दो बार सज़ा) से बचाकर और जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करके आज़ादी को और मज़बूत करते हैं। खासकर अनुच्छेद 21 की व्याख्या का दायरा बढ़ाया गया है, जिसमें निजता, स्वास्थ्य, पर्यावरण और आजीविका जैसे अधिकार शामिल हैं। अनुच्छेद 22 मनमानी गिरफ्तारी और निवारक नज़रबंदी (प्रिवेंटिव डिटेंशन) से सुरक्षा देता है और व्यक्तिगत आज़ादी व राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं के बीच संतुलन बनाता है।

3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23–24)

अनुच्छेद 23 और 24 हर तरह के शोषण पर रोक लगाकर मानवीय गरिमा की रक्षा करते हैं। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, जबरन मज़दूरी और बेगार पर रोक लगाता है, जबकि अनुच्छेद 24 खतरनाक उद्योगों में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पर रखने पर रोक लगाता है। ये प्रावधान सामाजिक और आर्थिक न्याय तथा कमज़ोर वर्गों की सुरक्षा के प्रति संविधान की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25–28)

ये अनुच्छेद अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार देते हैं, बशर्ते कि इससे सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य पर बुरा असर न पड़े। भारत का धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत धर्म-विरोधी नहीं है, बल्कि सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक समुदायों को अपने मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 27 और 28 धार्मिक कर और धार्मिक शिक्षा के मामले में किसी पर दबाव डालने से रोकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक सुधार के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए, राज्य को तब हस्तक्षेप करने की अनुमति है जब धार्मिक प्रथाएं मानवाधिकारों या संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन करती हैं।

5. सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29–30)

अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों को अपनी अलग भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने के अधिकार की सुरक्षा देते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि अल्पसंख्यकों को—चाहे वे धार्मिक हों या भाषाई—अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने का अधिकार हो। ये प्रावधान विविधता को संवैधानिक ताकत के रूप में मान्यता देकर भारत की अनेकता वाली पहचान की रक्षा करते हैं।

6. संवैधानिक उपचार का अधिकार (अनुच्छेद 32)

अनुच्छेद 32, जिसे डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने "संविधान की आत्मा और हृदय" कहा था, नागरिकों को मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। इसके लिए 'हेबियस कॉर्पस' (बंदी प्रत्यक्षीकरण), 'मैन्डमस' (परमादेश), 'प्रोहिबिशन' (प्रतिषेध), 'सर्टिओरारी' (उत्प्रेषण) और 'को वारंटो' (अधिकार-पृच्छा) जैसी रिट (न्यायादेश) का सहारा लिया जा सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि संविधान के भाग III में दी गई गारंटी केवल घोषणाएं बनकर न रह जाएं, बल्कि ऐसे जीवंत अधिकार बनें जिनकी रक्षा और जिन्हें

लागू किया जा सके। न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका (PIL) के माध्यम से, अदालतों ने इन अधिकारों का दायरा बढ़ाया है, जिससे ये सामाजिक न्याय और संवैधानिक शासन के लिए गतिशील साधन बन गए हैं।

III. मौलिक अधिकारों पर संवैधानिक बहस

1. संविधान सभा में बहस

मौलिक अधिकारों को तय करने के लिए संविधान सभा में हुई बहस भारत के संवैधानिक इतिहास की सबसे बौद्धिक और वैचारिक रूप से महत्वपूर्ण चर्चाओं में से एक थी। इसमें संविधान बनाने वालों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक व्यवस्था और सामूहिक कल्याण के बीच संतुलन बनाने की कोशिशें झलकती थीं। सभा के सदस्य भारत की सामाजिक-आर्थिक विविधता और ऐतिहासिक असमानताओं को लेकर बहुत जागरूक थे, इसलिए उदारवादी संवैधानिक सिद्धांतों को भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ढालना ज़रूरी हो गया था। बहस का पहला मुख्य मुद्दा व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक व्यवस्था के बीच टकराव था। जहाँ के.एम. मुंशी, अल्लादि कृष्णस्वामी अय्यर और बी.आर. अंबेडकर जैसे नेताओं ने लोकतंत्र के मूल तत्व के रूप में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा पर ज़ोर दिया, वहीं के.टी. शाह और एच.वी. कामथ जैसे लोगों का तर्क था कि गरीबी, अशिक्षा और सांप्रदायिक बंटवारे से जूझ रहे नए आज़ाद देश में बिना रोक-टोक वाली स्वतंत्रता से सामाजिक अस्थिरता पैदा हो सकती है। यह तनाव 'प्रिवेंटिव डिटेंशन' (निवारक निरोध) और प्रेस की स्वतंत्रता पर हुई बहस में साफ़ तौर पर दिखा। सोमनाथ लाहिड़ी समेत कई सदस्यों ने 'प्रिवेंटिव डिटेंशन' के प्रावधानों को लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ़ बताते हुए उनकी आलोचना की। उनका तर्क था कि सरकार असहमति को दबाने के लिए ऐसी शक्तियों का आसानी से गलत इस्तेमाल कर सकती है। हालाँकि, अंबेडकर ने देश के बंटवारे के बाद सुरक्षा की नाज़ुक स्थिति को देखते हुए, खास हालात में सुरक्षा उपाय के तौर पर इन्हें शामिल करने का बचाव किया। इसी तरह, अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी बहस हुई कि क्या यह पूरी तरह से असीमित होनी चाहिए या इस पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। टी.टी. कृष्णमाचारी जैसे सदस्यों ने सार्वजनिक व्यवस्था के हित में प्रतिबंधों का समर्थन किया, जबकि दूसरों को डर था कि ऐसी शर्तों से स्वतंत्रता की भावना कमज़ोर हो जाएगी। बहस का एक और अहम मुद्दा आरक्षण और अवसर की समानता था। अनुच्छेद 15 और 16 पर लंबी चर्चा हुई कि क्या समानता का मतलब पूरी तरह एक जैसा व्यवहार होना चाहिए या इसमें ऐतिहासिक रूप से पिछड़े समूहों के लिए विशेष उपाय भी शामिल होने चाहिए। अंबेडकर ने 'सुरक्षात्मक भेदभाव' (protective discrimination)

की पुरज़ोर वकालत की। उनका तर्क था कि शिक्षा और रोज़गार में आरक्षण के ज़रिए ढांचागत असमानताओं को दूर किए बिना सामाजिक समानता हासिल नहीं की जा सकती। हालाँकि, आलोचकों ने जाति-आधारित उपायों पर बहुत ज़्यादा निर्भरता के खिलाफ़ चेतावनी दी और कहा कि इससे बंटवारा और बढ़ सकता है। उतनी ही महत्वपूर्ण 'न्याय-योग्य बनाम गैर-न्याय-योग्य' (Justiciable vs. Non-Justiciable) बहस भी थी। यह बहस इस बात पर केंद्रित थी कि क्या सामाजिक-आर्थिक अधिकारों को लागू करने योग्य मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए या उन्हें 'राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों' (Directive Principles of State Policy) में रखा जाना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू और बी.एन. राव जैसे नेताओं ने बाद वाले नज़रिए का समर्थन करते हुए कहा कि आर्थिक अधिकारों को न्यायिक आदेश के बजाय सरकारी नीति और क़ानून बनाकर धीरे-धीरे लागू किया जाना चाहिए। आख़िरकार अंबेडकर इस समझौते के लिए मान गए; उन्होंने नागरिक-राजनीतिक अधिकारों को भाग III में और सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों को भाग IV में रखा, साथ ही इस बात पर ज़ोर दिया कि सामाजिक लोकतंत्र हासिल करने के लिए दोनों एक-दूसरे के पूरक और एक-दूसरे पर निर्भर हैं। जैसा कि बाद में ग्रैनविले ऑस्टिन (1999) ने कहा, इस समझौते ने भारत को अधिकारों और निर्देशों का एक "बेहतरीन तालमेल" दिया, जिसमें उदारवादी और समाजवादी आदर्शों का मेल था। इसी तरह, सुभाष कश्यप (2013) ने बताया कि इन बहसों से संविधान बनाने वालों की व्यावहारिक सोच का पता चलता है—एक ऐसी सोच जो सामाजिक न्याय और सामूहिक प्रगति को नज़रअंदाज़ किए बिना व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना चाहती थी। इस प्रकार, मौलिक अधिकारों पर संविधान सभा की बहसें केवल क़ानूनी चर्चाएँ नहीं थीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के निर्माण में स्वतंत्रता और समानता, क़ानून और न्याय, तथा व्यक्ति और समुदाय के बीच तालमेल बिठाने पर एक गहरी नैतिक बातचीत थी।

2. संशोधनों और न्यायिक व्याख्याओं के ज़रिए विकास

भारत में मौलिक अधिकारों का विकास संवैधानिक संशोधनों और न्यायिक व्याख्याओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। यह विकास व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दायरे और सीमाओं को लेकर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच चल रही बातचीत को दिखाता है। यह सफ़र संविधान लागू होने के तुरंत बाद शुरू हुआ। पहले संशोधन (1951) के साथ संसद ने कुछ मौलिक अधिकारों, मुख्य तौर पर बोलने की आज़ादी और संपत्ति के अधिकार को सीमित करने की पहली कोशिश की। इस संशोधन ने अनुच्छेद 19(2) के तहत "उचित प्रतिबंध" लगाने के लिए नए आधार जोड़े। ये आधार सार्वजनिक व्यवस्था, विदेशी देशों के साथ दोस्ताना संबंध

और अपराध के लिए उकसाने जैसे मामलों से जुड़े थे। इसे कई अदालती फैसलों के जवाब में लाया गया था, जैसे रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य (1950) और बृज भूषण बनाम दिल्ली राज्य (1950)। इन फैसलों में प्रकाशनों पर सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को असंवैधानिक करार दिया गया था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का तर्क था कि हालांकि बोलने की आज़ादी मौलिक है, लेकिन आज़ादी के बाद के नाज़ुक लोकतंत्र में, जो सांप्रदायिक तनाव और सुरक्षा खतरों का सामना कर रहा था, यह पूरी तरह से असीमित नहीं हो सकती थी। इस तरह, इस संशोधन ने स्वतंत्रता और सामाजिक व्यवस्था के बीच एक गतिशील और कभी-कभी विवादित संतुलन की नींव रखी। आने वाले दशकों में तनाव और बढ़ गया क्योंकि लगातार सरकारों ने संशोधनों के ज़रिए संसदीय सर्वोच्चता स्थापित करने की कोशिश की, जिससे मौलिक अधिकार कम या फिर से परिभाषित हुए। 24वें संशोधन (1971) ने स्पष्ट रूप से संविधान के किसी भी हिस्से, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं, में संशोधन करने की संसद की शक्ति की पुष्टि की। वहीं, 25वें संशोधन (1971) ने अनुच्छेद 31C पेश किया, जिसने समानता और संपत्ति के अधिकारों की तुलना में नीति-निर्देशकों (Directive Principles) को प्राथमिकता दी। ये संशोधन समाजवादी आर्थिक नीतियों, खासकर भूमि सुधारों को आगे बढ़ाने की राजनीतिक इच्छा को दर्शाते थे, भले ही वे व्यक्तिगत अधिकारों के खिलाफ हों। आपातकाल के दौरान लागू 42वां संशोधन (1976) न्यायिक समीक्षा को कमज़ोर करने की सबसे बड़ी कोशिश थी। इसने संवैधानिक संशोधनों और कुछ कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दिए जाने से बचाया। हालांकि, न्यायपालिका ने ऐतिहासिक फैसलों के ज़रिए मज़बूती से अपना अधिकार फिर से स्थापित किया और संवैधानिक स्वतंत्रता की प्रधानता को बहाल किया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) मामले में, सुप्रीम कोर्ट की 13 जजों की बेंच ने 'बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन' (संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत) प्रतिपादित किया। इसमें कहा गया कि हालांकि संसद संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह इसके ज़रूरी पहलुओं—जैसे लोकतंत्र, कानून का शासन और मौलिक अधिकारों को नहीं बदल सकती। इस फैसले ने विधायी शक्ति के अत्यधिक विस्तार पर एक महत्वपूर्ण रोक लगाई और भारत में संवैधानिक व्यवस्था की नींव रखी। बाद में, मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) मामले में, कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की समझ में क्रांतिकारी बदलाव किया। कोर्ट ने "जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार" का दायरा केवल शारीरिक अस्तित्व से आगे बढ़ाकर उसमें सम्मान, निष्पक्षता और उचित कानूनी प्रक्रिया (ड्यू प्रोसेस) के साथ जीने के अधिकार को भी शामिल किया। कोर्ट ने ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950) मामले में पहले की संकीर्ण व्याख्या को खारिज कर दिया और अनुच्छेद 14, 19 और 21 को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा

करने वाले एक एकीकृत ढांचे में जोड़ दिया। इस परिवर्तनकारी व्याख्या ने न्यायपालिका की 'सब्सटेंटिव ड्यू प्रोसेस' (वास्तविक उचित प्रक्रिया) और इस सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाया कि स्वतंत्रता पर कोई भी प्रतिबंध "न्यायोचित, निष्पक्ष और तर्कसंगत" होना चाहिए। बाद के वर्षों में, अदालतों ने व्यक्तिगत अधिकारों और राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था तथा नैतिकता के मुद्दों के बीच संतुलन बनाए रखा, जिन पर EPW (2021) के लेख "नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस फंडामेंटल राइट्स" (राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम मौलिक अधिकार) में विस्तार से चर्चा की गई है। इन न्यायिक हस्तक्षेपों के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक नैतिकता के संरक्षक के रूप में उभरा। इसने यह सुनिश्चित किया कि भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था संविधान निर्माताओं द्वारा परिकल्पित न्याय और स्वतंत्रता के आदर्शों के प्रति जवाबदेह बनी रहे। इस प्रकार, मौलिक अधिकारों का विकास भारत के संवैधानिक लोकतंत्र की गतिशील प्रकृति को दर्शाता है, जहां अधिकार न तो स्थिर हैं और न ही निरपेक्ष; बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामूहिक सुरक्षा के बीच नाजुक संतुलन बनाए रखने के लिए उनकी लगातार व्याख्या और सुदृढ़ीकरण किया जाता है।

IV. संवैधानिक उपचार का अधिकार

1. स्वरूप और महत्व

डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान का "हृदय और आत्मा" बताया था। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि प्रभावी लागू करने की व्यवस्था के बिना मौलिक अधिकार बेमानी होंगे। अनुच्छेद 32 नागरिकों को अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। यह न केवल अपने आप में एक मौलिक अधिकार है, बल्कि अन्य सभी अधिकारों की रक्षा का एक साधन भी है। यह सुनिश्चित करता है कि स्वतंत्रता, समानता और न्याय के आदर्श केवल घोषणाएं न हों, बल्कि राज्य की मनमानी कार्रवाई के खिलाफ लागू करने योग्य गारंटी हों। संविधान बनाने वालों को भारत के औपनिवेशिक अतीत का पता था, जिसमें कार्यपालिका की मनमानी चलती थी, इसलिए उन्होंने न्यायपालिका को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षक बनाने की कोशिश की। अनुच्छेद 226 की तुलना में, जो हाई कोर्ट को मौलिक और कानूनी अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करने की शक्ति देता है, अनुच्छेद 32 का दायरा सीमित है, लेकिन इसे मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त है। जैसा कि EPW में रक्षित ने बताया है, यह दोहरी संरचना न्याय तक पहुंच को मजबूत करती है और संवैधानिक सुरक्षा की एक विकेंद्रीकृत लेकिन मजबूत प्रणाली सुनिश्चित करती है। इसलिए, अनुच्छेद 32 संवैधानिक नैतिकता के व्यावहारिक कार्यान्वयन का प्रतीक है, जो

अधिकारों को अमूर्त वादों से बदलकर जीवंत और लागू करने योग्य वास्तविकताओं में बदलता है।

2. रिट अधिकार क्षेत्र

अनुच्छेद 32 और 226 के तहत मौलिक अधिकारों को लागू करने का काम मुख्य रूप से रिट के माध्यम से किया जाता है, जो ब्रिटिश संवैधानिक कानून से मिली एक न्यायिक व्यवस्था है। पांच प्रकार की रिट होती हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus), जो गैर-कानूनी रूप से हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई सुनिश्चित करके व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करती है; परमादेश (Mandamus), जो सार्वजनिक अधिकारियों को उनके कानूनी कर्तव्यों का पालन करने का आदेश देती है; प्रतिषेध (Prohibition), जो निचली अदालतों को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकती है; उत्प्रेषण (Certiorari), जो गैर-कानूनी या अधिकार क्षेत्र से बाहर की न्यायिक कार्रवाइयों को रद्द करती है; और अधिकार-पृच्छा (Quo Warranto), जो सार्वजनिक पद पर गैर-कानूनी कब्जे को चुनौती देती है। ये रिट अदालतों को संवैधानिक प्रहरी के रूप में काम करने में सक्षम बनाती हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सत्ता कानूनी दायरे में रहे। समय के साथ, भारतीय अदालतों ने न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका (PIL) के माध्यम से रिट अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया है, जिससे हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए न्याय तक पहुंच लोकतांत्रिक हुई है। हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य (1979) जैसे अहम मामलों ने अनुच्छेद 21 के तहत जल्द सुनवाई के अधिकार को मान्यता दी, जबकि एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ (1982) ने 'लोकस स्टैंडी' (मुकदमा करने का अधिकार) के दायरे को बढ़ाया, जिससे समाज-हित में काम करने वाले लोग दूसरों की ओर से केस दायर कर सके। इसके अलावा, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997) मामले में अदालत ने कानून न होने पर भी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ गाइडलाइंस बनाकर अपनी रचनात्मकता दिखाई। इन कदमों के ज़रिए, न्यायपालिका ने 'रिट अधिकार क्षेत्र' (writ jurisdiction) को सिर्फ़ एक तकनीकी उपाय से बदलकर सामाजिक न्याय के एक शक्तिशाली साधन में बदल दिया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सरकार संविधान के प्रति जवाबदेह बनी रहे।

3. अधिकारों का दायरा बढ़ाना

न्यायिक व्याख्या, खासकर अनुच्छेद 21 के तहत, ने "जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता" की परिभाषा का विस्तार करके मौलिक अधिकारों के अर्थ में क्रांतिकारी बदलाव किया है। फ्रांसिस कोराली मुलिन बनाम दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश (1981) मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक

फैसले में कहा गया कि जीवन के अधिकार में मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है, जिसमें भोजन, आवास और चिकित्सा देखभाल तक पहुंच भी आती है। इस व्याख्या ने स्वतंत्रता की संकीर्ण, प्रक्रियात्मक समझ से हटकर एक ठोस, कल्याण-उन्मुख दृष्टिकोण अपनाया। यह विकासक्रम के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017) मामले के साथ आगे बढ़ा, जहां सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार को जीवन और स्वतंत्रता का अभिन्न अंग माना, जिससे राज्य के दखलंदाजी वाले कार्यों के खिलाफ व्यक्ति की स्वायत्तता को मजबूती मिली। बाद के फैसलों ने इस तर्क का विस्तार करते हुए स्वच्छ पर्यावरण, शिक्षा और आजीविका के अधिकार को भी इसमें शामिल किया, जिससे संविधान सामाजिक वास्तविकताओं के प्रति संवेदनशील एक जीवंत दस्तावेज बन गया। यह न्यायिक रचनात्मकता भारत में संवैधानिक व्यवस्था की अनुकूलन क्षमता को रेखांकित करती है, जो व्यक्तिगत अधिकारों और सामूहिक कल्याण के बीच संतुलन बनाती है और साथ ही यह सुनिश्चित करती है कि मौलिक अधिकार सामाजिक प्रगति के साथ-साथ विकसित होते रहें। इस गतिशील व्याख्या के माध्यम से, अदालतों ने न केवल संवैधानिक आदर्शों को संरक्षित किया है, बल्कि उनमें समकालीन प्रासंगिकता और नैतिक गहराई का संचार भी किया है।

4. समकालीन प्रासंगिकता और सुरक्षा उपाय

मौलिक अधिकार भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की आधारशिला बने हुए हैं, जो देश के सामाजिक, राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तनों के अनुरूप ढलने वाली गारंटी के रूप में कार्य करते हैं। जैसे-जैसे भारत असमानता, बहुसंख्यकवादी राजनीति और डिजिटल निगरानी की चुनौतियों से जूझ रहा है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामूहिक गरिमा की रक्षा में इन अधिकारों का महत्व और बढ़ गया है। न्यायपालिका ने, संविधान के संरक्षक और व्याख्याकार के रूप में, प्रगतिशील व्याख्याओं और न्यायिक सक्रियता के माध्यम से इन अधिकारों की पवित्रता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अनुच्छेद 21 का विस्तार करके उसमें निजता, शिक्षा और स्वच्छ पर्यावरण के अधिकारों को शामिल करने से लेकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या समानता को खतरे में डालने वाले असंवैधानिक कानूनों को रद्द करने तक, अदालतों ने यह सुनिश्चित किया है कि संविधान एक जीवंत और संवेदनशील दस्तावेज बना रहे। साथ ही, नागरिक समाज संगठन और स्वतंत्र मीडिया राज्य की शक्ति की निगरानी करने, उल्लंघनों को उजागर करने और संवैधानिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जनमत जुटाने में महत्वपूर्ण मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं।

समकालीन बहसें सुरक्षा, शासन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाने के निरंतर संघर्ष को उजागर करती हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत राजद्रोह कानून को खत्म करने का आंदोलन, औपनिवेशिक दौर के कानूनों को अभिव्यक्ति की आज़ादी और असहमति जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप बनाने की बढ़ती मांग को दिखाता है। इसी तरह, डिजिटल टेक्नोलॉजी के आने से डेटा प्राइवेसी और निगरानी से जुड़े जटिल मुद्दे सामने आए हैं, जिससे 'डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट' के तहत न्यायिक जांच और कानूनी सुधार की कोशिशें शुरू हुई हैं। अल्पसंख्यकों के अधिकार और लैंगिक समानता संवैधानिक चर्चाओं में हमेशा अहम रहे हैं; हाल के कानूनी बदलाव, जैसे समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करना और ट्रांसजेंडर अधिकारों को मान्यता देना, अनुच्छेद 14 और 15 के तहत समानता की बदलती और गतिशील व्याख्या को दर्शाते हैं। जैसा कि EPW (2020) बताता है, मौलिक अधिकारों की मजबूती उनकी अनुकूलन क्षमता में है—वे न्याय के नए रूपों को शामिल करने के लिए विस्तार करते हैं और साथ ही राजनीतिक या आर्थिक शक्ति के अतिक्रमण का विरोध भी करते हैं। इस संदर्भ में, संविधान एक जीवंत वादा बना हुआ है, जिसमें न्यायपालिका, नागरिक समाज और मीडिया मिलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि लोकतांत्रिक स्वतंत्रताएं लोगों की बदलती जरूरतों और आकांक्षाओं के साथ विकसित होती रहें।

VII. निष्कर्ष

मौलिक अधिकार भारतीय लोकतंत्र का नैतिक और संरचनात्मक आधार हैं, जो प्रस्तावना में शामिल स्वतंत्रता, समानता और न्याय के सिद्धांतों को मूर्त रूप देते हैं। ये केवल कानूनी अधिकार नहीं हैं, बल्कि वे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं जो नागरिकों को सशक्त बनाकर और राज्य की शक्ति के मनमाने इस्तेमाल पर रोक लगाकर गणतंत्र की लोकतांत्रिक भावना को बनाए रखते हैं। दशकों से, न्यायपालिका ने यह सुनिश्चित किया है कि ये अधिकार गतिशील बने रहें और समाज के बदलते स्वरूप के प्रति संवेदनशील रहें। संविधान की जीवंत व्याख्या के माध्यम से, अदालतों ने लिंग न्याय, पर्यावरण क्षरण और डिजिटल गोपनीयता जैसी उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए अधिकारों के दायरे का विस्तार किया है, जिससे आधुनिक युग में संविधान की अनुकूलन क्षमता और प्रासंगिकता की फिर से पुष्टि हुई है। साथ ही, संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा - जो विविधता, सहिष्णुता और कानून के शासन के प्रति सम्मान पर जोर देती है - मौलिक अधिकारों के प्रयोग को लोकतांत्रिक जिम्मेदारी के ढांचे के भीतर स्थापित करती है। यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रयोग सामूहिक हित के साथ सामंजस्य बिठाकर किया जाए, जो स्वतंत्रता और सामाजिक व्यवस्था के बीच संविधान निर्माताओं द्वारा

परिकल्पित नाजुक संतुलन को दर्शाता है। "हम भारत के लोग" को सर्वोच्च संप्रभु के रूप में फिर से रेखांकित करना इस बात को स्पष्ट करता है कि संविधान को अपना अधिकार राज्य से नहीं, बल्कि स्वयं नागरिकों से प्राप्त होता है, जिनकी भागीदारी और सतर्कता संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। अंततः, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा मौलिक कर्तव्यों के पालन और नागरिक चेतना से अविभाज्य है। ये मिलकर एक ऐसा नैतिक और कानूनी परिवेश बनाते हैं जो गरिमा, समानता और न्याय पर आधारित समावेशी लोकतंत्र को पोषित करता है। इन सिद्धांतों की फिर से पुष्टि करते हुए, भारत का संवैधानिक ढांचा संविधान सभा के परिवर्तनकारी दृष्टिकोण को मूर्त रूप देता रहता है - एक ऐसा दृष्टिकोण जहां अधिकार स्थिर विशेषाधिकार नहीं, बल्कि सशक्तिकरण और राष्ट्र-निर्माण के जीवंत साधन हैं।

Reference:

- Bhatia, Gautam. *Offend, Shock, or Disturb: Free Speech under the Indian Constitution*. OUP, 2016.
- Kashyap, Subhash C. *Our Constitution: An Introduction to India's Constitution and Constitutional Law*. NBT, 2013.
- Basu, Durga Das. *Introduction to the Constitution of India*. LexisNexis Butterworths, 2020.
- Austin, Granville. *Working a Democratic Constitution: The Indian Experience*. OUP, 1999.
- "Safeguarding Fundamental Rights." *EPW*, vol. 55, no. 45, 2020.
- "Article 19: Mapping the Free Speech Debate in India." *EPW Engage*, 2019.
- "National Security vs Fundamental Rights." *EPW*, vol. 56, no. 41, 2021.
- Rakshit, Nirmalendu B. "Right to Constitutional Remedy." *EPW*.

- "Sedition in India: Colonial Legacy, Misuse and Effect on Free Speech." *EPW Engage*, 2019.
- "Constitutional Limits to Ridicule." *EPW*, vol. 56, no. 49, 2021.

इकाई 3: राज्य के नीति-निर्देशक तत्व (भाग IV)

I. परिचय

भारतीय संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36-51) में शामिल राज्य के नीति-निर्देशक तत्व (DPSP), एक न्यायपूर्ण, समानता-आधारित और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए संवैधानिक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। इनकी ऐतिहासिक जड़ें वैश्विक और स्वदेशी दोनों तरह की बौद्धिक परंपराओं में हैं, जिन्होंने राजनीतिक स्वतंत्रता और सामाजिक-आर्थिक न्याय के बीच तालमेल बिठाने का प्रयास किया। संविधान निर्माताओं ने आयरिश संविधान के अनुच्छेद 45 से सीधी प्रेरणा ली, जिसमें सामाजिक नीति के सिद्धांतों की रूपरेखा दी गई थी। साथ ही, उन्होंने 1928 की नेहरू रिपोर्ट और 1945 की सप्रू समिति रिपोर्ट जैसे शुरुआती भारतीय संवैधानिक प्रस्तावों से भी विचार लिए; इन दोनों रिपोर्टों में राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए सामाजिक कल्याण और आर्थिक अधिकारों को आवश्यक माना गया था। संविधान सभा की बहसों में, डॉ. बी.आर. अंबेडकर, के.टी. शाह और अल्लादि कृष्णस्वामी अय्यर ने राज्य की नीति के लिए ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों की आवश्यकता पर चर्चा की, जो नए गणतंत्र की नैतिक और आदर्शात्मक आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करें। अंबेडकर ने DPSP को सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र हासिल करने के साधन के रूप में वर्णित किया, जो मौलिक अधिकारों के माध्यम से गारंटीकृत राजनीतिक लोकतंत्र के पूरक हैं। हालाँकि, व्यावहारिक सीमाओं - विशेष रूप से भारत की आर्थिक बाधाओं

और स्वतंत्रता के समय प्रशासनिक ढांचे की शुरुआती अवस्था - के कारण, सभा ने DPSP को गैर-न्यायोचित (non-justiciable) बनाने का निर्णय लिया। अनुच्छेद 37 में यह प्रावधान है कि ये देश के शासन के लिए मौलिक तो हैं, लेकिन किसी भी अदालत द्वारा इन्हें लागू नहीं कराया जा सकता। यह सोच-समझकर किया गया निर्णय आदर्शवाद और व्यावहारिकता के बीच संतुलन बनाने के लिए था, ताकि बाद की सरकारों को इन लक्ष्यों को धीरे-धीरे हासिल करने में लचीलापन मिल सके। इसलिए, DPSP शासन के लिए एक ब्लूप्रिंट के रूप में कार्य करते हैं। ये राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने, असमानताओं को कम करने, आजीविका के पर्याप्त साधन सुनिश्चित करने और प्रस्तावना में किए गए वादे के अनुसार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं। ये उस चीज़ का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे ग्रैनविले ऑस्टिन ने उचित रूप से "संविधान की अंतरात्मा" कहा था; ये संविधान के उस नैतिक और सामाजिक दर्शन को समाहित करते हैं जो भारत को राजनीतिक लोकतंत्र से सामाजिक लोकतंत्र में बदलने का प्रयास करता है। इन सिद्धांतों को शामिल करके, निर्माताओं ने एक गतिशील संवैधानिक व्यवस्था की कल्पना की, जहाँ शासन लगातार नैतिक मूल्यों और सामूहिक भलाई से निर्देशित हो, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्वतंत्रता और न्याय केवल कानूनी औपचारिकताओं तक सीमित न रहकर सभी नागरिकों के लिए वास्तविक जीवन का हिस्सा बनें। इस प्रकार, DPSP विधायिका और न्यायपालिका, दोनों के लिए एक नैतिक दिशा-सूचक का काम करते हैं; ये संविधान की प्रस्तावना के आदर्शों और विविधतापूर्ण व विकासशील समाज में राष्ट्र-निर्माण की व्यावहारिक चुनौतियों के बीच की खाई को खत्म करते हैं।

II. कॉन्सेप्ट, वर्गीकरण और महत्व

1. राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों (DPSP) की अवधारणा

राज्य के नीति-निर्देशक तत्व (DPSP) भारत के संवैधानिक शासन की नैतिक और दार्शनिक नींव हैं। ये संविधान के भाग IV में शामिल दिशा-निर्देशों का एक समूह हैं, जिनका उद्देश्य राज्य को ऐसी नीतियां और कानून बनाने के लिए निर्देशित करना है जिनसे सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हो सके। हालांकि इन्हें किसी अदालत द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, लेकिन अनुच्छेद 37 इन्हें "देश के शासन में मौलिक" घोषित करता है, जिससे इन्हें एक बाध्यकारी नैतिक अधिकार मिलता है। DPSP आदर्श और वास्तविकता के बीच की खाई को पाटने का प्रयास करते हैं, और प्रस्तावना की आकांक्षाओं - न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व - को व्यावहारिक नीतिगत उद्देश्यों में बदलते हैं। इस प्रकार, इनकी प्रकृति बाध्यकारी

होने के बजाय मार्गदर्शक है; ये राज्य पर सामाजिक-आर्थिक बदलाव के माध्यम से लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने की व्यापक जिम्मेदारी डालते हैं। DPSP की दार्शनिक नींव सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता पर आधारित कल्याणकारी राज्य के कॉन्सेप्ट में निहित है, जिसकी कल्पना राष्ट्रवादी आंदोलन ने की थी और जो नेहरू और अंबेडकर के समाजवाद और मानवीय गरिमा के आदर्शों में झलकती है। इनका उद्देश्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाना है जिसमें सभी नागरिक न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता का आनंद ले सकें, बल्कि आर्थिक सुरक्षा और समान अवसर भी प्राप्त कर सकें। DPSP और मौलिक अधिकारों के बीच अंतर उनके लागू होने की क्षमता में है: जहाँ मौलिक अधिकार न्याय-योग्य (न्यायालय द्वारा लागू करने योग्य) हैं, वहीं DPSP गैर-न्याय-योग्य हैं और इनका उद्देश्य मजबूर करने के बजाय मार्गदर्शन करना है। फिर भी, दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं: मौलिक अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता स्थापित करते हैं, जबकि DPSP राज्य पर ऐसी स्थितियां बनाने की सामूहिक जिम्मेदारी डालते हैं जो उन स्वतंत्रताओं को सार्थक बनाती हैं। जब मौलिक कर्तव्यों (भाग IVA) के साथ देखा जाता है, तो यह तिकड़ी एक संतुलित संवैधानिक दर्शन को दर्शाती है - अधिकार स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं, निर्देश न्याय सुनिश्चित करते हैं, और कर्तव्य जिम्मेदारी सुनिश्चित करते हैं। इस प्रकार, DPSP शासन के नैतिक पहलू का प्रतिनिधित्व करते हैं और एक मानवीय और समावेशी राज्य संरचना के दृष्टिकोण को आकार देते हैं जो सभी नागरिकों की भलाई को प्राथमिकता देती है।

2. नीति-निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण

नीति-निर्देशक तत्वों का अंतिम लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है, लेकिन उनकी विचारधारा के आधार पर उन्हें मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में बांटा गया है: समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी-बौद्धिक सिद्धांत। समाजवादी सिद्धांत, जो मुख्य रूप से अनुच्छेद 38, 39, 41, 42, 43 और 47 में शामिल हैं, सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देने और आय, स्थिति और अवसर में असमानता को कम करने का प्रयास करते हैं। ये सिद्धांत संसाधनों के समान वितरण, पर्याप्त आजीविका के अधिकार, काम की मानवीय स्थितियों और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार पर जोर देते हैं, जो एक कल्याणकारी राज्य के मुख्य आधार हैं। ये प्रावधान नेहरूवादी समाजवाद और अंबेडकर के सामाजिक लोकतंत्र को दर्शाते हैं, जिनका उद्देश्य औपनिवेशिक और सामंती प्रणालियों से मिली संरचनात्मक असमानताओं को खत्म करना है। गांधीवादी सिद्धांत, जो अनुच्छेद 40, 43, 43B, 46, 47 और 48 में शामिल हैं, महात्मा गांधी के विकेंद्रीकृत शासन और गांवों की आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। ये ग्राम पंचायतों के गठन, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने, कमजोर वर्गों की सुरक्षा और नशीले पेय पदार्थों व गायों

की हत्या पर रोक लगाने की वकालत करते हैं - ये सभी मूल्य नैतिक शुद्धता और ग्रामीण पुनर्निर्माण पर आधारित हैं। ये प्रावधान गांधी के इस विश्वास को दर्शाते हैं कि भारत की ताकत उसके गांवों में है, और सच्ची स्वतंत्रता केवल समुदाय-आधारित, नैतिक जीवन शैली से ही बनी रह सकती है। उदारवादी-बौद्धिक सिद्धांत, जो अनुच्छेद 44, 45, 48, 49, 50 और 51 में बताए गए हैं, पश्चिमी उदारवाद और प्रबोधन (Enlightenment) की सोच से प्रेरित हैं। ये समान नागरिक संहिता, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने, राष्ट्रीय स्मारकों के संरक्षण और अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने जैसे सिद्धांतों पर जोर देते हैं। ये प्रावधान भारतीय संविधान की पहुंच को घरेलू शासन से आगे बढ़ाते हैं और राष्ट्रीय प्रगति को वैश्विक सद्भाव और मानवाधिकारों से जोड़ते हैं। ये तीनों वर्गीकरण मिलकर भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के मिले-जुले स्वरूप को दर्शाते हैं, जो सामाजिक न्याय पर आधारित है, नैतिक आदर्शवाद से प्रेरित है और लोकतांत्रिक उदारवाद के प्रति प्रतिबद्ध है; यह सब DPSP को केवल एक नीतिगत ढांचा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए एक नैतिक चार्टर बनाता है।

3. राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों का महत्व

भारत के संवैधानिक और राजनीतिक दर्शन को आकार देने में राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों (DPSP) का बहुत महत्व है; ये राजनीतिक लोकतंत्र और सामाजिक-आर्थिक न्याय के बीच एक सेतु का काम करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना है, जहाँ शासन का ध्यान केवल व्यवस्था बनाए रखने पर नहीं, बल्कि हर नागरिक की भलाई पर हो। ये भूमि सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रमिक कल्याण और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कानूनों और नीतियों के लिए वैचारिक आधार प्रदान करते हैं। ऐसा करके, DPSP प्रस्तावना में किए गए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के वादे को साकार करते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि संवैधानिक लोकतंत्र केवल कानूनी अधिकारों तक ही सीमित न रहे, बल्कि समान जीवन स्थितियों तक भी पहुँचे। DPSP व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामूहिक हित के बीच संतुलन बनाकर मौलिक अधिकारों के पूरक के रूप में भी काम करते हैं; जहाँ अधिकार राज्य के हस्तक्षेप से स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं, वहीं निर्देशक तत्व बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए राज्य की कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं। जैसा कि बी.आर. अंबेडकर ने ज़ोर दिया था, DPSP "संवैधानिक नैतिकता" को दर्शाते हैं और लोकतांत्रिक शासन के माध्यम से सामाजिक बदलाव की भावना को मूर्त रूप देते हैं। गौतम भाटिया जैसे आधुनिक विद्वान इन्हें "परिवर्तनकारी संविधानवाद" के साधन के रूप में देखते हैं, जो अदालतों और विधायिकाओं को बदलती सामाजिक

वास्तविकताओं के आलोक में संविधान की प्रगतिशील व्याख्या करने में सक्षम बनाते हैं। पिछले कुछ दशकों में, विभिन्न सरकारों ने DPSP के आधार पर कल्याणकारी कानून बनाए हैं, जैसे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (2013) और पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना। हालाँकि, इनके कार्यान्वयन में कई चुनौतियाँ भी रही हैं; संसाधनों की कमी, प्रशासनिक अक्षमता और राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव अक्सर इनके क्रियान्वयन में बाधा डालते हैं। आलोचकों का तर्क है कि इनके कानूनी रूप से लागू न हो पाने (non-justiciability) के कारण जवाबदेही कमज़ोर होती है, जबकि अन्य का मानना है कि न्यायिक सक्रियता ने प्रभावी ढंग से इन्हें मौलिक अधिकारों के लागू होने वाले दायरे में शामिल कर दिया है। इन सीमाओं के बावजूद, DPSP भारत की संवैधानिक व्यवस्था के लिए एक नैतिक दिशा-सूचक (moral compass) बने हुए हैं और शासन का एक ऐसा दीर्घकालिक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं जो राजनीतिक चक्रों से परे है। ये राज्य और नागरिकों दोनों को याद दिलाते रहते हैं कि लोकतंत्र का असली पैमाना केवल स्वतंत्र चुनाव या कानूनी अधिकार नहीं हैं, बल्कि समानता, गरिमा और सामाजिक न्याय पर आधारित समाज का निर्माण है।

III. आर्थिक और सामाजिक अधिकार; गांधीवादी और उदारवादी सिद्धांत

1. आर्थिक और सामाजिक अधिकार

राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों (DPSPs) में शामिल आर्थिक और सामाजिक अधिकार भारत के कल्याणकारी राज्य मॉडल की संवैधानिक रीढ़ हैं। मुख्य रूप से अनुच्छेद 38, 39(a–f), 41–43 और 47 में शामिल ये प्रावधान राज्य पर सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देने, आय में असमानता को कम करने और सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन सुनिश्चित करने का दायित्व डालते हैं। अनुच्छेद 38 राज्य को एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश देता है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं में व्याप्त हो, जबकि अनुच्छेद 39 भौतिक संसाधनों के समान वितरण, समान काम के लिए समान वेतन और श्रमिकों के स्वास्थ्य व शक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 41 से 43 काम, शिक्षा और बेरोजगारी, बीमारी या बुढ़ापे की स्थिति में सार्वजनिक सहायता के अधिकार पर जोर देते हैं, जिससे सभी के लिए मानवीय और सम्मानजनक जीवन की नींव पड़ती है। अनुच्छेद 47 राज्य को सार्वजनिक स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करने का निर्देश देता है और स्वास्थ्य को मानव विकास का अभिन्न अंग मानता है। 42वें संवैधानिक संशोधन (1976) ने असमानताओं को कम करने और समाजवादी मूल्यों को बढ़ावा देने का स्पष्ट उल्लेख करके इन सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों पर नए सिरे से जोर दिया,

जिससे राज्य नीति में सामाजिक न्याय की दृष्टि और मजबूत हुई। आधुनिक वैश्विक संदर्भ में, ये संवैधानिक निर्देश संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के साथ निकटता से मेल खाते हैं, विशेष रूप से गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और शिक्षा से संबंधित लक्ष्यों के साथ। ये सभी मिलकर आर्थिक विकास को समावेशी मानव विकास में बदलने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। हालाँकि, मनरेगा (MGNREGA), शिक्षा का अधिकार और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जैसी कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, फिर भी गरीबी, बेरोजगारी और क्षेत्रीय असमानता की चुनौतियाँ बनी हुई हैं। इसलिए, आर्थिक और सामाजिक DPSP न केवल शासन के मार्गदर्शक सिद्धांत बने हुए हैं, बल्कि समान और सतत विकास की दिशा में भारत की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए मानक भी हैं।

2. गांधीवादी सिद्धांत

राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों में शामिल गांधीवादी सिद्धांत, आत्मनिर्भर, नैतिक रूप से सही और गांवों पर आधारित सामाजिक व्यवस्था के बारे में महात्मा गांधी के नज़रिए को दिखाते हैं। अनुच्छेद 40, 43, 43B, 46, 47 और 48 इस सोच को अपनाते हैं और विकेंद्रीकरण, ग्रामीण पुनर्निर्माण और नैतिक उत्थान पर ज़ोर देते हैं। अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतें बनाने और उन्हें स्व-शासन के लिए ज़रूरी शक्तियां देने का निर्देश देता है, जिससे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की नींव पड़ती है। यह सिद्धांत बाद में 73वें संविधान संशोधन के ज़रिए हकीकत बना, जिसने पूरे भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संस्थागत रूप दिया। अनुच्छेद 43 सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करता है और रोज़गार व आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने में छोटे पैमाने के ग्रामीण उद्योगों की भूमिका को मान्यता देता है। अनुच्छेद 43B को शामिल करने से सहकारी समितियों को बढ़ावा देना अनिवार्य हो गया, जिससे सहकारी भावना और मज़बूत हुई। अनुच्छेद 47, जो नशीले पेय पदार्थों पर रोक लगाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार की बात करता है, और अनुच्छेद 48, जो पशु संरक्षण और वैज्ञानिक खेती की वकालत करता है, गांधी के अहिंसा, सादगी और पारिस्थितिक संतुलन के आदर्शों को दर्शाते हैं। ये सभी सिद्धांत मिलकर शासन के एक ऐसे नैतिक मॉडल को बढ़ावा देते हैं जो श्रम की गरिमा, नैतिक संयम और प्रकृति के साथ सामंजस्य पर आधारित है। हालांकि, नेक इरादों के बावजूद, गांधीवादी निर्देशों को असल में लागू करने का काम सीमित रहा है। तेज़ी से हो रहे शहरीकरण, औद्योगीकरण और आर्थिक विकास की होड़ ने अक्सर ग्रामीण विकास को हाशिए पर धकेल दिया है, जिससे पंचायतें और कुटीर उद्योग कमज़ोर हो गए हैं और उन्हें पर्याप्त धन नहीं मिल पाता। नशाबंदी की नीतियों के भी मिले-जुले नतीजे रहे हैं;

कहीं इन्हें ठीक से लागू नहीं किया गया, तो कहीं इनके अनचाहे सामाजिक परिणाम सामने आए। फिर भी, गांधीवादी मूल्य आज भी शासन-व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, जैसा कि "ग्राम स्वराज," "मेक इन इंडिया" और ग्रामीण स्वरोज़गार योजनाओं जैसी पहलों में देखा जा सकता है। इस तरह, ये सिद्धांत एक नैतिक याद दिलाते हैं कि भारत में सच्ची प्रगति को केवल औद्योगिक उत्पादन या GDP से नहीं, बल्कि गांवों और समुदायों की नैतिक और सामाजिक भलाई से मापा जाना चाहिए।

3. उदारवादी-बौद्धिक सिद्धांत

राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों में शामिल उदारवादी-बौद्धिक सिद्धांत संविधान निर्माताओं की उस इच्छा को दिखाते हैं जिसके तहत वे भारत की शासन-व्यवस्था को आधुनिक लोकतंत्र, तर्कसंगतता और वैश्विक सहयोग के आदर्शों के अनुरूप बनाना चाहते थे। अनुच्छेद 44, 45, 48, 49, 50 और 51 में शामिल ये निर्देश राजनीतिक लोकतंत्र, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सांस्कृतिक संरक्षण पर ज़ोर देते हैं। अनुच्छेद 44, जो सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता (UCC) अपनाने की बात करता है, धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाते हुए राष्ट्रीय एकता और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। हालाँकि इसे लागू करना गहन राजनीतिक और सामाजिक बहस का विषय बना हुआ है, लेकिन UCC व्यक्तिगत मामलों में कानून के समक्ष समानता के संवैधानिक आदर्श का प्रतिनिधित्व करता है। अनुच्छेद 50 राज्य को न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का निर्देश देता है, जिससे न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है और कानून के शासन को बनाए रखा जाता है - यह संवैधानिक लोकतंत्र की एक आवश्यक विशेषता है जिसे स्वतंत्रता के बाद के दौर में प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से धीरे-धीरे साकार किया गया। दूसरी ओर, अनुच्छेद 51 राज्य को अंतरराष्ट्रीय कानून, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और वैश्विक सहयोग के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने का निर्देश देकर संवैधानिक दृष्टिकोण को राष्ट्रीय सीमाओं से परे ले जाता है - ये ऐसे सिद्धांत हैं जो भारत की विदेश नीति और संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों में इसकी भागीदारी का मार्गदर्शन करते हैं। इनके पूरक अनुच्छेद 49 और 51A हैं, जो राष्ट्रीय स्मारकों और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर ज़ोर देते हैं, और इस प्रकार उदार संवैधानिकवाद को भारत की सभ्यतागत लोकाचार से जोड़ते हैं। सामूहिक रूप से, ये उदार-बौद्धिक सिद्धांत परंपरा और आधुनिकता के भारतीय संविधान के समन्वय को रेखांकित करते हैं, जो राष्ट्रीय प्रगति को न्याय, तर्कसंगत शासन और वैश्विक ज़िम्मेदारी के मूल्यों पर आधारित करते हैं। हालाँकि इनका कार्यान्वयन धीरे-धीरे हुआ है और अक्सर विवादित रहा है - विशेष रूप से UCC या विरासत

स्थलों की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर - फिर भी ये एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और वैश्विक स्तर पर सक्रिय गणराज्य के रूप में भारत के विकास के लिए महत्वपूर्ण बने हुए हैं। ये सिद्धांत नीति-निर्माताओं को याद दिलाते हैं कि आधुनिकता और वैश्विक कद की खोज हमेशा न्याय, तर्कसंगतता और सांस्कृतिक पहचान की स्थायी नींव पर टिकी होनी चाहिए।

IV. मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों के बीच संबंध

1. सैद्धांतिक आपसी संबंध

मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों के बीच का संबंध भारत के संवैधानिक दर्शन के केंद्र में है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामूहिक कल्याण के बीच एक नाजुक संतुलन को दर्शाता है। जहाँ संविधान के भाग III में शामिल मौलिक अधिकार व्यक्तिगत स्वायत्तता के लिए ज़रूरी नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं, वहीं भाग IV में दिए गए नीति-निर्देशक तत्व (DPSPs) उन स्वतंत्रताओं को वास्तविक और सार्थक बनाने के लिए ज़रूरी सामाजिक-आर्थिक लक्ष्य तय करते हैं। संविधान बनाने वालों ने इन दोनों को लोकतंत्र के पूरक स्तंभों के रूप में देखा था - एक तरफ़ जो राज्य की मनमानी के ख़िलाफ़ व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है, और दूसरी तरफ़ जो समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए राज्य को सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। हालाँकि, इस संबंध में एक अंतर्निहित तनाव भी है: जहाँ मौलिक अधिकार "व्यक्तिवाद" की उदारवादी भावना को दर्शाते हैं, वहीं नीति-निर्देशक तत्व "सामूहिक कल्याण" के समाजवादी आदर्श को अपनाते हैं। व्यावहारिक चुनौती इन दो संवैधानिक ज़रूरतों - व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा और वितरणकारी न्याय सुनिश्चित करना - के बीच तालमेल बिठाने में है। न्यायपालिका द्वारा विकसित "सामंजस्यपूर्ण व्याख्या" (harmonious construction) का सिद्धांत इस तनाव को सुलझाने के लिए व्याख्या का मुख्य साधन बनकर उभरा। यह सिद्धांत इस बात पर ज़ोर देता है कि भाग III और IV को अलग-अलग नहीं, बल्कि एक साथ पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों मिलकर भारतीय संविधान का "मूल आधार" (core) बनाते हैं। ग्रैनविले ऑस्टिन ने इन्हें सही ही "संविधान की अंतरात्मा" कहा है और यह माना है कि मौलिक अधिकार और नीति-निर्देशक तत्व एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि "पूरक और सहायक" हैं। नीति-निर्देशक तत्वों के बिना मौलिक अधिकार सामाजिक न्याय के बिना राजनीतिक लोकतंत्र को जन्म देंगे, जबकि मौलिक अधिकारों के बिना नीति-निर्देशक तत्व तानाशाही को बढ़ावा दे सकते हैं। इसलिए, संविधान की खूबी स्वतंत्रता को समानता के साथ, व्यक्तिवाद को समाजवाद के साथ और कानून को नैतिकता के साथ मिलाने में है - एक ऐसा दृष्टिकोण जो इस दस्तावेज़ को केवल कानूनी पाठ से बदलकर

सामाजिक बदलाव का एक जीवंत साधन बनाता है। समय के साथ, संवैधानिक संशोधनों और न्यायिक व्याख्याओं के माध्यम से इस सैद्धांतिक आपसी संबंध को और मज़बूत किया गया है, जो एक कल्याणकारी लोकतंत्र में अधिकारों और ज़िम्मेदारियों के बीच गतिशील अंतर्संबंधों की बदलती समझ को दर्शाता है।

2. इस रिश्ते का न्यायिक विकास

मौलिक अधिकारों और नीति-निर्देशक तत्वों (DPSP) के बीच के रिश्ते की न्यायिक व्याख्या कई अलग-अलग चरणों से गुज़री है, जिनमें से हर एक बदलती सामाजिक प्राथमिकताओं और राजनीतिक वास्तविकताओं को दिखाता है। शुरुआती दौर में, सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त नज़रिया अपनाया जिसमें DPSP के मुकाबले मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दी गई। 'स्टेट ऑफ़ मद्रास बनाम चंपकम दोराईराजन' (1951) के अहम मामले में यह तय किया गया कि टकराव की स्थिति में मौलिक अधिकार ही मान्य होंगे, जिससे DPSP गौण और गैर-लागू करने योग्य हो गए। हालाँकि, इस व्याख्या की आलोचना हुई कि न्यायपालिका संविधान के सामाजिक न्याय के लक्ष्यों को नज़रअंदाज़ कर रही है। 'स्टेट ऑफ़ बिहार बनाम कामेश्वर सिंह' (1952) के साथ तालमेल बिठाने का दौर शुरू हुआ, जहाँ कोर्ट ने माना कि न्याय के बड़े संवैधानिक मकसद को हासिल करने के लिए संविधान के भाग III और IV दोनों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। 'गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ़ पंजाब' (1967) के साथ गतिशील व्याख्या के दौर को गति मिली, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मौलिक अधिकार अपरिवर्तनीय हैं और DPSP को लागू करने के लिए उन्हें कम नहीं किया जा सकता, जिससे आज़ादी और सामाजिक सुधार के बीच तनाव फिर से बढ़ गया। 'केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ़ केरल' (1973) में एक अहम मोड़ आया, जहाँ कोर्ट ने संविधान के "मूल ढांचे" (basic structure) का सिद्धांत पेश किया और माना कि मौलिक अधिकार और DPSP दोनों ही इसके ज़रूरी ढांचे का हिस्सा हैं और उन्हें सामंजस्यपूर्ण ढंग से साथ-साथ चलना चाहिए। इस फैसले ने भाग III और IV के बीच टकराव से सहयोग की ओर एक बड़ा बदलाव दिखाया। 'मिनर्वा मिल्स बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया' (1980) में इस सामंजस्य के सिद्धांत को फिर से दोहराया गया, जहाँ कोर्ट ने मशहूर टिप्पणी की कि "भाग IV के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भाग III द्वारा दी गई गारंटियों को खत्म करना स्पष्ट रूप से संविधान को कमजोर करना है।" इस तरह कोर्ट ने अधिकारों और निर्देशों के बीच संतुलन को संवैधानिक लोकतंत्र का सार माना। बाद के फैसलों जैसे 'पथुम्मा बनाम स्टेट ऑफ़ केरल' (1978) और 'उन्नीकृष्णन बनाम स्टेट ऑफ़ आंध्र प्रदेश' (1993) ने शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका जैसे DPSP-आधारित सामाजिक-आर्थिक अधिकारों को शामिल करके मौलिक

अधिकारों के दायरे को बढ़ाया। व्याख्या का यह आधुनिक दौर न्यायपालिका की रचनात्मक सक्रियता को दिखाता है, जिसमें गैर-न्यायसंगत निर्देशों को लागू करने योग्य अधिकारों में बदला गया, जिससे संवैधानिक आदर्शों और सामाजिक वास्तविकताओं के बीच की खाई को प्रभावी ढंग से पूर्ण किया गया।

3. संवैधानिक संशोधन और संतुलन बनाने की कोशिशें

मौलिक अधिकारों और नीति-निर्देशक तत्वों के बीच दिखने वाले टकराव को सुलझाने के लिए कई संवैधानिक संशोधन किए गए। हर संशोधन ने आज़ादी और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन को नए सिरे से तय करने की कोशिश की। 25वां संशोधन (1971) पहला बड़ा विधायी कदम था। इसमें अनुच्छेद 31C जोड़ा गया ताकि अनुच्छेद 39(b) और (c) के लक्ष्यों को लागू करने वाले कानूनों को सुरक्षा मिल सके। ये अनुच्छेद संसाधनों के समान वितरण और आर्थिक केंद्रीकरण को रोकने से जुड़े हैं। इन कानूनों को अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती थी। इससे व्यक्तिगत अधिकारों के बजाय सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता मिलने लगी। हालाँकि, नागरिक स्वतंत्रता के कमज़ोर होने की चिंताएँ भी पैदा हुईं। 42वां संशोधन (1976), जिसे अक्सर "मिनी-संविधान" कहा जाता है, ने अनुच्छेद 31C की सुरक्षा का दायरा सभी नीति-निर्देशक तत्वों (DPSPs) तक बढ़ा दिया। इससे उन्हें मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता मिल गई। इसने प्रस्तावना में "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" शब्द भी जोड़े, जिससे सामाजिक-आर्थिक न्याय पर और ज़ोर दिया गया। लेकिन बाद में 44वें संशोधन (1978) ने इस अति-विस्तार को नियंत्रित किया। इसने अनुच्छेद 31C के सुरक्षा दायरे को फिर से केवल अनुच्छेद 39(b) और (c) तक सीमित करके संतुलन बहाल किया। मिनर्वा मिल्स (1980) मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस संतुलन को और मज़बूत किया। कोर्ट ने कहा कि नीति-निर्देशक तत्वों (DPSPs) को असीमित प्राथमिकता देने से संविधान का मूल ढांचा नष्ट हो जाएगा, जो भाग III और IV के बीच सामंजस्य पर टिका है। कोर्ट ने दोहराया कि "भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों और नीति-निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन की नींव पर टिका है।" आज भी संवैधानिक चर्चाओं में संतुलन बनाने की यह कोशिश दिखाई देती है। आलोचकों का तर्क है कि हालाँकि विधायी कदमों ने कल्याणकारी दायित्वों का विस्तार किया है, फिर भी आर्थिक बाधाओं और राजनीतिक सुस्ती के कारण कई नीति-निर्देशक तत्व अधूरे रह गए हैं। इसके बावजूद, न्यायपालिका ने रचनात्मक व्याख्या के ज़रिए कई नीति-निर्देशक तत्वों में नई जान फूँकी है। उसने शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और आजीविका के अधिकारों को अनुच्छेद 21 में निहित माना है। आधुनिक संदर्भ

में, ये संशोधन और न्यायिक घटनाक्रम दिखाते हैं कि संविधान की ताकत उसके लचीलेपन में है—यानी अपने बुनियादी सिद्धांतों से समझौता किए बिना बदलती सामाजिक ज़रूरतों के अनुसार ढलने की क्षमता। इस प्रकार, मौलिक अधिकारों और नीति-निर्देशक तत्वों के बीच चल रही बातचीत उस गतिशील संतुलन को दर्शाती है जो भारत के परिवर्तनकारी संविधानवाद के लिए ज़रूरी है।

V. न्यायिक मान्यता और कार्यान्वयन

1. राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों की न्यायिक मान्यता और विस्तार

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 के तहत राज्य के नीति-निर्देशक तत्व (DPSP) भले ही कानूनी रूप से लागू करने योग्य (justiciable) न हों, लेकिन न्यायपालिका की सक्रिय और गतिशील व्याख्या के माध्यम से इन्हें धीरे-धीरे लागू करने योग्य सामाजिक-आर्थिक अधिकारों में बदल दिया गया है। दशकों से, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने DPSP को मौलिक अधिकारों (FRs) के दायरे में शामिल करके संविधान के भाग IV में निहित नैतिक आकांक्षाओं और भाग III की कानूनी गारंटी के बीच की खाई को भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्यायिक कानून-निर्माण की यह प्रक्रिया भारत के संवैधानिक विकास के केंद्र में रही है, जिससे यह सुनिश्चित हुआ है कि संविधान के मुख्य लक्ष्यों—सामाजिक और आर्थिक न्याय—को स्पष्ट विधायी कार्रवाई के बिना भी प्राप्त किया जा सके। यह बदलाव इस समझ के साथ शुरू हुआ कि मौलिक अधिकार और नीति-निर्देशक तत्व एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि संवैधानिक व्यवस्था के पूरक और एक-दूसरे को मजबूत करने वाले घटक हैं। न्यायिक व्याख्या ने धीरे-धीरे कानूनी रूप से लागू करने योग्य और गैर-लागू करने योग्य प्रावधानों के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया, खासकर शिक्षा, आजीविका, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण जैसे सामाजिक-आर्थिक अधिकारों के क्षेत्र में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) का ऐतिहासिक मामला इस विकास की शुरुआत का प्रतीक था। हालांकि यह मामला मुख्य रूप से 'संविधान के मूल ढांचे' (basic structure doctrine) के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए जाना जाता है, लेकिन इस फैसले ने इस बात पर भी जोर दिया कि मौलिक अधिकार और नीति-निर्देशक तत्व मिलकर "संविधान की अंतरात्मा" का निर्माण करते हैं। न्यायालय ने माना कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके मूल ढांचे को नहीं बदल सकती, जिसमें भाग III और IV के बीच सामंजस्य भी शामिल है। फैसले में यह माना गया कि DPSP केवल नैतिक उपदेश नहीं हैं, बल्कि आवश्यक निर्देश हैं जो राज्य को सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र प्राप्त करने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। सामंजस्य के इस सिद्धांत को

मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980) मामले में और मजबूत किया गया, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने 42वें संशोधन के उस हिस्से को रद्द कर दिया जो मौलिक अधिकारों की तुलना में DPSP को पूर्ण प्राथमिकता देता था। न्यायालय ने प्रसिद्ध टिप्पणी की कि "भाग IV के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भाग III द्वारा दी गई गारंटी को नष्ट करना स्पष्ट रूप से संविधान को कमजोर करना है।" इसके बजाय, न्यायालय ने माना कि संविधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामूहिक कल्याण के बीच संतुलन पर आधारित है, और DPSP को संवैधानिक ढांचे के एक अभिन्न अंग के रूप में न्यायिक मान्यता दी। यह प्रगतिशील रुझान 1980 और 1990 के दशक में और परिपक्व हुआ, जब न्यायपालिका ने नीति-निर्देशक तत्वों को शामिल करने के लिए मौलिक अधिकारों की व्याख्या का विस्तार करना शुरू किया। उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1993) मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 (जीवन के अधिकार) में निहित एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी।

DPSP के आर्टिकल 41 और 45 से प्रेरणा लेते हुए, कोर्ट ने माना कि इंसानी व्यक्तित्व के पूरे विकास और दूसरे अधिकारों का आनंद लेने के लिए शिक्षा ज़रूरी है। इस न्यायिक मान्यता के कारण ही 86वां संविधान संशोधन (2002) हुआ, जिसमें आर्टिकल 21A जोड़ा गया और 6-14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया गया; यह DPSP के लागू होने योग्य कानून बनने का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसी तरह, ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (1985) मामले में, जिसे आम तौर पर "पेवमेंट ड्वेलर्स केस" (फुटपाथ पर रहने वालों का मामला) के नाम से जाना जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आजीविका का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आजीविका के साधन के बिना जीवित नहीं रह सकता। इस व्याख्या ने आर्टिकल 39(a) को ठोस रूप दिया, जो राज्य को सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ (1984) मामले में मानवीय गरिमा और सामाजिक न्याय के प्रति न्यायपालिका की चिंता और बढ़ी, जहाँ कोर्ट ने गरिमा, स्वास्थ्य और काम की मानवीय स्थितियों के अधिकार को आर्टिकल 21 का हिस्सा माना, जिसे आर्टिकल 39, 41 और 43 के साथ पढ़ा गया। यह मामला बंधुआ मज़दूरों और वंचितों के अधिकारों की रक्षा की दिशा में न्यायिक सक्रियता का एक बड़ा कदम था, जिससे सामाजिक-आर्थिक निर्देशों को लागू किया गया। इसी तरह, पश्चिम बंगाल खेत मज़दूर समिति बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1996) मामले में, कोर्ट ने घोषित किया कि स्वास्थ्य और चिकित्सा देखभाल का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है, जो सीधे तौर पर

आर्टिकल 47 द्वारा लगाई गई ज़िम्मेदारियों से निकला है, जो राज्य को सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का निर्देश देता है। इस फ़ैसले ने यह सिद्धांत स्थापित किया कि राज्य नागरिकों को पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएँ प्रदान करने के अपने संवैधानिक कर्तव्य से बच नहीं सकता। M.C. मेहता बनाम भारत संघ (1987 के बाद) जैसे मामलों के ज़रिए विकसित पर्यावरण संबंधी कानून न्यायपालिका द्वारा DPSP, खासकर आर्टिकल 47 और 48A, को लागू करने योग्य अधिकारों में रचनात्मक रूप से शामिल करने को और दिखाते हैं। कोर्ट ने माना कि स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा है, जिससे भारत में पर्यावरण कानूनों का एक समृद्ध ढांचा तैयार हुआ। जनहित याचिकाओं (PILs) के ज़रिए, न्यायपालिका ने टिकाऊ विकास और पारिस्थितिक संतुलन सुनिश्चित करने में सक्रिय भूमिका निभाई और संवैधानिक निर्देशों को शासन के जीवंत सिद्धांतों में बदल दिया।

2. कानूनी और नीतिगत उपायों के ज़रिए लागू करना

राज्य के नीति-निर्देशक तत्व (DPSP) सिर्फ़ संवैधानिक आदर्श बनकर नहीं रह गए हैं, बल्कि भारत को एक सामाजिक कल्याणकारी राज्य में बदलने के मकसद से कई तरह की कानूनी और नीतिगत पहलों के ज़रिए इन्हें धीरे-धीरे लागू किया गया है। हालाँकि अनुच्छेद 37 के तहत DPSP को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन ये शासन-व्यवस्था के लिए एक मार्गदर्शक ढाँचे का काम करते हैं और राज्य को इनके नैतिक और मानवीय निर्देशों को ठोस कार्रवाई में बदलने के लिए बाध्य करते हैं। ज़मीन सुधार और मज़दूर कल्याण से लेकर शिक्षा, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण तक, अलग-अलग सरकारों और विधायिकाओं ने संविधान के भाग IV में बताए गए सिद्धांतों को लागू करने की कोशिश की है, भले ही यह कोशिश हर जगह एक जैसी नहीं रही। इसलिए, DPSP को लागू करने की कहानी लोकतांत्रिक योजना और कानूनी कार्रवाई के ज़रिए भारत के धीरे-धीरे हो रहे सामाजिक और आर्थिक बदलाव की कहानी है। इसे लागू करने का पहला बड़ा क्षेत्र ज़मीन सुधार था, जिसका मकसद सामंती ढाँचों को खत्म करना और अनुच्छेद 38 और 39(b)–(c) के अनुसार संसाधनों का समान बँटवारा सुनिश्चित करना था। आज़ादी के तुरंत बाद, राज्यों ने ज़मीन सुधार कानून बनाए, जिनसे ज़मींदारी प्रथा खत्म हुई, ज़मीन रखने की सीमा तय की गई और अतिरिक्त ज़मीन को भूमिहीनों में बाँटा गया। इन उपायों का मकसद सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन सुनिश्चित करने और कुछ ही हाथों में धन और संसाधनों के जमाव को रोकने के नीति-निर्देशक सिद्धांत को साकार करना था।

हालाँकि अलग-अलग राज्यों में इन्हें लागू करने का तरीका अलग-अलग था, लेकिन बिहार ज़मीन सुधार अधिनियम (1950) और केरल ज़मीन सुधार अधिनियम (1963) जैसी अहम नीतियों ने सामाजिक और आर्थिक न्याय के प्रति संवैधानिक प्रतिबद्धता को दिखाया। ज़मीन सुधारों के साथ-साथ, अनुच्छेद 39, 41, 42 और 43 के तहत मज़दूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए मज़दूर कल्याण कानून भी लाए गए। फैक्ट्रीज़ एक्ट (1948), न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम (1948), कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (1948) और मातृत्व लाभ अधिनियम (1961) जैसे अहम कानूनों का मकसद औद्योगिक और कृषि मज़दूरों के लिए काम की मानवीय स्थितियाँ, सामाजिक सुरक्षा और गुज़ारे लायक मज़दूरी सुनिश्चित करना था। इन उपायों ने सामूहिक रूप से मज़दूरों की गरिमा और कल्याण की रक्षा करके एक न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के संवैधानिक विज़न को आगे बढ़ाया, क्योंकि मज़दूर ही भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। गांधीवादी नीति-निर्देशक सिद्धांतों से प्रेरित एक अहम संस्थागत सुधार 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधनों के ज़रिए पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना थी। अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह ग्राम पंचायतों को स्व-शासन की इकाइयों के रूप में संगठित करे, जो महात्मा गांधी के "ग्राम स्वराज" के आदर्श को दर्शाता है। 73वें संशोधन ने ग्रामीण शासन का त्रि-स्तरीय ढांचा बनाया - ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और ज़िला परिषद - जबकि 74वें संशोधन ने शहरी स्थानीय निकायों तक भी इसी तरह के प्रावधानों का विस्तार किया, जिससे विकेंद्रीकृत योजना और भागीदारीपूर्ण लोकतंत्र सुनिश्चित हुआ।

इन संशोधनों ने स्थानीय संस्थाओं को संसाधनों का प्रबंधन करने, कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने और सामुदायिक विकास को बढ़ावा देने का अधिकार दिया, जिससे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और सामाजिक सशक्तिकरण के DPSP (राज्य के नीति-निर्देशक तत्व) के लक्ष्य को साकार किया जा सका। राजनीतिक अधिकारों के हस्तांतरण के साथ-साथ, राज्य ने शिक्षा के माध्यम से सामाजिक कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का विस्तार किया, जो सामाजिक-आर्थिक विकास का मूल आधार है। 86वें संवैधानिक संशोधन (2002) के तहत शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 लागू किया गया, जिसने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया। इस कानून को DPSP के अनुच्छेद 41 और 45 से वैचारिक और कानूनी आधार मिला, जो राज्य को बच्चों के विकास के लिए शिक्षा और अवसर प्रदान करने का निर्देश देते हैं। RTE अधिनियम एक उल्लेखनीय उदाहरण है जहाँ एक नीति-निर्देशक तत्व एक लागू करने योग्य कानूनी अधिकार में बदल गया, जिससे सभी के लिए शिक्षा और समान अवसर की संवैधानिक आकांक्षा पूरी हुई।

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के क्षेत्र में, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 अनुच्छेद 47 को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो राज्य को पोषण के स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने का निर्देश देता है। यह अधिनियम भारत की लगभग दो-तिहाई आबादी को सब्सिडी वाले अनाज की गारंटी देता है और खाद्य सुरक्षा को एक कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता देता है, साथ ही इसे सीधे अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार से जोड़ता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (ICDS) और मिड-डे मील कार्यक्रम जैसी योजनाओं के माध्यम से, NFSA ने भूख और कुपोषण को खत्म करने के संवैधानिक दृष्टिकोण को संस्थागत रूप दिया है। इसी तरह, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), 2005, हालांकि संवैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 39(a) और 41 से प्रेरित है और ग्रामीण परिवारों के लिए काम और आजीविका के अधिकार को सुनिश्चित करता है। ये कल्याणकारी पहलें आर्थिक प्रगति और सामाजिक समानता के बीच की खाई को पूर्ण करने के निरंतर प्रयासों को दर्शाती हैं। पर्यावरण संरक्षण DPSP के कार्यान्वयन का एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अनुच्छेद 48A से प्रेरणा लेते हुए - जो राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा वनों और वन्यजीवों को सुरक्षित रखने का निर्देश देता है - भोपाल गैस त्रासदी के बाद पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 लागू किया गया था। इसने पर्यावरण विनियमन और सतत विकास के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान किया, जिससे आर्थिक विकास और पारिस्थितिक संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने के संवैधानिक कर्तव्य को और मजबूती मिली। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (1972) और वन संरक्षण अधिनियम (1980) जैसे पूरक कानूनों ने संवैधानिक निर्देशों के अनुरूप पर्यावरण प्रशासन को और आगे बढ़ाया।

3. लागू करने में चुनौतियाँ

नेक मकसद और बदलाव लाने की क्षमता के बावजूद, राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों (DPSPs) को सही ढंग से लागू करने में लगातार चुनौतियाँ आती हैं। ये चुनौतियाँ संवैधानिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक हकीकतों से जुड़ी हैं। सबसे बड़ी बाधा संविधान के अनुच्छेद 37 के तहत इनकी 'न्यायालय द्वारा लागू न कराए जा सकने वाली' (non-justiciable) प्रकृति है। यह अनुच्छेद साफ कहता है कि भले ही ये सिद्धांत देश के शासन के लिए बुनियादी हैं, लेकिन इन्हें किसी अदालत के ज़रिए लागू नहीं कराया जा सकता। इस कानूनी सीमा की वजह से इन्हें लागू करने की ज़िम्मेदारी सरकारों की राजनीतिक इच्छाशक्ति पर आ जाती है, जिससे DPSP कानूनी रूप से लागू करने योग्य दायित्व के बजाय नैतिक और राजनीतिक दायित्व बन

जाते हैं। नतीजतन, भले ही इन सिद्धांतों में सामाजिक-आर्थिक न्याय और कल्याणकारी राज्य का विज़न शामिल है, लेकिन इन्हें हकीकत में बदलना अक्सर संवैधानिक मजबूरी के बजाय मौजूदा राजनीतिक और आर्थिक हालात पर निर्भर रहा है। लागू न करा पाने की वजह से DPSP पर चुनिंदा और असमान ध्यान दिया गया है; चुनावी फायदे के लिए कुछ निर्देशों को प्राथमिकता दी गई है, जबकि संसाधन के समान बंटवारे, नशाबंदी या समान नागरिक संहिता जैसे अन्य निर्देशों को नज़रअंदाज़ किया गया है। भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था में संसाधनों की कमी इस समस्या को और बढ़ा देती है; सीमित वित्तीय क्षमता के कारण राज्य कल्याणकारी योजनाओं के बड़े वादों को पूरा नहीं कर पाता है। कई सामाजिक-आर्थिक निर्देश, जैसे कि सबके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा और पर्यावरण की स्थिरता, के लिए भारी सरकारी खर्च की ज़रूरत होती है। वित्तीय प्राथमिकताओं, गरीबी दूर करने के दबाव और बढ़ती आबादी की ज़रूरतों के बीच इस खर्च को बनाए रखना मुश्किल होता है। इस तरह, भले ही भाग IV के आदर्शों ने बड़े पैमाने पर कानून बनाने के लिए प्रेरित किया है, लेकिन संवैधानिक विज़न और वास्तविक क्षमता के बीच तालमेल न होने के कारण इन्हें पूरी तरह लागू करना अक्सर एक सपना ही बना रहता है। एक और बड़ी बाधा राजनीतिक प्राथमिकता और लोकलुभावनवाद (populism) है, जो DPSP के तहत सोचे गए लंबे समय के विकास लक्ष्यों को बिगाड़ देते हैं। राजनीतिक दल अक्सर कल्याणकारी योजनाओं का इस्तेमाल चुनावी फायदे के लिए करते हैं, और वे टिकाऊ संरचनात्मक सुधारों के बजाय कम समय के लोकलुभावन उपायों पर ध्यान देते हैं। DPSP से प्रेरित योजनाएँ, जैसे रोज़गार की गारंटी, खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम या स्वास्थ्य बीमा पहल, कभी-कभी असली सशक्तिकरण के बजाय राजनीतिक प्रचार के लिए लागू की जाती हैं, जिससे अक्षमता और वित्तीय दबाव पैदा होता है। इसके अलावा, अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं में DPSP की व्याख्या भी अलग-अलग होती है: समाजवादी सरकारें संसाधनों के पुनर्वितरण (redistributive justice) पर ज़ोर देती हैं, जबकि उदारवादी सरकारें आर्थिक विकास को प्राथमिकता देती हैं, जिससे नीति की दिशा में असंगतता आती है। विचारधारा में यह बदलाव, साथ ही नौकरशाही की अक्षमता और भ्रष्टाचार, इनके सही कार्यान्वयन को और कमज़ोर करते हैं। अक्सर लालफीताशाही, कम जवाबदेही और कल्याणकारी योजनाओं के लाभों के वितरण में होने वाली गड़बड़ियों से ग्रस्त नौकरशाही तंत्र, संवैधानिक आदर्शों को हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए ठोस फायदों में बदलने में नाकाम रहता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका तक समान पहुँच सुनिश्चित करने के मकसद से शुरू किए गए कल्याणकारी कार्यक्रम अक्सर कुप्रबंधन, फंड का पूरा इस्तेमाल न हो पाने और खराब निगरानी जैसी समस्याओं से जूझते हैं। अलग-अलग प्रशासनिक स्तरों पर होने वाला भ्रष्टाचार न केवल उन लोगों तक

संसाधन पहुँचने से रोकता है जिनके लिए वे बने हैं, बल्कि सरकारी संस्थाओं में जनता का भरोसा भी कम करता है, जिससे शासन के मार्गदर्शक सिद्धांतों के तौर पर DPSP (राज्य के नीति-निर्देशक तत्व) की नैतिक ताकत कमजोर होती है।

इसके अलावा, भारत के संघीय ढांचे और क्षेत्रीय असमानताओं के कारण अलग-अलग राज्यों में DPSP (राज्य के नीति-निर्देशक तत्व) को अलग-अलग तरह से लागू किया गया है। हालांकि संविधान में समान सामाजिक-आर्थिक प्रगति की कल्पना की गई है, लेकिन स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और स्थानीय शासन जैसे कई कल्याणकारी कार्यों की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों की होती है, जिनकी वित्तीय और प्रशासनिक क्षमताएं बहुत अलग-अलग होती हैं। केरल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश जैसे अमीर और बेहतर शासन वाले राज्यों ने सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े निर्देशों को लागू करने में काफी प्रगति की है, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर या राजनीतिक रूप से अस्थिर राज्य बहुत पीछे हैं। इस संघीय असमानता ने कल्याणकारी परिणामों में क्षेत्रीय असंतुलन पैदा किया है, जिससे सामाजिक-आर्थिक समानता का राष्ट्रीय लक्ष्य कमजोर हुआ है। इसके अलावा, वित्तीय बंटवारे और संसाधनों के बंटवारे को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच तनाव अक्सर राज्यों की भाग IV के तहत अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को पूरा करने की क्षमता को सीमित कर देता है। पर्यावरण संरक्षण, भूमि सुधार और औद्योगिक नियमन, हालांकि संवैधानिक रूप से अनिवार्य हैं, लेकिन अधिकार-क्षेत्रों के ओवरलैप होने और विकास की जरूरतों व स्थिरता संबंधी चिंताओं के बीच टकराव के कारण ये भी जटिल हो जाते हैं। अंत में, नीति की निरंतरता की चुनौती एक संरचनात्मक कमजोरी पैदा करती है: सरकार और नीति की दिशा में बार-बार बदलाव से DPSP से प्रेरित दीर्घकालिक कार्यक्रम बाधित होते हैं, जिससे लगातार प्रगति नहीं हो पाती। राजनीतिक बदलाव के साथ कई प्रगतिशील योजनाओं को या तो छोड़ दिया जाता है या उनका नाम बदल दिया जाता है, जिससे प्रयासों का दोहराव होता है और संसाधनों की बर्बादी होती है। संक्षेप में, नीति-निर्देशक तत्वों का कार्यान्वयन संवैधानिक आदर्शवाद और व्यावहारिक शासन के बीच एक जटिल तालमेल बना हुआ है। इन सिद्धांतों की गैर-न्यायसंगत प्रकृति, साथ ही वित्तीय सीमाएं, राजनीतिक अवसरवाद, नौकरशाही की बाधाएं और संघीय असमानताएं, इनकी परिवर्तनकारी क्षमता को कम करती रहती हैं। हालांकि न्यायपालिका ने इन्हें मौलिक अधिकारों में शामिल करके इनकी नैतिक और कानूनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश की है, लेकिन DPSP के विजन को साकार करना अंततः निरंतर राजनीतिक प्रतिबद्धता, प्रशासनिक सुधार और संसाधनों के समान वितरण पर निर्भर करता है। इन प्रणालीगत चुनौतियों का समाधान किए बिना, भाग

IV में परिकल्पित न्यायपूर्ण, समान और कल्याण-उन्मुख समाज बनाने का महान संवैधानिक वादा भारत के संवैधानिक लोकतंत्र का एक अधूरा प्रोजेक्ट बना रहेगा।

VI. जनहित याचिका (PIL) और DPSP

1. भारत में PIL की शुरुआत और विकास

1970 के दशक के आखिर और 1980 के दशक की शुरुआत में भारत में जनहित याचिका (PIL) का आना देश के संवैधानिक और न्यायिक इतिहास में एक बड़ा बदलाव लाने वाला दौर था। यह इमरजेंसी (1975–77) के दौरान हुई ज्यादतियों के बाद न्यायपालिका के आत्म-मंथन का नतीजा था; उस समय न्यायपालिका, खासकर ADM जबलपुर केस (1976) के दौरान, लोगों की आज़ादी की रक्षा न कर पाने के लिए आलोचना का शिकार हुई थी। इमरजेंसी के बाद, जस्टिस पी.एन. भगवती और जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर जैसे दूरदर्शी जजों की अगुवाई में, न्यायपालिका ने अपनी नैतिक साख को फिर से हासिल करने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने संविधान की व्याख्या को हाशिए पर पड़े लोगों की सुरक्षा और सामाजिक-आर्थिक न्याय दिलाने की दिशा में मोड़ा। जनहित याचिका एक न्यायिक नवाचार (innovation) के तौर पर सामने आई, जिसका मकसद 'लोकस स्टैंडी' (मुकदमा करने का अधिकार) और औपचारिक कानूनी प्रतिनिधित्व जैसी पारंपरिक प्रक्रियात्मक बाधाओं को कम करके न्याय तक पहुँच को लोकतांत्रिक बनाना था। इसने किसी भी जन-हितैषी व्यक्ति या संगठन को उन लोगों की ओर से अदालत जाने की इजाज़त दी जो खुद ऐसा नहीं कर सकते थे—खासकर गरीब, बंधुआ मजदूर, महिलाएँ और अन्य वंचित समूह। यह मुकदमेबाजी के विरोधी (adversarial) एंग्लो-सैक्सन मॉडल से हटकर एक ज़्यादा भागीदारी वाले और न्याय-केंद्रित दृष्टिकोण की ओर एक बड़ा बदलाव था, जो संविधान के परिवर्तनकारी लक्ष्यों के अनुरूप था। PIL आंदोलन सिर्फ़ प्रक्रियात्मक सुधार नहीं था, बल्कि राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों (DPSP) को लागू करने में न्यायिक ज़िम्मेदारी का एक ठोस विस्तार था। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने मौलिक अधिकारों—खासकर अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार)—की व्याख्या DPSP के संदर्भ में करना शुरू किया, जिससे गैर-न्यायसंगत (non-justiciable) निर्देशों को लागू करने योग्य अधिकारों में बदल दिया गया। इस न्यायिक सक्रियता ने संविधान के भाग III और IV के बीच की रेखा को प्रभावी ढंग से धुंधला कर दिया, जिससे कल्याणकारी राज्य और सामाजिक न्याय की सोच को और मज़बूती मिली। PIL ने बंधुआ मजदूरी, पर्यावरण को नुकसान, कैदियों के अधिकार और महिलाओं की सुरक्षा जैसे कई मुद्दों को उठाया, और इस तरह अदालतों को सामाजिक सुधार के साधन में बदल दिया। 1980 के दशक की शुरुआत तक, भारत की न्यायपालिका ने खुद को सामाजिक

बदलाव के एक सक्रिय एजेंट के तौर पर स्थापित कर लिया था, जिसमें PIL ने संविधान के नैतिक आदर्शों को हाशिए पर पड़े लोगों के लिए व्यावहारिक हकीकत में बदलने के एक शक्तिशाली माध्यम के तौर पर काम किया। जैसा कि जस्टिस भगवती ने कहा, PIL को "कानूनी सहायता आंदोलन के एक रणनीतिक हथियार" के तौर पर शुरू किया गया था, जो सभी के लिए समानता, सम्मान और न्याय के संवैधानिक वादे के प्रति अदालत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

2. DPSP को लागू करने के लिए PIL एक साधन के तौर पर

जनहित याचिका (PIL) 'राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों' (DPSP) में बताए गए सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए न्यायपालिका के सबसे असरदार औजारों में से एक बन गई। हालाँकि अनुच्छेद 37 DPSP को अदालत में लागू न किए जा सकने वाला (non-justiciable) बताता है, लेकिन न्यायपालिका ने PIL का रचनात्मक इस्तेमाल करके और इन सिद्धांतों को 'मौलिक अधिकारों' के दायरे में लाकर इन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने लायक बना दिया। अदालतों ने DPSP को सिर्फ़ नैतिक मार्गदर्शन देने वाले सिद्धांतों के तौर पर नहीं, बल्कि भारत में शासन और कानून बनाने के मकसद को तय करने वाली 'संवैधानिक अंतरात्मा' के तौर पर देखना शुरू किया। PIL के ज़रिए, जजों ने उन ढाँचागत असमानताओं और अन्याय को दूर करने के लिए इन निर्देशों का सहारा लिया जो एक 'कल्याणकारी राज्य' (welfare state) बनाने में बाधा डाल रहे थे। इसका नतीजा एक ऐसा कानूनी तालमेल था जिसने स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा, आजीविका और साफ़-सुथरे पर्यावरण जैसे सामाजिक-आर्थिक अधिकारों को अनुच्छेद 21 के तहत लागू करने लायक बना दिया, जिससे 'जीवन के अधिकार' का मतलब बदलकर मानवीय गरिमा और कल्याण को शामिल करने वाला हो गया। न्यायपालिका ने PIL का इस्तेमाल संविधान की नई व्याख्या करने के लिए किया, ताकि इसे बदलते सामाजिक हालात के हिसाब से ढलने वाले एक 'जीवंत दस्तावेज़' के तौर पर देखा जा सके। ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (1985) मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने DPSP के अनुच्छेद 39(a) का हवाला देते हुए 'आजीविका के अधिकार' को 'जीवन के अधिकार' का अहम हिस्सा माना। इसी तरह, उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1993) मामले में, अनुच्छेद 41 और 45 से प्रभावित होकर 'शिक्षा के अधिकार' को अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना गया।

M.C. मेहता बनाम भारत संघ जैसे कई PIL मामलों के ज़रिए पर्यावरण संबंधी अधिकारों का दायरा बढ़ाया गया, जहाँ अनुच्छेद 47 और 48A ने न्यायिक दखल के लिए आधार प्रदान किया। 'पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ' (1982) जैसी PIL के ज़रिए

मज़दूरों के अधिकारों और न्यूनतम मज़दूरी की गारंटी को लागू किया गया, जिससे अनुच्छेद 39(e) और 43 को अमल में लाए जा सकने वाले आदेशों में बदला गया। ऐसे मामलों के ज़रिए, अदालतों ने कानून और सामाजिक नीति के बीच की खाई को प्रभावी ढंग से पाटा और PIL को सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र हासिल करने का एक साधन बना दिया। इस तरह PIL ने संवैधानिक लोकतंत्रीकरण के एक तंत्र के तौर पर काम किया, जिससे आम नागरिक और नागरिक समाज के संगठन राज्य को उसके संवैधानिक कर्तव्यों के लिए जवाबदेह ठहरा सके। इसने न्याय तक पहुँच को एक सामूहिक अधिकार के तौर पर फिर से परिभाषित किया और न्यायपालिका को DPSP (राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों) के विज़न को हासिल करने की दिशा में जनहित और सामाजिक समानता के संरक्षक के तौर पर काम करने के लिए सशक्त बनाया।

3. मुख्य फैसले और कानूनी सिद्धांतों में बदलाव

भारत में जनहित याचिका (PIL) का विकास उन अहम फैसलों से जुड़ा है जिन्होंने संवैधानिक न्याय के दायरे को फिर से तय किया और राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों (Directive Principles) को लागू करने की क्षमता बढ़ाई। 'एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ' (1981) का मामला एक आधारभूत मामला था, जिसने 'लोकस स्टैंडी' (मुकदमा करने का अधिकार) के नियमों को आसान बनाया। इसमें कहा गया कि कोई भी जन-हितैषी व्यक्ति उन लोगों की ओर से याचिका दायर कर सकता है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, लेकिन जिनके पास अदालत तक पहुँचने के साधन नहीं हैं। जस्टिस पी.एन. भगवती ने अपने फैसले में इस बात पर ज़ोर दिया कि कानून को गरीबों और वंचितों की सेवा करनी चाहिए। उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया को DPSP में शामिल सामाजिक न्याय के संवैधानिक दर्शन के अनुरूप बनाया। इससे बाद में ऐसी कई PILs का रास्ता खुला जिनमें सामाजिक-आर्थिक अधिकारों के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के मुद्दों को उठाया गया। 'पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ' (1982) मामले में, जिसे 'एशियाड वर्कर्स केस' के नाम से भी जाना जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान करना अनुच्छेद 23 के तहत 'जबरन श्रम' (forced labour) माना जाएगा। इस तरह अदालत ने सीधे तौर पर अनुच्छेद 39 और 43 में दिए गए नीति-निर्देशक तत्वों को लागू किया। इसी तरह, 'बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ' (1984) मामले में बंधुआ मजदूरों को भी मौलिक अधिकारों का संरक्षण दिया गया। अदालत ने अनुच्छेद 21, 39, 41 और 43 को एक साथ पढ़ते हुए सम्मान के साथ जीने और काम की मानवीय स्थितियों के अधिकार को बरकरार रखा। 'विशाखा बनाम राजस्थान राज्य' (1997) का फैसला लैंगिक न्याय के क्षेत्र में कानूनी सिद्धांतों में एक बड़ा बदलाव था। इसमें अदालत ने कार्यस्थल पर

यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दिशानिर्देश तय किए और अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 के साथ-साथ लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाले नीति-निर्देशक तत्वों (अनुच्छेद 39(a) और 42) का भी हवाला दिया। पर्यावरण कानून के क्षेत्र में, 'एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ' (1987 और उसके बाद) मामले ने अनुच्छेद 48A और 51A(g) को जीवन के अधिकार के साथ जोड़ने की शुरुआत की, जिससे पर्यावरण संरक्षण को राज्य के एक मौलिक दायित्व के रूप में मान्यता मिली। ये सभी फैसले मिलकर एक ऐसे बड़े बदलाव को दिखाते हैं जिसमें संवैधानिक ढांचा केवल अधिकारों पर आधारित न रहकर सामाजिक कल्याण और सामूहिक न्याय पर आधारित हो गया है।

4. आलोचनाएँ और चिंताएँ

हालांकि जनहित याचिका (PIL) को सामाजिक न्याय और संवैधानिक जवाबदेही के एक क्रांतिकारी साधन के रूप में सराहा गया है, लेकिन इसे न्यायिक अति-सक्रियता (judicial overreach) को बढ़ावा देने और शक्तियों के पृथक्करण (separation of powers) पर सवाल उठाने के लिए काफी आलोचना का सामना भी करना पड़ा है। आलोचकों का तर्क है कि PIL के माध्यम से न्यायपालिका अक्सर नीति-निर्माण के क्षेत्र में दखल देती है—जो संवैधानिक रूप से विधायिका और कार्यपालिका के लिए आरक्षित है—और इस तरह राज्य की संस्थाओं के बीच के नाजुक संतुलन को बिगाड़ती है। सुजीत चौधरी (2018) और उषा रामनाथन (2009) जैसे विद्वानों ने कहा है कि PIL तंत्र, भले ही नेक इरादे से शुरू किया गया हो, न्यायपालिका को एक 'बिना चुने हुए नीति-निर्माता' (unelected policymaker) में बदलने का जोखिम पैदा करता है, खासकर तब जब वह पर्यावरण नियमन, शहरी प्रशासन या प्रशासनिक सुधार जैसे मामलों पर व्यापक निर्देश जारी करती है। इस तरह के हस्तक्षेप, शासन की कमियों को तो भरते हैं, लेकिन कभी-कभी लोकतांत्रिक जवाबदेही और नौकरशाही प्रक्रियाओं को दरकिनार कर देते हैं। इसके अलावा, PIL के विस्तार से इसके राजनीतिक दुरुपयोग की चिंताएँ भी पैदा हुई हैं, जहाँ व्यक्तिगत या पक्षपातपूर्ण हिसाब-किताब बराबर करने के लिए जनहित की आड़ में तुच्छ या राजनीतिक रूप से प्रेरित याचिकाएँ दायर की जाती हैं। खुद सुप्रीम कोर्ट ने 'स्टेट ऑफ़ उत्तरांचल बनाम बलवंत सिंह चौफल' (2010) जैसे मामलों में PIL के 'पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन' (प्रचार पाने के लिए दायर याचिका) के रूप में दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी दी है और न्यायिक संयम व जिम्मेदारी की आवश्यकता पर जोर दिया है। एक और आलोचना PIL से जुड़े मामलों के असमान नतीजों और कुलीन-वर्गीय झुकाव (elitist bias) को लेकर है। जहाँ शुरुआती PIL को सामाजिक रूप से जागरूक वकीलों और कार्यकर्ताओं ने गरीबों के लिए आगे बढ़ाया था, वहीं बाद के

मामलों में शहरी स्वच्छता, यातायात प्रबंधन या पर्यावरण की सुंदरता जैसे मध्यम-वर्गीय सरोकार अधिक दिखे—अक्सर हाशिए पर रहने वाले लोगों की कीमत पर। इस बदलाव से PIL की उस समतावादी भावना के कमजोर होने का खतरा है जिसकी कल्पना जस्टिस भगवती और जस्टिस कृष्ण अय्यर ने की थी। इसके अलावा, ऐतिहासिक फैसलों के बावजूद, नौकरशाही की सुस्ती और संस्थागत फॉलो-अप की कमी के कारण न्यायिक निर्देशों का वास्तविक कार्यान्वयन असंगत रहता है, जिससे ज़मीनी स्तर पर PIL का ठोस प्रभाव सीमित हो जाता है। फिर भी, इन आलोचनाओं के बावजूद, PIL राज्य को उसके 'राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों' (Directive Principles) के प्रति जवाबदेह बनाकर संवैधानिक नैतिकता की भावना को बनाए रखती है। यह यह सुनिश्चित करने के लिए एक जीवंत साधन के रूप में कार्य करती है कि संविधान के वादे—सामाजिक न्याय, समानता और गरिमा—केवल कागज़ तक सीमित न रहें, बल्कि असल में लागू हों। आगे की चुनौती PIL को न्यायिक विवेक, जवाबदेही और सहभागी शासन के ढांचे के भीतर संस्थागत रूप देने की है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह हाशिए पर रहने वाले लोगों को सशक्त बनाने का साधन बनी रहे, न कि न्यायिक लोकलुभावनवाद (judicial populism) का जरिया। संक्षेप में, PIL का विकास भारत के संवैधानिक लोकतंत्र की कामयाबियों और चुनौतियों, दोनों को दिखाता है। इसमें अदालतें DPSP से प्रेरित होकर सामाजिक बदलाव लाने में अहम भूमिका निभाती हैं, साथ ही वे 'न्यायिक सक्रियता' (judicial activism) और 'न्यायिक अति-सक्रियता' (judicial overreach) के बीच के बारीक अंतर का भी ध्यान रखती हैं।

VII. समकालीन प्रासंगिकता और आलोचनात्मक मूल्यांकन

राज्य के नीति-निर्देशक तत्व (DPSP) भारत की बदलती सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक संवैधानिक दिशा-सूचक (कम्पास) के रूप में काम करते हैं। इनकी समकालीन प्रासंगिकता संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) जैसे वैश्विक ढांचों के साथ इनके तालमेल में निहित है; ये लक्ष्य गरीबी उन्मूलन, लैंगिक समानता, संसाधनों के सतत उपयोग और संस्थागत न्याय की वकालत करते हैं - ये सभी सिद्धांत भारतीय संविधान के भाग IV में शामिल हैं। अनुच्छेद 38 और 39 राज्य को असमानताओं को कम करने और एक न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं, जो असमानताओं को कम करने से संबंधित SDG 10 से सीधे मेल खाते हैं। इसी तरह, अनुच्छेद 47 का सार्वजनिक स्वास्थ्य और पोषण में सुधार पर जोर SDG 3 के अनुरूप है, जबकि 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 48A जलवायु कार्रवाई और जैव विविधता संरक्षण से संबंधित SDG 13 और 15

के साथ मेल खाता है। इस प्रकार, DPSP अंतरराष्ट्रीय विकास संबंधी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए एक स्वदेशी संवैधानिक आधार प्रदान करते हैं, जो यह दर्शाता है कि भारत की संवैधानिक दृष्टि स्वाभाविक रूप से भविष्योन्मुखी थी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (2013) जैसे कल्याणकारी उपायों की दार्शनिक उत्पत्ति इन्हीं निर्देशों में निहित है, जो समकालीन शासन में इनकी जीवंतता को प्रदर्शित करते हैं। DPSP 21वीं सदी में डिजिटल कल्याण के लिए एक आदर्श ढांचा भी प्रदान करते हैं, जो डिजिटल अंतर (digital divide), तकनीक तक समान पहुंच और डेटा न्याय जैसे मुद्दों को संबोधित करते हैं, जिससे "कल्याण" की अवधारणा का विस्तार डिजिटल क्षेत्र तक होता है।

हाल के दशकों में, पर्यावरण न्याय और लैंगिक समानता के नजरिए से DPSP को नई प्रासंगिकता मिली है। M.C. मेहता बनाम भारत संघ और वेल्लोर सिटिजन्स वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ जैसे न्यायिक फैसलों ने अनुच्छेद 48A और 51A(g) को अनुच्छेद 21 के दायरे में शामिल करके पर्यावरणीय अधिकारों को संवैधानिक दर्जा दिया है, जिससे गैर-न्यायसंगत निर्देशों को लागू करने योग्य गारंटी में बदल दिया गया है। इसी तरह, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य से लेकर जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ तक लैंगिक न्याय पर न्यायिक दृष्टिकोण DPSP, विशेष रूप से अनुच्छेद 39(a) और 42, के रचनात्मक अनुप्रयोग को दर्शाता है, जिसका उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करना और कार्यस्थल पर समानता सुनिश्चित करना है। पीरियड लीव, समान वेतन और जेंडर-बेस्ड हिंसा से सुरक्षा की वकालत करने वाले आज के सामाजिक आंदोलनों की संवैधानिक जड़ें इन्हीं निर्देशों में मिलती हैं। इसके अलावा, कॉर्पोरेट रेगुलेशन में एनवायरनमेंटल, सोशल और गवर्नेंस (ESG) फ्रेमवर्क का बढ़ना यह दिखाता है कि DPSP का असर उन पॉलिसी क्षेत्रों में भी बढ़ रहा है जिन्हें पहले संवैधानिक कानून के दायरे से बाहर माना जाता था। सस्टेनेबल और समावेशी विकास पर ज़ोर, DPSP के अमूर्त आदर्शों से व्यावहारिक सरकारी नीतियों में बदलने की प्रक्रिया को दर्शाता है। यह सुनिश्चित करता है कि संवैधानिक नैतिकता जलवायु संकट, तकनीकी असमानता और जेंडर जस्टिस जैसी आधुनिक चुनौतियों के अनुसार खुद को ढाल सके। DPSP, यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC), शराबबंदी और सहकारी संघवाद (cooperative federalism) जैसे मुद्दों पर होने वाली बहसों के केंद्र में बने हुए हैं; ये मुद्दे संवैधानिक नैतिकता के बदलते स्वरूप को उजागर करते हैं।

अनुच्छेद 44 में शामिल UCC (समान नागरिक संहिता) धर्मनिरपेक्षता और बहुलवाद के साथ इसके तालमेल को लेकर लंबे समय से बहस का विषय रहा है। जहाँ इसके समर्थक तर्क देते

हैं कि यह समानता और आधुनिकता की भावना को दर्शाता है, वहीं आलोचक इसे सांस्कृतिक स्वायत्तता में संभावित दखल के रूप में देखते हैं। इसी तरह, शराबबंदी पर निर्देश (अनुच्छेद 47) को गुजरात और बिहार जैसे राज्यों में अलग-अलग तरह से लागू किया गया है, जिससे नैतिक शासन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच तनाव को लेकर सवाल उठते हैं। अनुच्छेद 38 में सामाजिक सद्भाव की अपील से उपजा सहकारी संघवाद का सिद्धांत, GST व्यवस्था और नीति आयोग की विकास योजनाओं जैसी अंतर-सरकारी योजनाओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो गया है। ये उदाहरण बताते हैं कि DPSP (राज्य के नीति-निर्देशक तत्व) स्थिर नैतिक दिशानिर्देशों के बजाय गतिशील संवैधानिक संकेतकों के रूप में कैसे काम करते हैं। वे भारत के सामाजिक-राजनीतिक बदलावों के जवाब में नए अर्थों की खोज को आमंत्रित करते हैं - चाहे वह न्यायिक नवाचार के माध्यम से हो या विधायी सक्रियता के माध्यम से - ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज बना रहे। गौतम भाटिया (2019) और उपेंद्र बख्शी (2008) जैसे विद्वानों ने इस परिवर्तनकारी संवैधानिक दृष्टिकोण पर जोर दिया है, जिसमें DPSP नैतिक प्रेरणा के इंजन के रूप में काम करते हैं और राज्य को समावेशी और भागीदारीपूर्ण लोकतंत्र की ओर ले जाते हैं। अपनी निर्विवाद महत्ता के बावजूद, DPSP को लागू करने और जवाबदेही तय करने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अनुच्छेद 37 के तहत इनके गैर-न्यायसंगत (अदालत में लागू न कराए जा सकने वाले) स्वरूप के कारण न्यायिक प्रवर्तन सीमित हो जाता है, जिससे इनका क्रियान्वयन राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रशासनिक दक्षता पर निर्भर करता है। राज्यों के बीच असमान विकास नीतिगत प्राथमिकताओं, संसाधनों की उपलब्धता और नौकरशाही की क्षमता में अंतर को दर्शाता है। इसके अलावा, कल्याणकारी योजनाओं का राजनीतिकरण अक्सर DPSP को वास्तविक सामाजिक बदलाव के साधनों के बजाय लोकलुभावन औजारों में बदल देता है। न्यायपालिका की सक्रिय व्याख्या ने इस सीमा को कुछ हद तक कम किया है, लेकिन उषा रामनाथन (2009) जैसे आलोचक अत्यधिक न्यायिक हस्तक्षेप के खिलाफ चेतावनी देते हैं, जो शासन और न्याय-निर्णयन के बीच की सीमाओं को धुंधला कर सकता है। इस प्रकार, DPSP का भविष्य प्रवर्तनीयता और लोकतांत्रिक वैधता के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने में निहित है। कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए वित्तीय स्वायत्तता बढ़ाना या नीति क्रियान्वयन में जवाबदेही के प्रावधान जोड़ना जैसे संवैधानिक संशोधन इनकी प्रभावशीलता को फिर से जीवंत कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, संवैधानिक नैतिकता के नजरिए से निरंतर न्यायिक पुनर्व्याख्या तेजी से वैश्वीकरण, डिजिटल बदलाव और पर्यावरणीय तात्कालिकता के दौर में इनकी निरंतर प्रासंगिकता सुनिश्चित कर सकती है। अंततः, DPSP भारतीय संविधान की नैतिक धड़कन बने हुए हैं - एक ऐसी स्थायी

याद दिलाते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता तभी सार्थक होती है जब उसके साथ सभी के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय भी हो।

VIII. निष्कर्ष

राज्य के नीति-निर्देशक तत्व (DPSP) भारतीय संविधान की नैतिक और दार्शनिक आत्मा हैं और इसके स्थायी सामाजिक-आर्थिक विज़न के रूप में काम करते हैं। एक कल्याणकारी राज्य बनाने के साधन के तौर पर सोचे गए ये तत्व, संविधान निर्माताओं की उस आकांक्षा को दर्शाते हैं जिसके तहत राजनीतिक स्वतंत्रता को सभी नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक मुक्ति में बदलना था। जहाँ मौलिक अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राज्य की मनमानी से सुरक्षा की गारंटी देते हैं, वहीं DPSP सामूहिक कल्याण और वितरणात्मक न्याय को साकार करने के लिए वैचारिक और नैतिक ढांचा प्रदान करते हैं। ये दोनों मिलकर भारतीय संविधान के दोहरे उद्देश्य को परिभाषित करते हैं: समानता के साथ स्वतंत्रता और विकास के साथ लोकतंत्र सुनिश्चित करना। ग्रैनविले ऑस्टिन ने इन्हें सही ही "संविधान की अंतरात्मा" कहा है, क्योंकि ये राज्य के उस नैतिक कर्तव्य का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसके तहत समाज को असमानता और अभाव से निकालकर न्याय और सम्मान वाले समाज में बदलना है। प्रस्तावना के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्श DPSP में ठोस रूप में सामने आते हैं, जिससे ये केवल आकांक्षापूर्ण निर्देश न रहकर भारत की संवैधानिक नैतिकता की नींव बन जाते हैं। मौलिक अधिकारों और नीति-निर्देशक तत्वों का मिलन भारत के परिवर्तनकारी संवैधानिकवाद का आधार बनाता है; यह एक ऐसी अवधारणा है जो संविधान को एक जीवंत दस्तावेज़ के रूप में देखती है जिसमें प्रगतिशील विकास की क्षमता है। समय के साथ, न्यायिक व्याख्याओं ने न्याय-योग्य (justiciable) और गैर-न्याय-योग्य (non-justiciable) अधिकारों के बीच की सख्त सीमाओं को धुंधला कर दिया है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ जैसे ऐतिहासिक फैसलों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि भाग III और भाग IV के बीच संबंधों को पदानुक्रम (hierarchy) नहीं, बल्कि सामंजस्य (harmony) नियंत्रित करता है। ओल्गा टेलिस, उन्नीकृष्णन और बंधुआ मुक्ति मोर्चा जैसे बाद के फैसलों ने आजीविका, शिक्षा और स्वास्थ्य के अधिकार जैसे सामाजिक-आर्थिक अधिकारों को अनुच्छेद 21 के दायरे में शामिल किया, जिससे यह पता चलता है कि कैसे DPSP मौलिक अधिकारों में ठोस तत्व भर सकते हैं। इस न्यायिक रचनात्मकता ने न केवल अधिकारों के अर्थ का विस्तार किया है, बल्कि संवैधानिक नैतिकता के संरक्षक के रूप में न्यायपालिका की भूमिका को भी मज़बूत किया है। अधिकारों और निर्देशों का यह मेल संविधान की गतिशील भावना का उदाहरण है, जो यह

सुनिश्चित करता है कि लोकतंत्र हाशिए पर रहने वाले और वंचित लोगों की ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील बना रहे। हालाँकि, DPSP को साकार करना केवल अदालती फैसलों पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि कानून, नीति और शासन के माध्यम से उन्हें लागू करने के प्रति राज्य की निरंतर प्रतिबद्धता पर भी निर्भर करता है। DPSP की असली सफलता सहभागी लोकतंत्र में निहित है, जहाँ राज्य और नागरिक सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने में साझेदार के रूप में काम करते हैं। कल्याणकारी योजनाएं, शिक्षा में सुधार, लैंगिक समानता की पहल, पर्यावरण संरक्षण और डिजिटल समावेश - इन सभी का मार्गदर्शन संविधान के भाग IV में निहित संवैधानिक मूल्यों के आधार पर होना चाहिए। फिर भी, चुनौतियां बनी हुई हैं; कानूनी रूप से लागू न करा पाने की स्थिति, नौकरशाही की अक्षमता और राजनीतिक लोकलुभावनवाद अक्सर इन सिद्धांतों की बदलाव लाने की क्षमता को कमज़ोर कर देते हैं। इसलिए, एक नए संकल्प की आवश्यकता है, जिसमें जवाबदेही के तंत्र, संघीय सहयोग और शासन में नागरिकों की भागीदारी को शामिल किया जाए। भारतीय गणराज्य का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि वह संवैधानिक आदर्शों और ज़मीनी हकीकत के बीच की खाई को कितनी प्रभावी ढंग से पूर्ण कर सकता है। DPSP राज्य और समाज दोनों को याद दिलाते हैं कि समानता के बिना स्वतंत्रता अधूरी है और न्याय के बिना लोकतंत्र खोखला है। ये अतीत की कोई पुरानी चीज़ें नहीं हैं, बल्कि जीवंत सिद्धांत हैं जो भारत को एक अधिक मानवीय, न्यायपूर्ण और समावेशी व्यवस्था की ओर ले जाने में मार्गदर्शन करते रहते हैं। यह व्यवस्था संविधान की प्रस्तावना में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के शाश्वत वादे को पूरा करती है।

Reference:

- Basu, Durga Das. *Introduction to the Constitution of India.* LexisNexis Butterworths, 2020.
- Bhatia, Gautam. *The Transformative Constitution: A Radical Biography in Nine Acts.* HarperCollins India, 2019.
- Shukla, V. N. *Constitution of India*, edited by Mahendra P. Singh. Eastern Book Company, latest edition.

- Austin, Granville. *Working a Democratic Constitution: The Indian Experience.* OUP, 1999.
- Baxi, Upendra. "Directive Principles and the Constitution." *Law & Politics in India.* OUP, 2008.
- Rakshit, Nirmalendu B. "Directive Principles and Fundamental Rights." *EPW.*
- Bhagwati, P. N. "Judicial Activism and Public Interest Litigation." *Columbia Journal of Transnational Law*, Vol. 23, 1985.
- Choudhry, Sujit. "Courting the People: Public Interest Litigation in Post-Emergency India." *Int'l Journal of Constitutional Law*, Vol. 16, No. 2, 2018.
- Ramanathan, Usha. *Public Interest Litigation in India: A Critical Review.* SSRN, 2009.

इकाई - 4: मौलिक कर्तव्य (भाग IVA)

I. परिचय

मौलिक कर्तव्य (FDs) नागरिकों पर थोपे गए नैतिक और सदाचारी दायित्वों का एक समूह हैं, जिनका उद्देश्य राष्ट्र और समाज के प्रति ज़िम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना है। मौलिक अधिकारों (FRs) के विपरीत, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं और

कानून द्वारा लागू किए जा सकते हैं, मौलिक कर्तव्य मुख्य रूप से नैतिक निर्देशों के रूप में काम करते हैं। इनका उद्देश्य नागरिकों के व्यवहार को दिशा देना और नागरिक ज़िम्मेदारी की भावना विकसित करना है, हालाँकि कुछ पहलुओं को कानून या न्यायिक व्याख्या के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से लागू किया जा सकता है। कर्तव्यों की अवधारणा भारत की दार्शनिक और सांस्कृतिक परंपराओं में गहराई से जुड़ी हुई है। नागरिकता के बारे में गांधीवादी दृष्टिकोण आत्म-अनुशासन, सामाजिक ज़िम्मेदारी और राष्ट्रीय कल्याण में योगदान देने के कर्तव्य पर ज़ोर देता है। ऐतिहासिक रूप से, संविधान का मसौदा तैयार करते समय नागरिकों के कर्तव्यों को औपचारिक रूप देने का विचार प्रमुख हुआ। संविधान सभा ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक दायित्वों के बीच संतुलन पर बहस की और अंततः यह माना कि नागरिकों को मिले अधिकारों के बदले राष्ट्रीय और सामाजिक हितों के प्रति प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए। 1976 में 42वें संशोधन से पहले, भारतीय नागरिकों का मार्गदर्शन मुख्य रूप से राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSPs) द्वारा किया जाता था, जो व्यक्ति के बजाय राज्य पर दायित्व डालते थे; हालाँकि, नागरिकों के लिए स्पष्ट कर्तव्यों का न होना एक कमी मानी जाती थी, खासकर नैतिक शासन, नागरिक अनुशासन और सामाजिक सद्भाव सुनिश्चित करने के मामले में। 42वें संशोधन ने संविधान में औपचारिक रूप से भाग IVA को शामिल करके इस कमी को पूरा करने का प्रयास किया। इसमें दस मौलिक कर्तव्यों को सूचीबद्ध किया गया, जिनमें संविधान का सम्मान करना, सद्भाव को बढ़ावा देना, पर्यावरण की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और वैज्ञानिक सोच व सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखना शामिल है। इन कर्तव्यों को शामिल करना इस बात को दर्शाता है कि आधुनिक लोकतंत्र केवल अधिकारों और सुविधाओं की प्रणाली नहीं है, बल्कि एक गतिशील ढांचा है जहाँ राष्ट्र-निर्माण के लिए ज़िम्मेदार नागरिकता केंद्रीय है।

आज के समय में, ये कर्तव्य बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि नागरिक सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी बदलावों की जटिलताओं से गुज़र रहे हैं, जहाँ व्यक्तिगत कार्यों के गहरे सामूहिक परिणाम हो सकते हैं। मौलिक कर्तव्य नैतिक आधार के रूप में काम करते हैं जो नागरिकों को समुदाय, पर्यावरण और लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति उनके दायित्वों की याद दिलाते हैं, जिससे सामाजिक एकजुटता, आपसी सम्मान और भागीदारीपूर्ण शासन को बढ़ावा मिलता है। अधिकारों को कर्तव्यों से जोड़ना नागरिकता की परस्पर प्रकृति पर भी ज़ोर देता है: जहाँ नागरिक स्वतंत्रता, समानता और न्याय की संवैधानिक गारंटी का आनंद लेते हैं, वहीं उनसे समाज में सकारात्मक योगदान देने, कानून के शासन को बनाए रखने और संविधान में निहित मूल्यों को बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। इसके अलावा, ये कर्तव्य 'राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों' (Directive Principles) के पूरक के तौर पर बनाए गए हैं। ये राज्य के कामों और व्यक्ति की ज़िम्मेदारी के बीच की खाई को पूरा करते हैं और सामाजिक कल्याण, राष्ट्रीय अखंडता और टिकाऊ विकास के लिए एक मिली-जुली सोच को बढ़ावा देते हैं। इन संवैधानिक कर्तव्यों में गांधीजी की 'ट्रस्टीशिप' (न्यासिता) और समाज-सेवा की सोच झलकती है। ये इस बात पर ज़ोर देते हैं कि एक मज़बूत लोकतंत्र सिर्फ़ अधिकारों को लागू करने पर ही नहीं, बल्कि नागरिकों की नैतिक आचरण, विविधता के प्रति सम्मान और सार्वजनिक जीवन में रचनात्मक भागीदारी के प्रति नैतिक प्रतिबद्धता पर भी टिका होता है। असल में, मौलिक कर्तव्य एक ऐसा विकसित होता हुआ ढांचा हैं जो नागरिकता के नैतिक पहलू को मज़बूत करते हैं। ये लोगों को नागरिक मूल्यों को अपनाने और ऐसे काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जिनसे देश सामाजिक और नैतिक रूप से मज़बूत हो। व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी को सामूहिक प्रगति से जोड़कर, ये नागरिकों को याद दिलाते हैं कि लोकतंत्र सिर्फ़ कानूनी अधिकारों से नहीं, बल्कि ज़िम्मेदारी भरे कामों, नागरिक जागरूकता और राष्ट्रीय आदर्शों के प्रति साझा प्रतिबद्धता से बना रहता है। इससे यह पक्का होता है कि

लोगों को मिलने वाले अधिकार सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक विरासत या पर्यावरण की स्थिरता की कीमत पर न हों। नतीजतन, मौलिक कर्तव्यों का महत्व न केवल उनके नैतिक मार्गदर्शन में है, बल्कि ऐसे नागरिकों को तैयार करने की उनकी क्षमता में भी है जो लोकतांत्रिक शासन में सोच-समझकर भागीदारी कर सकें, एकता को बढ़ावा दे सकें और देश के सर्वांगीण विकास में सार्थक योगदान दे सकें।

II. उत्पत्ति और शामिल किया जाना (42वां संशोधन)

1. ऐतिहासिक संदर्भ

1976 में 42वें संशोधन के लागू होने से पहले, भारतीय संविधान में नागरिकों पर स्पष्ट रूप से कोई कर्तव्य नहीं थोपे गए थे; यह मुख्य रूप से मौलिक अधिकारों की गारंटी देने और राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों (DPSP) के माध्यम से राज्य का मार्गदर्शन करने पर केंद्रित था। हालांकि भाग IV के तहत DPSP में सामाजिक न्याय, आर्थिक कल्याण और समान विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य के दायित्वों को रेखांकित किया गया था, लेकिन व्यक्तिगत नागरिकों की ओर से संबंधित जिम्मेदारियों का स्पष्ट अभाव था। यह कमी विद्वानों और विधायी चिंता का विषय बन गई, खासकर जब स्वतंत्रता के बाद भारत में नागरिक जिम्मेदारी, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव पर बहस ने जोर पकड़ा। संविधान निर्माताओं ने नैतिक मूल्यों से प्रेरित एक नैतिक नागरिक समाज की कल्पना की थी, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और दार्शनिक विरासत—जिसमें गांधीवादी आदर्श जैसे आत्म-अनुशासन, ट्रस्टीशिप और समाज की सेवा शामिल हैं—से प्रेरित हो। हालांकि, लिखित कर्तव्यों के बिना, सामाजिक कल्याण का एहसास अक्सर केवल राज्य की पहलों पर निर्भर करता था, जिससे नागरिकों के दायित्व काफी हद तक स्वैच्छिक और लागू न किए जा सकने वाले रह गए। अधिकारों और जिम्मेदारियों के बीच परस्पर निर्भरता की बढ़ती समझ, साथ ही देशभक्ति,

सार्वजनिक व्यवस्था और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने की आवश्यकता ने संवैधानिक सुधार के लिए गति प्रदान की। विद्वानों और नीति-निर्माताओं ने तर्क दिया कि हालांकि अधिकार नागरिकों को सशक्त बनाते हैं, लेकिन उनके प्रभावी प्रयोग के लिए जिम्मेदार नागरिकता सुनिश्चित करने हेतु कर्तव्यों का एक समानांतर ढांचा आवश्यक था। इस संदर्भ में, मौलिक कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से शामिल करने की परिकल्पना एक ऐसे तंत्र के रूप में की गई जो भाग III द्वारा गारंटीकृत व्यक्तिगत स्वतंत्रता और भाग IV के सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों के बीच के आदर्शगत अंतर को पाट सके। कानूनी अधिकारों के साथ-साथ नैतिक दायित्वों पर जोर देकर, संविधान का उद्देश्य नागरिक चेतना विकसित करना, लोकतांत्रिक संस्थानों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना और राष्ट्र-निर्माण में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना था, जिससे 42वें संशोधन के माध्यम से भाग IVA को अंततः शामिल करने की नींव पड़ी।

2. 42वां संशोधन (1976)

1976 में इमरजेंसी के दौरान किए गए 42वें संशोधन ने 'भाग IVA' को शामिल करके एक महत्वपूर्ण संवैधानिक बदलाव किया और भारतीय नागरिकों के लिए 'मौलिक कर्तव्यों' को औपचारिक रूप से लागू किया। इस संशोधन ने अनुच्छेद 51A जोड़ा, जिसमें सभी नागरिकों से अपेक्षित दस विशिष्ट कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। इनमें संविधान का सम्मान, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, पर्यावरण का संरक्षण, वैज्ञानिक सोच का विकास, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और लोकतंत्र की भावना का पालन करना शामिल था। ऐसा करके, इस संशोधन का उद्देश्य मौलिक अधिकारों और राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों के पूरक के रूप में काम करना था, ताकि सामाजिक-आर्थिक न्याय और राष्ट्रीय कल्याण को प्राप्त करने में राज्य और नागरिकों की दोहरी जिम्मेदारियों पर जोर दिया जा सके। कर्तव्यों को शामिल करने के

पीछे संवैधानिक तर्क यह था कि एक सफल लोकतंत्र के लिए न केवल कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकारों की आवश्यकता होती है, बल्कि नैतिक रूप से जागरूक और जिम्मेदार नागरिकों की भी आवश्यकता होती है जो लोकतांत्रिक संस्थाओं को बनाए रख सकें। इस संशोधन ने इस विचार को दर्शाया कि राष्ट्रीय एकता, सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिक शासन की सुरक्षा के लिए नागरिकों के कर्तव्य अभिन्न अंग हैं, जिससे संवैधानिक व्यवस्था का नैतिक और नैतिक पहलू मजबूत होता है। 'भाग IVA' ने स्पष्ट रूप से माना कि हालांकि मौलिक कर्तव्य मुख्य रूप से कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं थे, फिर भी उनमें नैतिक और आदर्शवादी महत्व था, जो नागरिकों को सार्वजनिक जीवन में रचनात्मक भागीदारी के लिए प्रेरित करते थे। व्यक्तिगत आचरण को सामाजिक कल्याण, पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक अखंडता के उद्देश्यों के साथ जोड़कर, 42वें संशोधन ने नागरिक अनुशासन, देशभक्ति और नैतिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने का प्रयास किया, जिससे आधुनिक भारत में जिम्मेदार नागरिकता का ढांचा तैयार हुआ।

3. वैश्विक नज़रिए

मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का भारत का फ़ैसला, कुछ हद तक, दुनिया भर के अलग-अलग देशों के संवैधानिक अनुभवों से प्रभावित था। जापान, पूर्व सोवियत संघ और कुछ यूरोपीय लोकतंत्रों समेत कई देशों ने अधिकारों के साथ-साथ नागरिकों के कर्तव्यों को भी साफ़ तौर पर बताया था। इससे यह सिद्धांत झलकता है कि एक अच्छे लोकतंत्र के लिए नैतिक और ज़िम्मेदार जनता की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए, 1947 में लागू हुए जापानी संविधान में कानून का पालन करने, राष्ट्रीय कल्याण में योगदान देने और सार्वजनिक संपत्ति का सम्मान करने जैसे कर्तव्यों का ज़िक्र है। इसमें इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि नागरिकता में अधिकार और ज़िम्मेदारियाँ दोनों

शामिल हैं। इसी तरह, सोवियत संविधान में नागरिकों के लिए राज्य की रक्षा करने, सामाजिक विकास के लिए काम करने और समाजवादी आदर्शों को बनाए रखने के कर्तव्य पर ज़ोर दिया गया था। इन अंतरराष्ट्रीय उदाहरणों ने भारतीय नीति-निर्माताओं को अहम जानकारी दी। इनसे पता चला कि कर्तव्यों को औपचारिक रूप से मान्यता देने से नागरिक चेतना मज़बूत हो सकती है, सामाजिक एकता को बढ़ावा मिल सकता है और राज्य द्वारा निर्देशित सामाजिक-आर्थिक योजना के लक्ष्यों को समर्थन मिल सकता है। इसी तरह का तरीका अपनाते हुए, भारत ने लोकतंत्र के अपने संवैधानिक नज़रिए को नागरिकों की ज़िम्मेदारी के नैतिक ढांचे के साथ जोड़ने की कोशिश की। इसमें देश के अपने सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए वैश्विक तौर-तरीकों से प्रेरणा ली गई। तुलनात्मक विश्लेषण से यह भी पता चला कि कर्तव्य राष्ट्र-निर्माण के साधन बन सकते हैं। इससे यह पक्का हुआ कि नागरिक जन-कल्याण, पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक संरक्षण में सक्रिय रूप से योगदान दें। इन अंतरराष्ट्रीय मॉडलों की जाँच करके, भारतीय कानून-निर्माता 'भाग IVA' को इस तरह से तैयार कर पाए कि कर्तव्यों की 'गैर-न्यायसंगत' प्रकृति और उनके आदर्श महत्व के बीच संतुलन बना रहे। इस तरह, संवैधानिक ढांचे के भीतर नागरिकता के लिए एक नैतिक आधार तैयार किया गया। नतीजतन, वैश्विक नज़रिए ने न केवल मौलिक कर्तव्यों के ढांचे को आकार दिया, बल्कि भारत में लोकतंत्र, एकता और सामाजिक प्रगति के व्यापक लक्ष्यों के साथ व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी को जोड़ने के तर्क को भी मज़बूत किया।

4. विधायी उद्देश्य

42वें संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के पीछे के विधायी उद्देश्य, 1970 के दशक के मध्य में हुई लंबी संसदीय बहस, सामाजिक विचारों और राजनीतिक हालात से तय हो गए थे। संसद सदस्यों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि नागरिकों को

संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखना चाहिए, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना चाहिए और सामाजिक व सांस्कृतिक विकास में सक्रिय रूप से योगदान देना चाहिए। चर्चाओं से यह आम सहमति बनी कि अकेले अधिकारों के दम पर लोकतंत्र ठीक से नहीं चल सकता; इसके लिए व्यक्तिगत व्यवहार को दिशा देने वाले कर्तव्यों का ढांचा भी ज़रूरी है। राजनीतिक कारणों ने भी 'भाग IVA' को तैयार करने में भूमिका निभाई। इनमें नागरिक अनुशासन में कमी की धारणा और आपातकाल के दौरान देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने की इच्छा शामिल थी। विधायकों ने सार्वजनिक संस्थानों को मज़बूत करने, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने, पर्यावरण को बचाने और वैज्ञानिक सोच व शिक्षा को बढ़ावा देने में नैतिक और सदाचारी ज़िम्मेदारियों के महत्व पर ज़ोर दिया। कर्तव्यों को लिखित रूप देने के पीछे सामाजिक कारकों, जैसे कि तेज़ी से बढ़ता शहरीकरण, बढ़ती सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ और अलग-अलग तरह के लोगों में नागरिक जागरूकता पैदा करने की ज़रूरत ने भी अहम भूमिका निभाई। इन ज़िम्मेदारियों को साफ़ तौर पर गिनाकर, संसद ने ज़िम्मेदार नागरिकता की संस्कृति को बढ़ावा देने की कोशिश की। इस बात पर ज़ोर दिया गया कि अधिकारों का इस्तेमाल करते समय समाज और देश के प्रति कर्तव्यों का पालन भी ज़रूरी है।

विधायी चर्चा में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि मौलिक कर्तव्य न केवल व्यक्तिगत व्यवहार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत का काम करेंगे, बल्कि राज्य की नीतियों, न्यायिक व्याख्या और नागरिक शिक्षा के लिए भी मानक तय करेंगे। असल में, मकसद एक ऐसा व्यापक ढाँचा तैयार करना था जिसमें नागरिक, संवैधानिक दायित्वों को समझते हुए, राष्ट्र-निर्माण में सक्रिय रूप से भाग ले सकें, सामाजिक सद्भाव बनाए रख सकें और संविधान में निहित मूल्यों को बनाए रख सकें। इससे यह सुनिश्चित हो सके कि भारत

में लोकतांत्रिक व्यवस्था नैतिक रूप से मज़बूत, सामाजिक रूप से ज़िम्मेदार और संस्थागत रूप से टिकाऊ बनी रहे।

III. मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति और महत्व

1. मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति

भारत में मौलिक कर्तव्यों (FDs) की प्रकृति अनोखी है क्योंकि इसमें नैतिक दायित्वों के साथ-साथ अप्रत्यक्ष कानूनी महत्व भी शामिल है, जो जिम्मेदार नागरिकता के संवैधानिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। मौलिक अधिकारों के विपरीत, जिन्हें सीधे तौर पर अदालतों के माध्यम से लागू किया जा सकता है, मौलिक कर्तव्य मुख्य रूप से नैतिक दायित्वों के रूप में कार्य करते हैं जो नागरिकों को राष्ट्र, समाज और साथी नागरिकों के प्रति उनके व्यवहार में मार्गदर्शन करते हैं। इन कर्तव्यों को नागरिक जिम्मेदारी, नैतिक जागरूकता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान की भावना पैदा करने के लिए बनाया गया है, जो यह उजागर करते हैं कि नागरिकता केवल अधिकारों का समूह नहीं है, बल्कि सामूहिक कल्याण के प्रति एक प्रतिबद्धता भी है। हालांकि संविधान अधिकांश कर्तव्यों को सख्त अर्थों में कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं बनाता है, फिर भी कुछ प्रावधान अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें लागू करने की अनुमति देते हैं। उदाहरण के लिए, पर्यावरण कानून, शिक्षा अधिनियम और भ्रष्टाचार-विरोधी कानून जैसे कानून विशिष्ट कर्तव्यों को क्रियान्वित करते हैं, जिससे चुनिंदा दायित्वों के लिए एक कानूनी ढांचा मिलता है। नैतिक मार्गदर्शन और चुनिंदा कानूनी प्रवर्तनीयता का यह दोहरा स्वरूप मौलिक कर्तव्यों को नैतिकता और कानून के मिलन बिंदु पर रखता है, जो अधिकांश मामलों में अनुपालन न करने पर दंडात्मक उपाय किए बिना नागरिकों के व्यवहार को आकार देने में उनकी भूमिका को रेखांकित करता है। मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों

के पूरक भी हैं, जो एक संतुलित ढांचा बनाते हैं जहां अधिकारों के साथ-साथ जिम्मेदारियां भी होती हैं।

संविधान की परिकल्पना है कि नागरिकों को अपने अधिकारों का प्रयोग इस तरह से करना चाहिए जो दूसरों के अधिकारों का सम्मान करे, सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा दे और लोकतांत्रिक संस्थानों को बनाए रखे। इस अर्थ में, कर्तव्य स्वतंत्रता के प्रयोग पर आदर्शवादी प्रतिबंधों के रूप में कार्य करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की खोज सार्वजनिक व्यवस्था, सामाजिक न्याय या राष्ट्रीय अखंडता से समझौता न करे। उदाहरण के लिए, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और पर्यावरण की रक्षा करने का कर्तव्य शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छ पर्यावरण के अधिकारों को मजबूत करता है, साथ ही जागरूक नागरिकता की संस्कृति को बढ़ावा देता है। इसके अलावा, मौलिक कर्तव्यों का वर्गीकरण उनकी बहुआयामी प्रकृति की जानकारी देता है। व्यक्तिगत कर्तव्य व्यक्तिगत जिम्मेदारी, नैतिक आचरण और संविधान के प्रति सम्मान पर जोर देते हैं, जैसे कानूनों का पालन करना, सद्भाव को बढ़ावा देना और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखना। सामाजिक कर्तव्य सामूहिक दायित्वों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो सामाजिक कल्याण, सामुदायिक एकजुटता और राष्ट्रीय एकता को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और समानता को बढ़ावा देना शामिल है। पर्यावरणीय कर्तव्य प्राकृतिक संसाधनों, वनों, वन्यजीवों और पारिस्थितिक संतुलन की रक्षा करने की आवश्यकता को उजागर करते हैं, जो समकालीन समाज में सतत विकास के बढ़ते महत्व को दर्शाते हैं। कुल मिलाकर, ये श्रेणियां यह बताती हैं कि मौलिक कर्तव्य केवल अमूर्त नैतिक उपदेश नहीं हैं, बल्कि सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण और लोकतांत्रिक शासन के व्यापक उद्देश्यों से गहराई से जुड़े हुए हैं।

असल में, मौलिक कर्तव्यों का स्वरूप नैतिक ज़िम्मेदारी, नागरिक नैतिकता और अप्रत्यक्ष रूप से कानूनी तौर पर लागू किए जा सकने वाले प्रावधानों का मिश्रण है। ये व्यक्तिगत और सामूहिक व्यवहार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों का काम करते हैं, मौलिक अधिकारों के पूरक हैं और नागरिकों को संवैधानिक मूल्यों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कर्तव्यों को व्यक्तिगत, सामाजिक और पर्यावरणीय क्षेत्रों में बांटकर, संविधान ज़िम्मेदार नागरिकता के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है। यह इस बात पर ज़ोर देता है कि लोकतंत्र की जीवंतता न केवल अधिकारों का आनंद लेने पर, बल्कि उन कर्तव्यों के ईमानदारी से पालन पर भी निर्भर करती है जो सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रीय अखंडता और नैतिक शासन को बनाए रखते हैं।

2. भारतीय संदर्भ में मौलिक कर्तव्यों का महत्व

भारतीय संवैधानिक ढांचे में मौलिक कर्तव्यों का एक खास स्थान है क्योंकि ये नागरिकों और राज्य के बीच आपसी संबंध को रेखांकित करते हैं, और यह बताते हैं कि अधिकारों का महत्व तभी है जब उनका इस्तेमाल जिम्मेदारी से किया जाए। इन कर्तव्यों का एक मुख्य महत्व राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका है। भारत की विविधता, जिसमें कई भाषाएं, धर्म और सांस्कृतिक प्रथाएं शामिल हैं, एक समृद्ध विरासत और सामाजिक तनाव का संभावित स्रोत, दोनों पेश करती है। संविधान, राष्ट्रीय प्रतीकों और राष्ट्र की संप्रभुता का सम्मान अनिवार्य करके, मौलिक कर्तव्य सामूहिक अपनत्व और राष्ट्रीय गौरव की भावना पैदा करते हैं, जिससे सद्भाव को बढ़ावा मिलता है और सार्वजनिक व्यवस्था या सांप्रदायिक एकजुटता को खतरा पहुंचाने वाले कार्यों को हतोत्साहित किया जाता है। एकता, सद्भाव और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने जैसे कर्तव्य नागरिकों को संकीर्ण हितों से ऊपर उठने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिससे एक बहुलवादी समाज में एकजुटता बनी रहती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू नागरिक

जिम्मेदारी को बढ़ावा देना है। मौलिक कर्तव्य नैतिक दिशानिर्देशों के रूप में कार्य करते हैं, जो नागरिकों को समुदाय, सार्वजनिक संस्थानों और सामाजिक कल्याण के प्रति उनके दायित्वों की याद दिलाते हैं। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, हिंसा से दूर रहने और कानून के शासन को बनाए रखने जैसे कर्तव्य नागरिक अनुशासन और नैतिक जुड़ाव की भावना पैदा करते हैं, जो लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। इन कर्तव्यों को अपनाकर, नागरिक केवल अधिकारों के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं रह जाते, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बन जाते हैं, और स्थानीय तथा राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर जवाबदेही, सामाजिक न्याय और शासन में योगदान देते हैं। मौलिक कर्तव्य सामाजिक कल्याण और नैतिक शासन को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे नागरिकता के नैतिक और चारित्रिक पहलुओं को मजबूत करते हैं, और व्यक्तियों को ऐसे कार्यों के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो जनहित, सामाजिक समानता और सतत विकास को बढ़ावा देते हैं।

उदाहरण के लिए, पर्यावरण संरक्षण, वैज्ञानिक सोच और शिक्षा से संबंधित कर्तव्य विकास और नवाचार के राष्ट्रीय उद्देश्यों का समर्थन करते हैं, साथ ही जिम्मेदारी और नैतिक निर्णय लेने की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। इस अर्थ में, कर्तव्य शासन के नैतिक और व्यावहारिक पहलुओं के बीच की खाई को भरने में मदद करते हैं, ऐसे नागरिकों को तैयार करके जो सामाजिक कल्याण में रचनात्मक रूप से योगदान देते हैं। अंत में, मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) के बीच की खाई को भरने में मदद करते हैं। जहां अधिकार नागरिकों को सशक्त बनाते हैं और DPSP राज्य को सामाजिक और आर्थिक न्याय की ओर निर्देशित करते हैं, वहीं कर्तव्य एक ऐसा मानक ढांचा बनाते हैं जो व्यक्तिगत व्यवहार को व्यापक संवैधानिक उद्देश्यों के अनुरूप बनाता है। कानूनों का सम्मान करने, न्याय बनाए रखने और जन कल्याण

में योगदान करने के लिए नागरिकों का मार्गदर्शन करके, मौलिक कर्तव्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामूहिक जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बिठाते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि अधिकारों का प्रयोग सामाजिक और राष्ट्रीय हितों को कमजोर न करे। असल में, वे नैतिक दायित्वों और कानूनी अधिकारों के बीच एक जोड़ने वाली कड़ी के तौर पर काम करते हैं और भारतीय लोकतंत्र की नैतिक नींव को मज़बूत करते हैं।

3. सामाजिक-सांस्कृतिक और नैतिक पहलू

मौलिक कर्तव्यों के सामाजिक-सांस्कृतिक और नैतिक पहलू भारत की समृद्ध विरासत, दार्शनिक परंपराओं और जिम्मेदार नागरिकता के गांधीवादी दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। भारतीय मूल्यों और संस्कृति ने ऐतिहासिक रूप से इस बात पर जोर दिया है कि व्यक्तिगत अधिकार सामाजिक दायित्वों से जुड़े हुए हैं। धर्म (नैतिक कर्तव्य), सेवा और सत्य जैसी अवधारणाओं ने सामूहिक चेतना को आकार दिया है और इस विचार को बढ़ावा दिया है कि व्यक्ति का कल्याण समाज के कल्याण से अलग नहीं है। मौलिक कर्तव्य इन नैतिक सिद्धांतों को संवैधानिक ढांचे में शामिल करते हैं, जिससे नैतिक जिम्मेदारी और नागरिक गुणों की सदियों पुरानी धारणाओं को औपचारिक मान्यता मिलती है। इन सिद्धांतों को शामिल करके, संविधान नागरिकों को ऐसे काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो सद्भाव बनाए रखें, विविधता का सम्मान करें और सामाजिक ताने-बाने को बनाए रखें। जिम्मेदार नागरिकता के गांधीवादी दृष्टिकोण ने कर्तव्यों के निर्धारण को काफी प्रभावित किया। महात्मा गांधी ने आत्म-अनुशासन, नैतिक जीवन और राष्ट्र-निर्माण में सक्रिय भागीदारी को नागरिकता के आवश्यक तत्वों के रूप में वकालत की। उनका मानना था कि लोकतंत्र केवल एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि एक नैतिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति समाज के प्रति जवाबदेह होते हैं। यह

दृष्टिकोण उन कर्तव्यों में झलकता है जो कानून के सम्मान, सद्भाव को बढ़ावा देने, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और वैज्ञानिक सोच के विकास पर जोर देते हैं।

गांधी के आदर्श इस बात पर जोर देते हैं कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए नैतिक रूप से जागरूक नागरिकों की आवश्यकता होती है जो नागरिक जिम्मेदारी को अपनाते हैं, सामाजिक कल्याण में सक्रिय रूप से योगदान करते हैं और व्यक्तिगत लाभ से ऊपर राष्ट्रीय हित को रखते हैं। आधुनिक शहरी और ग्रामीण संदर्भों में मौलिक कर्तव्यों की प्रासंगिकता अलग-अलग होती है, जो सामाजिक-आर्थिक स्थितियों, शिक्षा और नागरिक जागरूकता के स्तर में अंतर को दर्शाती है। शहरी क्षेत्रों में, नागरिक अक्सर जटिल सामाजिक और तकनीकी वातावरण के संपर्क में आते हैं, जिससे पर्यावरण संरक्षण, वैज्ञानिक सोच और संसाधनों के नैतिक उपयोग से संबंधित कर्तव्यों की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत, ग्रामीण संदर्भों में, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने, सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने और सामुदायिक कल्याण का समर्थन करने जैसे कर्तव्यों का अधिक महत्व होता है। इन संदर्भगत अंतरों के बावजूद, मूल सिद्धांत वही रहता है: नागरिकता में लोकतंत्र के मूल्यों को बनाए रखने, सामाजिक एकजुटता में योगदान करने और राष्ट्र-निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेने की नैतिक प्रतिबद्धता शामिल है। इन दायित्वों को संविधान में शामिल करके, भारत का लक्ष्य ऐसे नागरिकों का निर्माण करना है जो न केवल अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों, बल्कि उन जिम्मेदारियों के प्रति भी सचेत हों जो सामूहिक प्रगति सुनिश्चित करती हैं।

IV. न्यायिक मान्यता और कार्यान्वयन

1. न्यायिक दृष्टिकोण का अवलोकन

भारतीय न्यायपालिका ने संविधान के भाग IVA के तहत मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति मुख्य रूप से गैर-न्यायसंगत होने के बावजूद, उनकी व्याख्या करने और उन्हें व्यावहारिक महत्व देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट ने लगातार इस बात पर जोर दिया है कि हालांकि मौलिक कर्तव्यों को मौलिक अधिकारों की तरह अदालत में लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन वे मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में काम करते हैं जो अन्य संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों की व्याख्या में मदद करते हैं। अदालतों ने अक्सर इस बात पर प्रकाश डाला है कि मौलिक कर्तव्य एक नैतिक और सदाचारी दिशा-सूचक के रूप में कार्य करते हैं, जो नागरिकों को अपने अधिकारों का प्रयोग करते समय जिम्मेदारी से काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अधिकारों और कर्तव्यों के बीच परस्पर संबंध को पहचानते हुए, न्यायपालिका ने रेखांकित किया है कि मौलिक अधिकारों के प्रभावी प्रयोग के लिए अक्सर अनुच्छेद 51A में उल्लिखित दायित्वों का पालन करना आवश्यक होता है। विभिन्न फैसलों के माध्यम से, अदालतों ने यह भी स्पष्ट किया है कि मौलिक कर्तव्यों का उपयोग सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है, जिससे उनका प्रभाव केवल नैतिक उपदेश से कहीं आगे तक फैल जाता है। इसके अलावा, न्यायिक फैसलों ने इस विचार को मजबूत किया है कि मौलिक कर्तव्यों का पालन लोकतांत्रिक शासन को मजबूत करता है और नागरिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देता है, भले ही सीधे कानूनी प्रवर्तन का अभाव हो। केस स्टडीज़ और महत्वपूर्ण फैसलों ने यह दिखाया है कि कैसे अदालतों ने शिक्षा, पर्यावरण और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित कानूनों की व्याख्या करने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से मौलिक कर्तव्यों को लागू किया है, जिससे संविधान की नैतिक आवश्यकताओं और व्यावहारिक सामाजिक जरूरतों के बीच की खाई को पाटा जा सका है। इसलिए, न्यायिक दृष्टिकोण ने मौलिक कर्तव्यों को केवल आकांक्षी बयानों से बदलकर ऐसे व्यावहारिक सिद्धांतों में बदल दिया

है जो संवैधानिक व्याख्या, विधायी मार्गदर्शन और नागरिक आचरण को दिशा देते हैं, और जिम्मेदार नागरिकता को बढ़ावा देने तथा लोकतांत्रिक आदर्शों को बनाए रखने में न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका को उजागर करते हैं।

2. महत्वपूर्ण न्यायिक फैसले

कई अहम न्यायिक फैसलों ने भारत में मौलिक कर्तव्यों की व्यावहारिक अहमियत और उनके अप्रत्यक्ष रूप से लागू होने की क्षमता को उजागर किया है। रंगनाथ मिश्रा बनाम भारत संघ (1995) मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा के क्षेत्र में मौलिक कर्तव्यों के महत्व पर जोर दिया। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 51A(g), जो नागरिकों को पर्यावरण की रक्षा करने और शैक्षिक व सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देने का दायित्व सौंपता है, राज्य और शिक्षण संस्थानों के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में काम कर सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षा नैतिक मूल्यों, सामाजिक जिम्मेदारी और पर्यावरण के प्रति जागरूकता को बढ़ावा दे। इसी तरह, CPI(M) बनाम भारत संघ (1992) मामले में, कोर्ट ने पर्यावरण की रक्षा के कर्तव्य को एक संवैधानिक दायित्व माना। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि पर्यावरण को नुकसान से बचाने के लिए नागरिकों और राज्य को अनुच्छेद 51A(g) के अनुसार काम करना चाहिए। इस फैसले ने मौलिक कर्तव्यों के नजरिए से पर्यावरण कानूनों की व्याख्या करने की नींव रखी, जिससे सतत विकास के लिए कानूनी ढांचे के साथ नैतिक जिम्मेदारी को जोड़ा जा सका।

3. लागू करने के तरीके

भारत में मौलिक कर्तव्यों (FDs) को लागू करना संवैधानिक प्रावधानों, राज्य, न्यायपालिका और नागरिक समाज के बीच एक जटिल तालमेल पर निर्भर करता है। यह उनके नैतिक महत्व और चुनिंदा कानूनी रूप से लागू होने की क्षमता, दोनों को

दर्शाता है। हालांकि संविधान का अनुच्छेद 51A स्पष्ट रूप से इन कर्तव्यों को बताता है, लेकिन मौलिक अधिकारों के विपरीत, ये काफी हद तक गैर-न्यायसंगत (non-justiciable) हैं। हालांकि, मौलिक अधिकारों (भाग III) और राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों (भाग IV) के साथ इनका जुड़ाव इन्हें अप्रत्यक्ष रूप से लागू करने का एक तरीका देता है। अदालतों ने अक्सर कानूनों की व्याख्या करने, प्रशासनिक कार्यों को दिशा देने और अधिकारों के इस्तेमाल को सामाजिक जिम्मेदारियों के साथ तालमेल बिठाने के लिए मौलिक कर्तव्यों का सहारा लिया है।

उदाहरण के लिए, पर्यावरण कानूनों, शिक्षा संबंधी कानूनों और नागरिक नियमों की व्याख्या पर्यावरण की सुरक्षा, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करने जैसे कर्तव्यों को ध्यान में रखकर की गई है, जिससे कानूनी ढांचे के भीतर नैतिक दायित्वों को अमल में लाया जा सके। राज्य नीति-निर्माण, शासन के तौर-तरीकों और नागरिक शिक्षा कार्यक्रमों में इन कर्तव्यों को शामिल करके इनके कार्यान्वयन में अहम भूमिका निभाता है। पाठ्यक्रम में सुधार, जन-जागरूकता अभियानों और नागरिक चार्टर जैसी पहलों के माध्यम से, राज्य नागरिकों में इन कर्तव्यों के प्रति जागरूकता पैदा करने की कोशिश करता है, और इस बात पर जोर देता है कि अधिकारों का इस्तेमाल समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारियों के अनुरूप होना चाहिए। इसी तरह, नागरिक समाज के संगठनों और मीडिया ने नागरिक चेतना को बढ़ावा देने, स्वेच्छा से पालन को प्रोत्साहित करने और राष्ट्र-निर्माण में भागीदारी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन प्रयासों के बावजूद, मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से लागू करने में चुनौतियां बनी हुई हैं। इनकी गैर-न्यायसंगत प्रकृति अक्सर इनके कार्यान्वयन को सीमित करती है, जबकि जन-जागरूकता असमान बनी हुई है, खासकर ग्रामीण और हाशिए पर रहने वाले समुदायों में। इसके अलावा, कई कर्तव्यों का अमूर्त स्वरूप, जैसे

वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना या सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना, इनके व्यावहारिक कार्यान्वयन को जटिल बनाता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें विधायी मजबूती, शैक्षिक पहुंच, न्यायिक व्याख्या और सक्रिय नागरिक भागीदारी शामिल हो, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मौलिक कर्तव्य केवल आदर्शों के रूप में नहीं, बल्कि नैतिक नागरिकता, सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय विकास के लिए व्यावहारिक साधनों के रूप में कार्य करें।

4. आलोचनात्मक मूल्यांकन

मौलिक कर्तव्यों का आलोचनात्मक मूल्यांकन उनकी क्षमता और उनके लागू होने में मौजूद सीमाओं, दोनों को उजागर करता है। इन कर्तव्यों को व्यावहारिक रूप देने में न्यायिक हस्तक्षेप की अहम भूमिका रही है; अदालतें कानून बनाने, नीति तय करने और नागरिकों के व्यवहार को दिशा देने के लिए इनका इस्तेमाल व्याख्या के साधन के तौर पर करती हैं। पर्यावरण से जुड़े मामलों, शिक्षा संबंधी विवादों और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा में इन कर्तव्यों का ज़िक्र करके न्यायपालिका ने इनके आदर्श महत्व को रेखांकित किया है और नैतिक दायित्वों को कानूनी रूप से लागू होने वाले अधिकारों और सामाजिक कल्याण से प्रभावी ढंग से जोड़ा है। हालाँकि, न्यायिक हस्तक्षेप की प्रभावशीलता को लेकर सवाल बने हुए हैं, क्योंकि अदालतें केवल व्याख्या और सिफारिश कर सकती हैं; वे सीधे कानूनी प्रावधानों के अभाव में नैतिक व्यवहार के लिए मजबूर नहीं कर सकतीं। इस सीमा ने मौलिक कर्तव्यों की नैतिक बनाम कानूनी बाध्यकारी प्रकृति पर एक निरंतर बहस को जन्म दिया है। हालाँकि ये नैतिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और नागरिक चेतना को बढ़ावा देते हैं, लेकिन इनके गैर-न्यायसंगत (non-justiciable) स्वरूप के कारण इनका पालन काफी हद तक स्वैच्छिक होता है, जो कानूनी दबाव के बजाय नागरिक जागरूकता, सामाजिक मानदंडों और सांस्कृतिक मूल्यों पर

निर्भर करता है। इससे विभिन्न सामाजिक-आर्थिक और क्षेत्रीय संदर्भों में इनके असमान पालन को लेकर चिंताएँ पैदा होती हैं, जिससे राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सद्भाव और जिम्मेदार नागरिकता के व्यापक उद्देश्यों को नुकसान पहुँच सकता है। मौलिक कर्तव्यों की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए कई उपाय सुझाए गए हैं। विधायी प्रयासों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने और सार्वजनिक संपत्ति का सम्मान करने जैसे प्रमुख कर्तव्यों को कानूनी रूप से लागू होने वाले दायित्वों में बदला जा सकता है, जिससे इनके पालन के लिए एक मजबूत ढाँचा तैयार हो सके। स्कूली पाठ्यक्रम से लेकर जन-जागरूकता अभियानों तक, नागरिक शिक्षा की पहल नैतिक जिम्मेदारी और सामाजिक जवाबदेही की संस्कृति विकसित कर सकती है, जिससे ये कर्तव्य दैनिक जीवन का हिस्सा बन सकें।

न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या में लगातार इन कर्तव्यों का ज़िक्र करके और सरकारी नीति को नागरिकों के अधिकारों के साथ-साथ नैतिक दायित्वों को भी ध्यान में रखने के लिए निर्देशित करके इनके पालन को और बढ़ावा दे सकती है। इन मूल्यों को मजबूत करने, समुदाय-आधारित निगरानी को बढ़ावा देने और नागरिकों के अनुकरणीय व्यवहार को सराहने में नागरिक समाज और मीडिया की भागीदारी आवश्यक बनी हुई है। निष्कर्ष के तौर पर, जहाँ मौलिक कर्तव्य भारतीय लोकतंत्र की नैतिक रीढ़ के रूप में कार्य करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि नागरिक जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ व्यवहार करें, वहीं उनकी पूरी क्षमता को केवल न्यायिक मार्गदर्शन, विधायी मजबूती, शैक्षिक प्रयासों और सक्रिय नागरिक भागीदारी के संयोजन से ही हासिल किया जा सकता है।

V. नागरिक बोध और संवैधानिक दायित्व

1. नागरिक बोध की अवधारणा

नागरिक बोध का अर्थ है नागरिकों की वह जागरूकता, दृष्टिकोण और व्यवहार, जो समुदाय, समाज और राष्ट्र के प्रति उनकी ज़िम्मेदारी को दर्शाता है। इसमें वे नैतिक और चारित्रिक मूल्य शामिल हैं जिनके दायरे में रहकर व्यक्ति दूसरों के अधिकारों और कल्याण का सम्मान करते हुए अपने अधिकारों का उपयोग करते हैं। नागरिक बोध का नागरिक ज़िम्मेदारी से गहरा संबंध है; यह इस बात पर ज़ोर देता है कि नागरिकों को न केवल संवैधानिक स्वतंत्रताएँ प्राप्त हैं, बल्कि वे सामाजिक कल्याण में योगदान देने, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और लोकतंत्र के मूल्यों को बनाए रखने के लिए भी बाध्य हैं। भारतीय संदर्भ में, नागरिक बोध का अर्थ है कानूनों का पालन करना, सार्वजनिक संपत्ति का सम्मान करना, पर्यावरण के प्रति जागरूक रहना, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग लेना और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना। मज़बूत नागरिक बोध वाला व्यक्ति यह समझता है कि व्यक्तिगत कार्यों के सामूहिक परिणाम होते हैं और ज़िम्मेदार व्यवहार से समुदाय का कल्याण होता है और लोकतांत्रिक संस्थाएँ मज़बूत बनी रहती हैं।

यह अवधारणा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सीधा संबंध भी स्थापित करती है और इस बात पर ज़ोर देती है कि अधिकारों का उपभोग करने के साथ-साथ संबंधित ज़िम्मेदारियाँ भी निभानी चाहिए। उदाहरण के लिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के साथ-साथ भड़काने वाली बातें न कहने, नफ़रत फैलाने वाले भाषण (हेट स्पीच) से बचने या गलत जानकारी न फैलाने का कर्तव्य भी जुड़ा है; वहीं शिक्षा के अधिकार का अर्थ है शिक्षण संस्थानों का सम्मान करना और नैतिक ज्ञान को बढ़ावा देना। इसलिए, नागरिक बोध नागरिकता की नैतिक रीढ़ के रूप में कार्य करता है और यह सुनिश्चित करता है कि अधिकारों का उपयोग सार्वजनिक हित, राष्ट्रीय अखंडता या समाज के सामूहिक कल्याण में बाधा न डाले। नागरिक जागरूकता विकसित करके, नागरिक

जवाबदेही और साझा ज़िम्मेदारी की भावना को अपनाते हैं। इससे इस विचार को बल मिलता है कि लोकतंत्र की सेहत को न केवल उन अधिकारों से मापा जाता है जिनकी वह गारंटी देता है, बल्कि उन कर्तव्यों से भी मापा जाता है जिनके लिए वह प्रेरित करता है।

B. नागरिक बोध को बढ़ावा देने में मौलिक कर्तव्यों की भूमिका

मौलिक कर्तव्य नागरिकों को नैतिक और चारित्रिक दायित्वों का एक ऐसा ढाँचा प्रदान करके नागरिक बोध को आकार देने और बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाते हैं, जो सार्वजनिक और निजी जीवन में उनके व्यवहार का मार्गदर्शन करते हैं। पर्यावरण की रक्षा, सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने जैसे कर्तव्य समाज के साथ ज़िम्मेदार जुड़ाव को सीधे तौर पर प्रोत्साहित करते हैं।

उदाहरण के लिए, वनों, वन्यजीवों और पारिस्थितिक संतुलन की रक्षा करने का दायित्व न केवल पर्यावरणीय स्थिरता में मदद करता है, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों के प्रति सम्मान और दीर्घकालिक सामाजिक कल्याण की संस्कृति को भी बढ़ावा देता है। इसी तरह, सार्वजनिक संपत्ति और संस्थानों का सम्मान करने का कर्तव्य तोड़-फोड़, भ्रष्टाचार और सामुदायिक संसाधनों के दुरुपयोग को रोकता है, जिससे नागरिकों के बीच जवाबदेही और साझा स्वामित्व की भावना बढ़ती है। सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक संरक्षण पर ज़ोर देकर, मौलिक कर्तव्य सहनशीलता, समझ और आपसी सम्मान को भी बढ़ावा देते हैं, जिससे सांप्रदायिक तनाव और सामाजिक कलह की संभावना कम होती है। इन खास दायित्वों के अलावा, मौलिक कर्तव्य नैतिक और ज़िम्मेदार नागरिकता की व्यापक भावना को मज़बूत करते हैं। ये लोगों को नागरिक मूल्यों को अपनाने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में रचनात्मक रूप से योगदान देने के लिए प्रेरित करते हैं। वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और संविधान के प्रति सम्मान से जुड़े कर्तव्य आलोचनात्मक सोच,

तर्कसंगत व्यवहार और नैतिक नियमों के पालन को बढ़ावा देते हैं, जिससे नागरिक व्यवहार की नैतिक और बौद्धिक नींव मज़बूत होती है। संवैधानिक अधिकारों का आनंद लेने को सामाजिक ज़िम्मेदारियों को पूरा करने से जोड़कर, मौलिक कर्तव्य यह सुनिश्चित करते हैं कि नागरिक लोकतंत्र को बनाए रखने, जनहित की रक्षा करने और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका के प्रति जागरूक रहें। संक्षेप में, ये कर्तव्य नागरिक भावना विकसित करने के व्यावहारिक साधन के रूप में काम करते हैं। ये नैतिक आदर्शों को ज़िम्मेदार नागरिकता के ऐसे व्यवहार में बदलते हैं जो समाज की सामूहिक भलाई को बढ़ाते हैं।

4. शिक्षा और जागरूकता

नागरिक भावना को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा और जागरूकता बहुत ज़रूरी है कि अलग-अलग सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले नागरिक अपने मौलिक कर्तव्यों को अपनाएं। स्कूल और कॉलेज नागरिक ज़िम्मेदारियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मुख्य मंच के रूप में काम करते हैं। वे नागरिक शास्त्र, सामाजिक अध्ययन और नीतिशास्त्र जैसे विषयों के ज़रिए पाठ्यक्रम में मौलिक कर्तव्यों पर चर्चा को शामिल करते हैं। छात्रों को कम उम्र में ही ज़िम्मेदार नागरिकता के सिद्धांतों से परिचित कराकर, शिक्षण संस्थान कानून का पालन करने, विविधता का सम्मान करने और सामाजिक कल्याण में योगदान देने की आदतें विकसित करने में मदद करते हैं। औपचारिक शिक्षा के अलावा, मीडिया मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानकारी फैलाने, नागरिक अभियानों, नैतिक पहलों और नागरिकों के आदर्श व्यवहार को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सरकार और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जाने वाले "अपने कर्तव्यों को जानें" जैसे जन-जागरूकता कार्यक्रमों का उद्देश्य नागरिकों को उनके संवैधानिक दायित्वों के प्रति संवेदनशील बनाना, पर्यावरण की देखभाल को बढ़ावा देना, सामुदायिक सेवा को प्रोत्साहित करना और असामाजिक व्यवहार को रोकना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी मूल्य-आधारित शिक्षा के महत्व पर ज़ोर देती है, जिसमें नीतिशास्त्र, नागरिक ज़िम्मेदारियों और राष्ट्र-निर्माण में नागरिकों की भूमिका की शिक्षा शामिल है, ताकि औपचारिक शिक्षा को संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप बनाया जा सके। कक्षा में सीखने, जन-जागरूकता पहलों और मीडिया के माध्यम से जानकारी फैलाने के प्रयासों को मिलाकर, भारत एक ऐसे जागरूक और ज़िम्मेदार नागरिक समाज का निर्माण करना चाहता है जो नैतिक दायित्वों को रोज़मर्रा के व्यवहार में उतार सके। जागरूकता कार्यक्रम न केवल नागरिकों को उनके कर्तव्यों के बारे में जानकारी देते हैं, बल्कि उन्हें शासन, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक कल्याण की पहलों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए भी प्रेरित करते हैं, जिससे संवैधानिक आदर्शों और वास्तविक नागरिक भागीदारी के बीच की खाई को पाटा जा सके।

5. सामाजिक प्रभाव

मौलिक कर्तव्यों का पालन और नागरिक भावना का विकास समाज पर दूरगामी प्रभाव डालते हैं, जो व्यवहार, सामाजिक मानदंडों और शासन की समग्र गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। जो नागरिक कानूनों का सम्मान करने, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने जैसे कर्तव्यों को अपनाते हैं, वे कानून का पालन करने वाले समाज के निर्माण में योगदान देते हैं, जिससे भ्रष्टाचार, तोड़-फोड़ और सांप्रदायिक संघर्ष की घटनाओं में कमी आती है। मौलिक कर्तव्यों से मज़बूत हुई नागरिक भावना सामूहिक ज़िम्मेदारी को बढ़ावा देती है, और व्यक्तियों

को केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि अपने समुदायों और पूरे राष्ट्र के कल्याण के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह नैतिक दृष्टिकोण जवाबदेही, पारदर्शिता और भागीदारीपूर्ण शासन को बढ़ावा देकर लोकतांत्रिक संस्थानों को मज़बूत करता है, क्योंकि नागरिक सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदार बन जाते हैं। इसके अलावा, मौलिक कर्तव्यों से प्रेरित नागरिक आंदोलन नैतिक नागरिकता की परिवर्तनकारी क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। इसके उदाहरणों में समुदाय के नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण अभियान, 'स्वच्छ भारत मिशन' से प्रेरित आस-पड़ोस की सफाई की पहल और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे अभियान शामिल हैं। ये सभी नागरिकों द्वारा संवैधानिक कर्तव्यों का स्वेच्छा से पालन करने को दर्शाते हैं। ये आंदोलन दिखाते हैं कि जब नागरिक बोध को सही ढंग से बढ़ावा दिया जाता है, तो यह समाज को सकारात्मक बदलाव की ओर ले जा सकता है, सामाजिक-आर्थिक अंतर को कम कर सकता है और समावेशी विकास को बढ़ावा दे सकता है।

इसके अलावा, मौलिक कर्तव्यों का सामाजिक प्रभाव रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देने, आपसी सम्मान, सहनशीलता और रचनात्मक जुड़ाव की आदतें विकसित करने तक फैला हुआ है। अधिकारों के साथ-साथ ज़िम्मेदारियों पर ज़ोर देकर, संविधान नागरिकों को नैतिक मूल्यों को अपनाने, सार्वजनिक संस्थाओं का सम्मान करने और राष्ट्र-निर्माण में ज़िम्मेदार भागीदार के रूप में काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। संक्षेप में, मौलिक कर्तव्यों के माध्यम से नागरिक बोध का विकास न केवल व्यक्ति के चरित्र को बेहतर बनाता है, बल्कि सामाजिक एकजुटता, लोकतांत्रिक शासन और टिकाऊ विकास को भी मज़बूत करता है, जिससे नैतिक नागरिकता भारत के संवैधानिक दृष्टिकोण का एक मुख्य आधार बनती है।

VI. तुलनात्मक और आलोचनात्मक दृष्टिकोण

1. अन्य लोकतंत्रों के साथ तुलना

भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना नागरिक ज़िम्मेदारी के प्रति एक अनोखा नज़रिया दिखाता है, लेकिन दूसरे कई लोकतंत्रों में भी ऐसे ही प्रावधान हैं, जिनसे महत्वपूर्ण जानकारी और सीख मिलती है। जापान के संविधान (1947) में नागरिकों से संविधान का सम्मान करने, कानून का पालन करने और जन-कल्याण में योगदान देने की उम्मीद की जाती है; यह सामाजिक सद्भाव और ज़िम्मेदार शासन के लिए अधिकारों और कर्तव्यों के मेल को दर्शाता है। जर्मनी का 'बेसिक लॉ' (संविधान) अप्रत्यक्ष रूप से कर्तव्यों पर ज़ोर देता है। यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने और आम भलाई में योगदान देने के दायित्वों को उजागर करता है। यह दिखाता है कि कैसे कर्तव्य, बिना सख्ती से लागू किए बिना भी, लोकतांत्रिक संस्थाओं की नैतिक नींव को मज़बूत कर सकते हैं। इसके विपरीत, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश मुख्य रूप से सांस्कृतिक मानदंडों, सामाजिक अपेक्षाओं और कानूनों में शामिल कानूनी दायित्वों पर निर्भर करते हैं, न कि स्पष्ट रूप से लिखे गए संवैधानिक कर्तव्यों पर। यहाँ एक ज़्यादा लचीला और नागरिक-केंद्रित नज़रिया अपनाया जाता है, जहाँ नैतिक दायित्वों को औपचारिक संवैधानिक आदेशों के बजाय शिक्षा और नागरिक समाज के माध्यम से मज़बूत किया जाता है।

ये वैश्विक उदाहरण अधिकारों और ज़िम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने के अलग-अलग तरीकों को दिखाते हैं: जहाँ जापान और जर्मनी जैसे देशों में लिखे गए कर्तव्य नागरिकों को औपचारिक मार्गदर्शन देते हैं, वहीं एंग्लो-अमेरिकी लोकतंत्रों में अनौपचारिक मानदंड सामाजिक सोच, शिक्षा और नागरिक भागीदारी के ज़रिए समान उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। भारत के लिए, ये तुलनात्मक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण सीख देते हैं। वे दिखाते हैं कि

लिखे गए कर्तव्य नैतिक शासन, नागरिक अनुशासन और सामाजिक एकता को मज़बूत कर सकते हैं, लेकिन उनकी प्रभावशीलता जागरूकता, शिक्षा और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है। भारत का 'भाग IVA' नागरिकों की ज़िम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से लिखने में वैश्विक तौर-तरीकों के अनुरूप है, साथ ही यह देश के सांस्कृतिक मूल्यों और ज़िम्मेदार नागरिकता के गांधीवादी दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। हालाँकि, दूसरे देशों के अनुभव यह भी चेतावनी देते हैं कि केवल कानूनी रूप से लिख देने से ही उनका पालन सुनिश्चित नहीं होता; शिक्षा, नीति और नागरिक समाज की भागीदारी के माध्यम से नागरिक चेतना को बढ़ावा देना भी उतना ही ज़रूरी है।

2. मौलिक कर्तव्यों की खूबियाँ

मौलिक कर्तव्य नागरिकों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने और नैतिक, ज़िम्मेदार और भागीदारी वाली नागरिकता को पोषित करने के लिए एक शक्तिशाली साधन के रूप में काम करते हैं। दायित्वों को स्पष्ट रूप से अधिकारों से जोड़कर, वे जवाबदेही की भावना को बढ़ावा देते हैं और लोगों को ऐसे काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जिनसे जन-कल्याण, पर्यावरण की स्थिरता, सामाजिक सद्भाव और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा मिले। संविधान का सम्मान करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना जैसे कर्तव्य नैतिक और चारित्रिक जागरूकता पैदा करते हैं। ये एक ऐसा आदर्श ढांचा प्रदान करते हैं जो निजी और सार्वजनिक दोनों तरह के व्यवहार का मार्गदर्शन करता है। ये कर्तव्य मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति-निर्देशकों के पूरक हैं। ये एक ऐसा संवैधानिक नज़रिया बनाते हैं जिसमें आज़ादी का इस्तेमाल समाज और देश के प्रति ज़िम्मेदारी के साथ किया जाता है। शासन के नज़रिए से, मौलिक कर्तव्य नैतिक और चारित्रिक मार्गदर्शन देते हैं और नागरिकों व सरकारी अधिकारियों के व्यवहार को आकार देते हैं।

ये सामाजिक व्यवहार के लिए एक मानक का काम करते हैं, अदालतों को व्याख्या में मार्गदर्शन देते हैं, कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं और नागरिक शिक्षा कार्यक्रमों को दिशा देते हैं।

इन कर्तव्यों को अपनाकर, नागरिकों के कानून का पालन करने, सार्वजनिक पहलों में योगदान देने और राष्ट्र-निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा, ये कर्तव्य एकता, सहनशीलता और विविधता के प्रति सम्मान पर ज़ोर देकर सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देते हैं और बहुलवाद व समावेशिता के प्रति संवैधानिक प्रतिबद्धता को मज़बूत करते हैं। आज के भारत में, जहाँ बहुत ज़्यादा विविधता है, मौलिक कर्तव्य बढ़ते सामाजिक तनाव, राजनीतिक ध्रुवीकरण और पर्यावरणीय चुनौतियों के बीच संतुलन बनाने का काम भी करते हैं। ये एक ऐसी सामूहिक चेतना को बढ़ावा देते हैं जिसमें नैतिक ज़िम्मेदारी अधिकारों, विकास और लोकतांत्रिक भागीदारी का आधार बनती है। इनकी ताकत सिर्फ़ कानूनी व्याख्या में ही नहीं, बल्कि ज़िम्मेदार नागरिकता की संस्कृति को आकार देने, लोकतांत्रिक शासन को मज़बूत करने और लंबे समय तक समाज की भलाई को बढ़ावा देने में भी है।

3. सीमाएँ और चुनौतियाँ

सैद्धांतिक रूप से महत्वपूर्ण होने के बावजूद, मौलिक कर्तव्यों को व्यवहार में कई सीमाओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि इन्हें अदालत में लागू नहीं कराया जा सकता (non-justiciable)। मौलिक अधिकारों के विपरीत, ज़्यादातर कर्तव्यों को न्यायिक तरीकों से सीधे लागू नहीं किया जा सकता, जिससे उनकी कानूनी ताकत केवल सलाह या मार्गदर्शन देने वाले सिद्धांतों तक ही सीमित रह जाती है। कानूनी बाध्यता के बजाय नैतिक बाध्यता होने के कारण, इनका पालन मुख्य रूप से नागरिकों की जागरूकता, सामाजिक रीति-रिवाजों और स्वेच्छा पर निर्भर करता

है, जो सामाजिक-आर्थिक, शैक्षिक और क्षेत्रीय संदर्भों में अलग-अलग होते हैं। कई इलाकों में, खासकर ग्रामीण और हाशिए पर रहने वाले समुदायों में, संवैधानिक कर्तव्यों के बारे में जागरूकता कम है, जिससे उनका व्यावहारिक असर कम हो जाता है। इसके अलावा, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने, सांस्कृतिक विरासत को बचाने या मानवतावाद को बढ़ावा देने जैसे कई कर्तव्यों का अमूर्त स्वरूप उन्हें लागू करने और उनकी निगरानी करने में चुनौतियाँ पैदा करता है, जिससे संवैधानिक सिद्धांतों को ठोस नागरिक व्यवहार में बदलने की कोशिशें मुश्किल हो जाती हैं।

भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाना एक और चुनौती है। कर्तव्यों पर ज़ोर देने से अनजाने में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के अधिकारों या लोकतांत्रिक असहमति पर रोक नहीं लगनी चाहिए; इसके लिए शिक्षा, कानून और नीति को लागू करने में सावधानी बरतने की ज़रूरत है। सामाजिक और राजनीतिक स्थितियाँ, जिनमें क्षेत्रीय असमानताएँ, साक्षरता का स्तर और नागरिकों की भागीदारी शामिल हैं, मौलिक कर्तव्यों की प्रभावशीलता को और प्रभावित करती हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए, भारत को कई तरह की रणनीतियों पर ध्यान देना होगा: स्कूलों और कॉलेजों में नागरिक शिक्षा को बेहतर बनाना, देशव्यापी जागरूकता अभियान चलाना, समुदाय-आधारित पहलों को बढ़ावा देना और ज़्यादातर कर्तव्यों के स्वैच्छिक, नैतिक सार को कमज़ोर किए बिना कुछ प्रमुख कर्तव्यों को कानूनी रूप से लागू करने योग्य ढाँचों में शामिल करना। अन्य लोकतंत्रों का अनुभव बताता है कि केवल कानूनी रूप से दर्ज करना ही काफी नहीं है; कर्तव्यों को केवल आदर्शों से वास्तविक सामाजिक व्यवहार में बदलने के लिए लगातार सामाजिक प्रोत्साहन, नैतिक मूल्यों को अपनाना और नागरिकों की भागीदारी ज़रूरी है। आखिरकार, हालाँकि मौलिक कर्तव्य ज़िम्मेदार नागरिकता, नैतिक शासन और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन

उनका असर नागरिकों, शिक्षकों, नागरिक समाज और राज्य की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करता है ताकि नैतिक मार्गदर्शन और व्यावहारिक अमल के बीच की खाई को भरा जा सके।

VII. आज के समय में महत्व और भविष्य की दिशाएँ

1. आधुनिक भारतीय समाज में मौलिक कर्तव्य

आज के भारत में, मौलिक कर्तव्यों (FDs) का महत्व पारंपरिक नागरिक और नैतिक दायित्वों से कहीं आगे बढ़ गया है। ये तेज़ी से हो रहे आधुनिकीकरण, तकनीकी प्रगति और जटिल सामाजिक स्थितियों से जुड़ी चुनौतियों का सामना करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, पर्यावरण संरक्षण एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है जहाँ कर्तव्यों का व्यावहारिक महत्व है। अनुच्छेद 51A(g), जो नागरिकों को प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने का निर्देश देता है, जलवायु परिवर्तन से निपटने, जैव विविधता के संरक्षण और सतत विकास को सुनिश्चित करने की राष्ट्रीय और वैश्विक पहलों के साथ सीधे तौर पर मेल खाता है। नागरिकों से उम्मीद की जाती है कि वे पर्यावरण के प्रति ज़िम्मेदार व्यवहार अपनाएँ, जैसे कि कचरा कम करना, पानी बचाना और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना; इस तरह वे पारिस्थितिक ज़िम्मेदारी को एक नागरिक कर्तव्य के रूप में अपनाते हैं। इसी तरह, डिजिटल दुनिया में, तकनीक, सोशल मीडिया और डिजिटल संचार के प्रसार ने एक नागरिक दायित्व के रूप में नैतिक डिजिटल व्यवहार के महत्व को रेखांकित किया है। सद्भाव को बढ़ावा देने, निजता का सम्मान करने और गलत जानकारी न फैलाने जैसे कर्तव्य ज़िम्मेदार डिजिटल नागरिकता को प्रोत्साहित करते हैं और ऑनलाइन स्पेस में जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक एकता नागरिकों की ज़िम्मेदारियों से तेज़ी से जुड़ रहे हैं। संविधान का सम्मान करने, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और एकता को बढ़ावा देने से

जुड़े कर्तव्य सार्वजनिक विश्वास बनाए रखने, सांप्रदायिक तनाव कम करने और यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि सामाजिक, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधता एक स्थिर लोकतांत्रिक ढाँचे में योगदान दे।

नैतिक आचरण, नैतिक ज़िम्मेदारी और सामूहिक जवाबदेही को मज़बूत करके, आधुनिक समाज में मौलिक कर्तव्य एक मार्गदर्शक ढाँचे के रूप में काम करते हैं जो कानूनी दायित्वों के पूरक हैं, सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देते हैं और राष्ट्रीय एकता की नींव को मज़बूत करते हैं। वे नागरिकों को याद दिलाते हैं कि अधिकार ज़िम्मेदारियों से अलग नहीं किए जा सकते, और संवैधानिक स्वतंत्रता का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए नैतिक और नागरिक दोनों सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है, खासकर तकनीक, वैश्वीकरण और पर्यावरण संबंधी ज़रूरतों से प्रभावित स्थितियों में।

2. पॉलिसी और गवर्नेंस से जुड़ाव

मौलिक कर्तव्यों की व्यावहारिक अहमियत उनके शैक्षिक पाठ्यक्रम, सरकारी नीतियों और नागरिक भागीदारी कार्यक्रमों में शामिल किए जाने से गहराई से जुड़ी है। छात्रों की नैतिक और नागरिक चेतना में इन सिद्धांतों को उतारने में शिक्षण संस्थान अहम भूमिका निभाते हैं। मूल्य-आधारित शिक्षा, नैतिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम के तहत कानून का सम्मान, पर्यावरण की देखभाल, सांस्कृतिक संरक्षण और सामाजिक सद्भाव पर ज़ोर दिया जाता है, ताकि नागरिक कम उम्र से ही इन कर्तव्यों को अपना सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) इस नज़रिए को और मज़बूत करती है, जो ऐसी समग्र शिक्षा को बढ़ावा देती है जिसमें ज्ञान, नैतिकता और नागरिक ज़िम्मेदारी का मेल हो, जिससे छात्र लोकतांत्रिक शासन और सामाजिक कल्याण में रचनात्मक योगदान देने के लिए तैयार हो सकें। सरकारी नीतियां, अभियान और जन-संपर्क पहल, जैसे "स्वच्छ भारत मिशन," "डिजिटल इंडिया" और पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम, नागरिकों की

भागीदारी को नीतिगत लक्ष्यों से जोड़कर मौलिक कर्तव्यों को अमल में लाते हैं और राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं। शासन के स्तर पर, स्वैच्छिक नैतिक ढांचे को कमज़ोर किए बिना अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कुछ विशिष्ट कर्तव्यों को कानूनी रूप से लागू करने की संभावना है। पर्यावरण संरक्षण, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कानूनी आदेशों को नैतिक दायित्वों के साथ जोड़ा जा सकता है, जिससे नागरिकों और राज्य के बीच साझा ज़िम्मेदारी का एक सिस्टम बनता है। नीतिगत ढांचे में इन कर्तव्यों को संस्थागत रूप देकर, सरकार नैतिक नागरिकता को मज़बूत करती है, जवाबदेही को बढ़ावा देती है और प्रशासनिक व विधायी प्रक्रियाओं में नैतिक सिद्धांतों को शामिल करती है। इसके अलावा, नागरिक समाज, मीडिया और ज़मीनी स्तर के संगठनों की भूमिका अनुपालन की निगरानी करने, जागरूकता बढ़ाने और स्वेच्छा से पालन करने के लिए प्रेरित करने में अहम है, जिससे एक ऐसा सहभागी इकोसिस्टम बनता है जहाँ मौलिक कर्तव्य नागरिक व्यवहार और शासन की रणनीतियों, दोनों को दिशा देते हैं। शिक्षा, नीति और सामाजिक जुड़ाव के माध्यम से, भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि मौलिक कर्तव्य केवल आदर्शों तक सीमित न रहकर ठोस व्यवहार में बदलें, जो लोकतांत्रिक संस्थानों, नैतिक शासन और सामाजिक एकजुटता को मज़बूत करें।

3. भविष्य की संभावनाएं

आगे देखते हुए, मौलिक कर्तव्यों की भविष्य की संभावनाएं नागरिक संस्कृति को मज़बूत करने, नैतिक शासन को बेहतर बनाने और अधिक जागरूक नागरिक तैयार करने की उनकी क्षमता में निहित हैं। नागरिक संस्कृति को मज़बूत करने के लिए सार्वजनिक चर्चा, शिक्षा और समुदाय-आधारित पहलों में कर्तव्यों को व्यवस्थित रूप से शामिल करने की आवश्यकता है। स्कूल, कॉलेज और नागरिक समाज के कार्यक्रम कानून का

पालन करने, पर्यावरण की देखभाल करने और डिजिटल ज़िम्मेदारी निभाने की आदतें विकसित कर सकते हैं, साथ ही ऐसे जागरूकता अभियान चला सकते हैं जो नागरिक कर्तव्यों की अनदेखी के सामाजिक और राष्ट्रीय परिणामों को उजागर करें। सामाजिक स्तर पर, नागरिक ज़िम्मेदारी की संस्कृति को बढ़ावा देने में आदर्श नागरिकों की सराहना करना, जन-कल्याण में स्वेच्छा से भागीदारी को प्रोत्साहित करना और ऐसे नियमों को मज़बूत करना शामिल है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामूहिक दायित्वों के बीच संतुलन बनाते हैं। कानूनी और सामाजिक सुधार 'मौलिक कर्तव्यों' की प्रभावशीलता को और बढ़ा सकते हैं।

पर्यावरण संरक्षण, भ्रष्टाचार-रोधी उपाय और सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण जैसे प्रमुख कर्तव्यों को कानून का रूप देने से ऐसे लागू करने योग्य ढांचे मिल सकते हैं जो नैतिक दायित्वों के पूरक हों और यह सुनिश्चित करें कि महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारियों को नज़रअंदाज़ न किया जाए। साथ ही, नीतिगत सुधारों में जागरूकता, नैतिक प्रशिक्षण और भागीदारीपूर्ण शासन पर ज़ोर दिया जाना चाहिए ताकि स्वेच्छा से नियमों का पालन और नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा मिल सके। न्यायपालिका 'मौलिक कर्तव्यों' के आलोक में कानूनों की व्याख्या करना जारी रख सकती है और सार्वजनिक नीति व प्रशासनिक कार्रवाई का मार्गदर्शन कर सकती है, जबकि नागरिक समाज नागरिकों और राज्य के बीच एक सेतु के रूप में कार्य कर सकता है, जिससे जवाबदेही, पारदर्शिता और समुदाय-आधारित पहलों को बढ़ावा मिले। तकनीकी बदलाव, पर्यावरण का क्षरण और सामाजिक ध्रुवीकरण जैसी आधुनिक चुनौतियों के संदर्भ में, 'मौलिक कर्तव्य' एक नैतिक दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं जो लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को मज़बूत करते हैं। शिक्षा, विधायी समर्थन, न्यायिक मार्गदर्शन और नागरिकों की भागीदारी को मिलाकर, भारत इन कर्तव्यों को केवल आदर्शवादी बयानों से बदलकर

ऐसे व्यावहारिक सिद्धांतों में बदल सकता है जो व्यवहार को आकार दें, सामूहिक कल्याण को बढ़ावा दें और सतत विकास सुनिश्चित करें। अंततः, 'मौलिक कर्तव्यों' की भविष्य की प्रासंगिकता एक ऐसे समाज के निर्माण की उनकी क्षमता में निहित है जहाँ नागरिक न केवल अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों बल्कि राष्ट्र, अपने समुदायों और भावी पीढ़ियों के प्रति अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए भी प्रतिबद्ध हों, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि लोकतंत्र केवल एक कानूनी ढांचे के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवंत, नैतिक और भागीदारीपूर्ण व्यवहार के रूप में फले-फूले।

VIII. निष्कर्ष

निष्कर्ष के तौर पर, भारत के संवैधानिक ढांचे में मौलिक कर्तव्यों (FDs) का एक अनोखा और ज़रूरी स्थान है, जो नागरिकता के नैतिक और सदाचारी दोनों पहलुओं को दर्शाते हैं। 1976 के 42वें संशोधन से शुरू हुए ये कर्तव्य मौलिक अधिकारों (FRs) के पूरक और राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSPs) के उद्देश्यों को मज़बूत करने के लिए शामिल किए गए थे, जिससे ज़िम्मेदार और जागरूक नागरिकता का एक समग्र दृष्टिकोण तैयार हुआ। इन्हें शामिल करने से यह समझ मिलती है कि लोकतंत्र की जीवंतता न केवल अधिकारों का आनंद लेने पर निर्भर करती है, बल्कि उन कर्तव्यों को पूरा करने पर भी निर्भर करती है जो सामाजिक एकता, राष्ट्रीय अखंडता और नैतिक शासन को बनाए रखते हैं। मौलिक कर्तव्यों का महत्व कई क्षेत्रों में फैला हुआ है: वे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देते हैं, सार्वजनिक संस्थानों के प्रति सम्मान बढ़ाते हैं, पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करते हैं और सामाजिक सद्भाव पैदा करते हैं, साथ ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामूहिक ज़िम्मेदारियों के बीच की खाई को भी पूर्ण करते हैं। न्यायिक मान्यता ने इनकी व्यावहारिक प्रासंगिकता को और मज़बूत किया है; सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट ने शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक संरक्षण और नागरिक व्यवहार में इन

कर्तव्यों को मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में व्याख्यायित किया है। महत्वपूर्ण मामलों ने यह दिखाया है कि, हालांकि ये मुख्य रूप से कानूनी रूप से लागू करने योग्य (non-justiciable) नहीं हैं, फिर भी मौलिक कर्तव्य कानूनों और प्रशासनिक कार्यों की व्याख्या में मदद करते हैं। ये अधिकार और ज़िम्मेदारियों के बीच आपसी संबंध को उजागर करते हैं और संवैधानिक शासन के नैतिक आधार को रेखांकित करते हैं। नागरिक भावना की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, जो ज़िम्मेदार नागरिकता की आत्मा है। कानूनों का सम्मान करने, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने, सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने और वैज्ञानिक सोच को विकसित करने जैसे कर्तव्यों को अपनाकर, नागरिक केवल अधिकारों को प्राप्त करने वाले नहीं, बल्कि राष्ट्र-निर्माण में सक्रिय भागीदार बन जाते हैं। स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक की शिक्षा इन कर्तव्यों के प्रति जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जबकि मीडिया, अभियान और सामुदायिक पहल यह सुनिश्चित करते हैं कि नैतिक और सदाचारी दायित्वों को व्यापक समाज तक प्रभावी ढंग से पहुँचाया जाए। नागरिक समाज संगठन और ज़मीनी स्तर के आंदोलन इन प्रयासों के पूरक हैं, जो नागरिक ज़िम्मेदारी को मज़बूत करते हैं, अनुपालन की निगरानी करते हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भागीदारी को बढ़ावा देते हैं। कानूनी मार्गदर्शन, नैतिक शिक्षा और सामाजिक प्रोत्साहन के इस तालमेल के माध्यम से, मौलिक कर्तव्य केवल आदर्शों से बदलकर ऐसे व्यावहारिक सिद्धांतों में बदल जाते हैं जो व्यवहार को आकार देते हैं, सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देते हैं और लोकतांत्रिक संस्थानों को बनाए रखते हैं। अंततः, मौलिक कर्तव्यों का सार अधिकारों के प्रयोग और ज़िम्मेदारियों के ईमानदारी से पालन को एक साथ जोड़ने की उनकी क्षमता में निहित है।

मौलिक अधिकारों (FRs), राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों (DPSPs) और मौलिक कर्तव्यों (FDs) के बीच संबंध को फिर से स्थापित करके, संविधान ऐसे नागरिकों की कल्पना

करता है जो न केवल अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों, बल्कि लोकतंत्र को बनाए रखने वाले नैतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्वों के प्रति भी प्रतिबद्ध हों। इन आदर्शों को साकार करने में न्यायपालिका, शिक्षण संस्थानों और नागरिक समाज के सम्मिलित प्रयास महत्वपूर्ण हैं। ये प्रयास यह सुनिश्चित करते हैं कि मौलिक कर्तव्य नागरिकों को राष्ट्र के जीवन में जिम्मेदार, सहभागी और नैतिक रूप से सही भागीदारी के लिए प्रेरित करते रहें। इस अर्थ में, मौलिक कर्तव्य केवल संवैधानिक प्रावधानों से कहीं अधिक हैं; वे भारत के लोकतंत्र के लिए एक नैतिक दिशा-सूचक (moral compass) हैं, जो एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देते हैं जहाँ अधिकार और जिम्मेदारियाँ सामंजस्यपूर्ण ढंग से साथ-साथ चलते हुए राष्ट्र के कल्याण, एकता और अखंडता को आगे बढ़ाते हैं।

References

- Sai Deepak, J. *India, Bharat and Pakistan: The Constitutional Journey of a Sandwiched Civilisation.* Bloomsbury India, 2022.
- Basu, Durga Das. *Introduction to the Constitution of India.* LexisNexis Butterworths, 2020.
- Shukla, V. N. *Constitution of India*, edited by Mahendra P. Singh. Eastern Book Company, latest edition.
- Kaushik, Abhishek. "Significance of Fundamental Duties in Indian Perspective." *IJHSSI*, Vol. 5, Issue 1, 2023.
- Ghatol, Akanksha & Khandare, Jayashree. "Fundamental Rights and Duties: Two Sides of a Coin." *IJHSS*, Vol. 3, Issue 2, 2021.
- "The Concept of Fundamental Duties under the Constitution of India." *JETIR*, Vol. 6, Issue 6, 2019.

- Parthasarathy, Malavika. “Fundamental Duties: Court in Review.” *Supreme Court Observer*, 2022.
- Pradhan, Niharika. “Fundamental Duties Enforcement: Role of Judiciary.” *Supremo Amicus*, Vol. 25, 2022.
- Swaraj, P. “Civic Sense: Rights, Duties, and Responsibilities.” *Commonwealth of Learning*, 2016.
- Chaudhary, V. “Legal and Social Insights on the Role of Fundamental Duties in India’s Welfare System.” *IJSP*, Vol. 33, Issue 1, 2008.
- Joshi, A., & Gupta, P. “Fundamental Duties and Their Role in Advancing Social Welfare in India: A Constitutional Perspective.” *Journal of Law and Social Welfare*, Vol. 18, Issue 3.